

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-265

जिसका उत्तर 11 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

विद्युत की मांग एवं आपूर्ति

*265. श्री विनोद कुमार सोनकर:

श्री राजा अमरेश्वर नाईक:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में विद्युत की मांग एवं आपूर्ति में काफी अंतर है और यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या पश्चिम बंगाल राज्य में विद्युत की मांग एवं आपूर्ति में अत्यधिक अंतर व्याप्त है जो अखिल भारतीय औसत से भी ज्यादा है तथा दो-तीन छोटे राज्यों के अलावा देश में सर्वाधिक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सर्वाधिक मांग-आपूर्ति अंतर राज्य-वार कितना है;
- (ग) क्या सरकार का लोड शेडिंग हेतु विद्युत वितरण कंपनियों पर भारी अर्थदंड लगाने तथा राज्यों द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को राजसहायता का सीधे अंतरण किये जाने हेतु प्रावधान करने के लिए विद्युत अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं; और
- (घ) क्या सरकार द्वारा पंजाब सहित देश के विभिन्न राज्यों में ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की कम आपूर्ति किये जाने के कारण विद्युत उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"विद्युत की मांग एवं आपूर्ति" के बारे में लोक सभा में दिनांक 11.07.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 265 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : राज्य द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को दी गई सूचना के अनुसार, चालू वर्ष 2019-20 (जून, 2019 तक) के दौरान वैद्युत ऊर्जा और व्यस्ततम मांग के संबंध में उत्तरप्रदेश सहित अपने देश के विभिन्न राज्यों में विद्युत की मांग और आपूर्ति के ब्यौरे अनुबंध में दिये गये हैं। 0.6% व्यस्ततम विद्युत की कमी के अखिल भारत औसत के मुकाबले पश्चिम बंगाल में कोई व्यस्ततम कमी नहीं है, और इसके अतिरिक्त जबकि अखिल भारतीय स्तर पर 0.4% ऊर्जा की कमी है, पश्चिम बंगाल में ऊर्जा की कमी 0.3% है।

(ग) : विद्युत अधिनियम के संशोधनों को अंतिम रूप दिये जाने के लिए अनावश्यक लोडशेडिंग के लिए विद्युत वितरण कम्पनियों पर शास्तियां लगाने का प्रस्ताव करने तथा राज्यों द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी अन्तरण करने संबंधी प्रावधान करने वाले मुद्दों पर चर्चा की जा रही है।

(घ) : चालू वर्ष 2019-20 (मई, 2019 तक) के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि में 107.3 मिलियन टन (एमटी) की तुलना में विद्युत संयंत्रों में कोयले की कुल प्राप्त 112.0 मिलियन टन थी जो 4.3% की वृद्धि दर्शाती है। विद्युत मंत्रालय, कोयला और रेल मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों से दैनिक आधार पर सीईए द्वारा निगरानी किए गए विद्युत संयंत्रों में उपलब्ध कोयले के स्टॉक में 04.07.2019 की स्थिति के अनुसार 26.09 एमटी तक का सुधार हुआ है जो पिछले वर्ष के इसी दिन को दस दिनों के लिए 15.5 एमटी की तुलना में 15 दिन के उत्पादन के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार, विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति में हुई वृद्धि के कारण विद्युत ग्रिड में विद्युत की मांग की पूर्ति ताप विद्युत केन्द्रों द्वारा की जा रही है तथा अन्य उत्पादन स्रोतों द्वारा सहायता की जाती है।

एक अन्तर-मंत्रालयी उप-समूह जिसमें विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय, सीईए, सीआईएल तथा एससीसीएल के प्रतिनिधि शामिल हैं, नियमित आधार पर कोयले की आपूर्ति की स्थिति की निगरानी करता है। इस बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर, सीआईएल/एससीसीएल कोयले की आपूर्ति का संवर्धन करते हैं तथा रेलवे कम कोयला स्टॉक वाले विद्युत संयंत्रों को रैकों की आपूर्ति को प्राथमिकता देता है।

"विद्युत की मांग एवं आपूर्ति" के बारे में लोक सभा में दिनांक 11.07.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 265 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

2019-20 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति (अंतिम)

राज्य/सिस्टम/क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2019 - जून, 2019*				अप्रैल, 2019 - जून, 2019*			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम आपूर्ति	पूरी नहीं की गई मांग	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
चंडीगढ़	500	500	0	0.0	413	413	0	0.0
दिल्ली	9,904	9,899	5	0.0	6,904	6,904	0	0.0
हरियाणा	14,420	14,420	0	0.0	10,237	10,237	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	2,541	2,523	19	0.7	1,619	1,619	0	0.0
जम्मू व कश्मीर	5,043	4,166	877	17.4	3,033	2,426	607	20.0
पंजाब	15,315	15,309	6	0.0	13,090	13,090	0	0.0
राजस्थान	20,856	20,835	21	0.1	12,620	12,620	0	0.0
उत्तर प्रदेश	36,022	35,804	218	0.6	22,487	22,057	430	1.9
उत्तराखंड	3,861	3,778	84	2.2	2,164	2,164	0	0.0
उत्तरी क्षेत्र	108,462	107,233	1,229	1.1	65,950	64,838	1,112	1.7
छत्तीसगढ़	8,315	8,314	1	0.0	4,596	4,574	22	0.5
गुजरात	31,725	31,725	0	0.0	18,437	18,424	13	0.1
मध्य प्रदेश	18,994	18,994	0	0.0	10,187	10,180	7	0.1
महाराष्ट्र	42,724	42,724	0	0.0	23,621	23,613	8	0.0
दमन व दीव	660	660	0	0.0	351	350	1	0.2
दादरा नागर हवेली	1,637	1,637	0	0.0	824	824	0	0.0
गोवा	1,158	1,158	0	0.0	622	621	1	0.1
पश्चिमी क्षेत्र	105,213	105,212	1	0.0	57,113	57,093	20	0.0
आंध्र प्रदेश	17,427	17,413	14	0.1	10,170	10,170	0	0.0
तेलंगाना	15,565	15,563	2	0.0	10,269	10,202	67	0.7
कर्नाटक	19,363	19,360	2	0.0	12,700	12,688	12	0.1
केरल	7,067	7,052	15	0.2	4,487	4,300	186	4.2
तमिलनाडु	29,828	29,825	3	0.0	15,680	15,668	11	0.1
पुडुचेरी	787	786	1	0.1	464	462	2	0.5
लक्षद्वीप#	12	12	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	90,037	89,999	38	0.0	49,218	49,103	115	0.2
बिहार	8,705	8,700	6	0.1	5,754	5,754	0	0.0
झारखंड	2,272	2,254	18	0.8	1,396	1,389	6	0.5
ओडिशा	7,937	7,937	0	0.0	5,207	5,207	0	0.0
पश्चिम बंगाल	15,120	15,076	44	0.3	9,115	9,115	0	0.0
सिक्किम	121	121	0	0.0	99	99	0	0.0
अंडमान-निकोबार#	87	81	6	6.7	58	54	4	7
पूर्वी क्षेत्र	39,841	39,772	69	0.2	24,113	24,113	0	0.0
अरुणाचल प्रदेश	190	188	1	0.6	146	144	2	1.4
असम	2,541	2,354	187	7.3	1,935	1,791	144	7.4
मणिपुर	206	204	2	1.0	197	188	9	4.8
मेघालय	500	481	19	3.8	367	367	0	0.0
मिजोरम	147	145	1	0.8	116	113	3	2.8
नागालैंड	190	188	2	0.8	157	140	17	11.0
त्रिपुरा##	446	432	14	3.2	320	311	9	2.8
पूर्वोत्तर क्षेत्र	4,218	3,992	226	5.4	2,922	2,861	61	2.1
अखिल भारत	347,771	346,208	1,563	0.4	183,673	182,533	1,140	0.6

* अंतिम

#लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह स्टैंड अलोन प्रणाली में हैं, इसलिए इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और आपूर्ति का भाग नहीं है।

##बांग्लादेश को आपूर्ति छोड़कर।

टिप्पणी: राज्य यूटिलिटी/विद्युत विभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट संकलित की गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-270

जिसका उत्तर 11 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

पारेषण संबंधी समस्याएं

*270. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विद्युत क्षेत्र लंबे समय से पारेषण संबंधी समस्याओं से जूझ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या ये समस्याएं अधिक विद्युत उत्पादन एवं विद्युत की अधिक मांग के कारण बढ़ी हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या पारेषण एवं विद्युत क्षेत्र संबंधी अवसंरचना के विकास हेतु अलग कोष की आवश्यकता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने विद्युत प्रणाली विकास कोष हेतु प्रारूप विनियम जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं; और
- (ङ) क्या सरकार ने उक्त कोष के उपयोग का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रस्तावित कोष कब तक सृजित/आरंभ किये जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"पारेषण संबंधी समस्याएं" के बारे में लोक सभा में दिनांक 11.07.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 270 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : देश में पिछले पांच वर्षों के दौरान लगभग एक लाख बाईस हजार सर्किट किलोमीटर की पारेषण लाइनें जोड़ी गई हैं। एक राष्ट्र-एक ग्रिड की ओर अग्रसर एक सुदृढ़ राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना की गई है जिससे संसाधन सम्पन्न क्षेत्रों से भार केन्द्रों को विद्युत के अंतरण में सुविधा हुई है। इसके कारण, देश में व्यस्ततम विद्युत की कमी वर्ष 2011-12 के दौरान 10.6% से घटकर चालू वर्ष के दौरान लगभग 0.6% रह गई है। पावर एक्सचेंज में अधिकांश दिनों में एक मूल्य रहता है, जिससे यह पता चलता है कि पारेषण ग्रिड में कोई संकुलन नहीं है।

किसी विशेष समय में, विद्युत उत्पादन विद्युत ग्रिड में मांग के अनुरूप होना आवश्यक होता है और यह देश में पर्याप्त उत्पादन क्षमता की उपलब्धता के कारण संभव होता है और इसके कारण पारेषण में कोई बाधा नहीं है।

(ग) : अभी तक पारेषण प्रणाली के विकास के लिए पृथक निधि पर विचार नहीं किया गया है। केन्द्र सरकार कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं को छोड़कर पारेषण प्रणाली के विकास के लिए निधियां प्रदान नहीं करती है क्योंकि प्रशुल्क नीति में की गई परिकल्पना के अनुसार, पारेषण प्रणाली का विकास सामान्यतया प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) विधि से किया जाता है।

(घ) : जी, हां। सीईआरसी ने दिनांक 24 मई, 2019 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रणाली विकास निधि) विनियम, 2019 का प्रारूप सार्वजनिक विचार-विमर्श के लिए परिचालित किया है। विनियमों के प्रारूप में विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और उनके कार्यान्वयन में अब तक प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए 9 जून, 2014 को जारी सीईआरसी (विद्युत प्रणाली विकास निधि) विनियम, 2014 को रद्द करने का प्रस्ताव है। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रणाली विकास निधि) विनियम, 2019 के प्रारूप में प्रचालन प्रक्रियाओं, समितियों के गठन, कार्यान्वयन तथा निगरानी तंत्र आदि में परिवर्तन करने की व्यवस्था है।

(ड) : इस समय, यूटिलिटीयों से प्राप्त स्कीमों के लिए मौजूदा सीईआरसी (पीएसडीएफ) विनियम, 2014 तथा विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी पीएसडीएफ दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पीएसडीएफ वित्तपोषण के लिए सिफारिश की जा रही है।

भारत सरकार की वर्तमान में प्रचालित पीएसडीएफ योजना में अब तक 11,282 करोड़ रुपये के स्वीकृत अनुदान सहित पीएसडीएफ वित्तपोषण के लिए 140 योजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-277

जिसका उत्तर 11 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

चौबीस घंटे विद्युत आपूर्ति

*277. श्री धर्मवीर सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या आज भी अधिकतर गांवों को एक दिन में मात्र 2-4 घंटे विद्युत आपूर्ति मिलती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या उक्त गांवों में चौबीस घंटे विद्युत आपूर्ति करने के लिए कोई योजना/स्कीम बनाई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) गत तीन वर्षों के दौरान हरियाणा सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सरकार की दृष्टि में आए विद्युत चोरी से संबंधित मामलों की संख्या तथा वितरण/पारेषण हानि कितनी है;
- (घ) सरकार द्वारा इस तरह की चोरी/हानि को नियंत्रित करने/रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (ङ) हरियाणा सहित देश के प्रत्येक राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र के सभी गांवों को चौबीस घंटे विद्युत आपूर्ति कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"चौबीस घंटे विद्युत आपूर्ति" के बारे में लोक सभा में दिनांक 11.07.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 277 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है और विद्युत का वितरण एवं संबद्ध कार्यों का प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार/वितरण यूटिलिटी द्वारा किया जाता है। राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों ने अप्रैल, 2019 से सभी घरों, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत आपूर्ति प्रदान करने और राज्य नीति के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये हैं। भारत सरकार राज्यों के प्रयासों को अपनी स्कीमों जिनमें दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य एवं उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) शामिल हैं, के माध्यम से बढ़ावा दे रही है। दी गई सूचना के अनुसार 18 राज्य ग्रामीण क्षेत्र में 20 घण्टे अथवा इससे अधिक की विद्युत पहले से ही उपलब्ध करा रहे हैं।

(ग) : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने वर्ष 2017-18 में बिजली की चोरी के 6,64,706 मामले रिपोर्ट किये हैं। उदय पोर्टल पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भारत की वर्ष 2018-19 में अनंतिम सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानि 18.29 प्रतिशत थी और इसी अवधि में हरियाणा की 17.45 प्रतिशत थी।

(घ) : विद्युत अधिनियम, 2003 में बिजली की चोरी से निपटने का प्रावधान है। भारत सरकार राज्यों की उनकी वितरण अवसंरचना प्रणाली एवं प्रबंधन में सुधार लाने में उन्हें सक्षम बनाने के लिए आईपीडीएस, डीडीयूजीजेवाई और उदय जैसी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से सहायता करती है ताकि चोरी के कारण हानि सहित ऊर्जा की हानि को कम किया जा सके।

(ड) : जैसा कि ऊपर (क) और (ख) में उल्लेख किया गया है। हरियाणा में वर्ष 2018-19 में व्यस्ततम मांग को पूरा करने और ऊर्जा आपूर्ति में कोई कमी नहीं है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-280

जिसका उत्तर 11 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

पारेषण लाइनों को स्वीकृति

*280. डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) कार्यान्वयनाधीन नवीकरणीय परियोजनाओं या जून 2018 तक प्रचलित नियमों के अधीन स्वीकृत निविदा की गई परियोजनाओं को 2020 के अंत तक अपेक्षित पारेषण लाइन स्वीकृत करने पर सहमत नहीं हुआ;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
- (ग) क्या नई प्रक्रिया के अंतर्गत स्वीकृति में लगभग एक वर्ष लगता जब तक कि निर्माणाधीन नवीकरणीय परियोजनाएं धारा में आने लगतीं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या विद्युत निकासी अवसंरचना के अभाव के कारण निवेश फंसा रहता और यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और
- (ङ) इस मुद्दे को प्राथमिकता आधार पर समाधान करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"पारेषण लाइनों को स्वीकृति" के बारे में लोक सभा में दिनांक 11.07.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 280 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : 66.5 गीगावाट के अभिजात नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों को समेकित करने के लिए एक व्यापक पारेषण योजना तैयार की गई है, जिसे दो चरणों में कार्यान्वित किए जाने की योजना है। चरण-I के अन्तर्गत (दिसम्बर, 2020 तक) लगभग 28 गीगावाट की आरई परियोजनाओं की आयोजना की गई है और शेष 38.5 गीगावाट चरण-II (दिसम्बर, 2021) के अन्तर्गत हैं।

पावरग्रिड केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू), ने चरण-I के अन्तर्गत पारेषण प्रणाली के निष्पादन के विनियामक अनुमोदन के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) में दो याचिकाएं (37/एमपी/2019 तथा 23/एमपी/2019) दायर की हैं।

याचिका संख्या 37/एमपी/2019 में, सीईआरसी ने यह अवलोकन किया कि "याचिकाकर्ता ने पश्चिमी क्षेत्र में संभावित सौर तथा पवन ऊर्जा क्षेत्रों से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली के निष्पादन हेतु विनियामक अनुमोदन प्रदान करने के लिए आयोग के समक्ष आने से पूर्व पारेषण योजना विनियमों तथा विनियामक अनुमोदन विनियमों के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन नहीं किया है। इसलिए, हम वर्तमान याचिका में निर्णय लेने में असमर्थ हैं।"

जहां तक याचिका संख्या 23/एमपी/2019 का संबंध है, सीईआरसी ने याचिकाकर्ता को शपथ-पत्र पर अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत करने के निदेश दिये हैं।

केन्द्र सरकार ने सीटीयू से सीईआरसी विनियमों की शीघ्र अनुपालना करने को कहा है।

(ग) : चरण-I के अन्तर्गत आरई परियोजनाओं से जुड़ी अन्तर्राज्यीय पारेषण योजनाओं पर पश्चिमी, उत्तरी तथा दक्षिणी क्षेत्र की पारेषण संबंधी क्षेत्रीय स्थायी समिति, पारेषण संबंधी राष्ट्रीय समिति (एनसीटी) तथा पारेषण संबंधी अधिकार प्राप्त समिति (ईसीटी) में पहले ही जनवरी, 2019 में सहमति हो गई है। आरई परियोजना के 12.4 गीगावाट से जुड़ी पारेषण प्रणाली के लिए बोली प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और इसके सितम्बर, 2019 तक पूरा होने की संभावना है।

(घ) : प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली मार्ग के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही उपर्युक्त आरई परियोजनाओं से संबंधित पारेषण प्रणाली की बोली प्रक्रिया चालू है और इसके अधिकांश खण्डों का पूरा किया जाना दिसम्बर, 2020 तक निर्धारित है।

(ङ) : आरई विद्युत की निकासी के लिए अन्तर्राज्यीय पारेषण योजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए, बोली प्रक्रिया तथा विनियामक अनुमोदन प्रदान करने की प्रक्रिया साथ-साथ की जा रही है। सरकार द्वारा आरई उत्पादन तथा संबद्ध पारेषण प्रणाली के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए एक कार्यदल भी गठित किया गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2959

जिसका उत्तर 11 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

डीडीयूजीजेवाई का कार्यान्वयन

2959. श्री बी. मणिकम टैगोर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत शत-प्रतिशत ग्रामीण घरों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया था परंतु अभी भी एक तिहाई ग्रामीण घरों का विद्युतीकरण नहीं किया जा सका है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने उक्त योजना के कार्यान्वयन में आने वाली तकनीकी बाधाओं का विश्लेषण किया है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 28 अप्रैल, 2018 की स्थिति के अनुसार दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत सभी गैर-विद्युतीकृत आवासित जनगणना गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। भारत सरकार ने सार्वभौमिक विद्युतीकरण के लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) शुरू की थी। घरों के विद्युतीकरण की प्रगति राज्यों द्वारा सौभाग्य पोर्टल (saubhagya.gov.in) में रिपोर्ट की गई थी। सभी राज्यों ने 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 18,734 घरों के अलावा सभी घरों का विद्युतीकरण घोषित किया है। सौभाग्य स्कीम की शुरुआत से 31.03.2019 तक सम्पूर्ण देश में 2.63 करोड़ घरों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। बाद में छत्तीसगढ़ सरकार ने 14.06.2019 को अतिरिक्त 40,394 गैर-विद्युतीकृत घरों की सूचना दी और राजस्थान सरकार ने 01.7.2019 को राज्य में अतिरिक्त 1,45,528 गैर-विद्युतीकृत घरों की सूचना दी। उन्हें इन अतिरिक्त घरों को समयबद्ध तरीके से जोड़ने की सलाह दी गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2961

जिसका उत्तर 11 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

एनटीपीसी और नालको के मध्य समझौता ज्ञापन

2961. श्री हिबी इडन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) और नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) ने हाल ही में कोयला आधारित विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या उक्त सामझौता ज्ञापन से एनटीपीसी और नालको के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना करने में मदद मिलेगी तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या इससे विद्युत उत्पादन की लागत को न्यूनतम रखने में मदद मिलेगी ताकि ऑटोमोबाइल एवं एरोस्पेस उद्योगों को एलुमिनियम उत्पादन के लिए अपनी ऊर्जा क्षमता में सुधार करने में लाभ मिलेगा; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ङ) : नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) की प्रस्तावित विस्तार परियोजनाओं के लिए नाल्को को कैप्टिव विद्युत की आपूर्ति के लिए संयुक्त उद्यम मोड के जरिए गजमारा, धनकैनाल, ओडिशा में कोयला आधारित परियोजना स्थापित करने के लिए एनटीपीसी और नाल्को के बीच दिनांक 16 फरवरी, 2016 को एक गैर-बाध्यकारी समझौता-ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किया गया था। एनटीपीसी ने सूचित किया है कि उपरोक्त एमओयू की वैधता, संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन तक अथवा एमओयू हस्ताक्षरित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए थी। तथापि, संयुक्त उद्यम करार को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका और एमओयू 16 फरवरी, 2017 को समाप्त हो गया।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2989

जिसका उत्तर 11 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

बिहार में डी.डी.यू.जी.जे.वाई. की स्थिति

2989. श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डी.डी.यू.जी.जे.वाई.) के अंतर्गत उपयोग की गई निधियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार मात्रा कितनी है;
- (ख) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत बिहार को जारी की गई निधियों की मात्रा कितनी है;
- (ग) क्या बिहार में उक्त योजना के अंतर्गत कोई प्रगति हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या योजना की कोई समीक्षा की गई है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आरई घटक सहित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत संवितरित राज्य-वार निधियां अनुबंध में दी गई हैं।

(ख) : वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत डीडीयूजीजेवाई के कार्यान्वयन के लिए बिहार सरकार द्वारा जारी की गई निधियां निम्नानुसार हैं:-

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	करोड़ रुपए में
1.	2016-17	680.65
2.	2017-18	905.64
3.	2018-19	416.93
	कुल	2003.22

(ग) : राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बिहार में डीडीयूजीजेवाई की नई परियोजनाओं के अंतर्गत 136 सब स्टेशनों, 23,834 वितरण ट्रांसफार्मरों, 15952 सीकेएम फीडर पृथक्करण, 11 केवी लाइनों का 771 सीकेएम, 11529 सीकेएम एलटी लाइनों, 33 केवी और 66 केवी लाइनों का 2338 सीकेएम, 418877 उपभोक्ता ऊर्जा मीटरों तथा 23834 वितरण ट्रांसफार्मर मीटरों का कार्य पूरा हो गया है।

(घ) और (ङ) : इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु एक तीन स्तरीय निगरानी तंत्र है। नोडल एजेंसी स्तर तथा निगरानी समिति स्तर पर समीक्षा के अलावा भारत सरकार स्तर पर समीक्षा, आयोजना एवं निगरानी (आरपीएम) बैठकों के दौरान इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। पिछली समीक्षा बैठक में समग्र प्रगति 60 प्रतिशत पाई गई थी। डीडीयूजीजेवाई माननीय सांसदों द्वारा 'दिशा' के अंतर्गत समीक्षा के लिए भी उपलब्ध है।

लोक सभा में दिनांक 11.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2989 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत राज्य-वार, वर्ष-वार जारी निधियां

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	राज्य का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 31.05.2019 तक	कुल
1	आंध्र प्रदेश	128	165	175	3	471
2	अरुणाचल प्रदेश	101	81	160		342
3	असम	598	401	1088	24	2110
4	बिहार	1292	763	2412	117	4584
5	छत्तीसगढ़	126	552	79	21	777
6	गुजरात	110	143	181		435
7	हरियाणा		45	22		67
8	हिमाचल प्रदेश			15		15
9	जम्मू और कश्मीर		65	542	21	629
10	झारखंड	327	862	1362	10	2561
11	कर्नाटक	145	204	451	50	850
12	केरल	134	87	57		278
13	मध्य प्रदेश	421	600	952	5	1977
14	महाराष्ट्र	257	143	481.67	5.34	887
15	मणिपुर	36	33	41	0	111
16	मेघालय	26	58	155	118	355
17	मिजोरम	14	42	35		91
18	नागालैंड	21	24	55		100
19	ओडिशा	1079	366	1360	36	2841
20	पंजाब		15	42		57
21	राजस्थान	347	782	1246	17	2391
22	सिक्किम		18	21		39
23	तमिलनाडु	110	2	244		356
24	तेलंगाना	27	60	61		148
25	त्रिपुरा	78	62	112		251
26	उत्तर प्रदेश	2262	3149	3560	3	8974
27	उत्तराखंड	16	33	270		319
28	पश्चिम बंगाल	273	241	1281		1795
29	गोवा			3.27		3
30	दादरा व नागर हवेली			1		1
31	पुडुचेरी	1		0		1
32	अंडमान निकोबार		1			1
	कुल जोड़	7930	8997	16464	429	33820

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2993

जिसका उत्तर 11 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत स्टेशनों में फ्लाई एश का प्रज्वलन

2993. श्री नारणभाई काछड़िया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्युत स्टेशनों में कोयला जलाने के कारण उत्पन्न होने वाली फ्लाई एश के उत्पादन का वार्षिक ब्यौरा क्या है;

(ख) विद्युत स्टेशनों द्वारा फ्लाई एश का निपटान करने के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं;

(ग) क्या फ्लाई एश से कोई उप-उत्पाद बनाया जाता है और यदि हां, तो इससे विद्युत स्टेशनों को कितना लाभ हुआ है;

(घ) क्या फ्लाई एश से प्रदूषण होता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) से प्राप्त सूचना के अनुसार 2013 से 2018 (अप्रैल से मार्च) तक फ्लाई एश (मिलियन टन) का वार्षिक उत्पादन नीचे दिया गया है:-

क्रम सं.	वर्ष	फ्लाई एश का उत्पादन (मिलियन टन)
1	2013-14	172.87
2	2014-15	184.14

3	2015-16	176.74
4	2016-17	169.25
5	2017-18	196.44

(ख) : ताप विद्युत संयंत्रों में फ्लाई ऐश को संभालने और उसका निपटान करने के लिए निम्नानुसार विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं:-

- वेट ऐश हैंडलिंग सिस्टम।
- हाई कंसन्ट्रेशन स्लेरी डिस्पोजल (एचसीएसडी)।
- डाई फ्लाई ऐश डिस्पोजल सिस्टम।

(ग) : देश में उत्पादित फ्लाई ऐश का प्रयोग विभिन्न प्रयोजनों जैसे खानों की भराई, सीमेंट, ईट और टाइलों के निर्माण, सड़कों और फ्लाईओवरों के निर्माण में निचले क्षेत्रों की भराई, तटबंधों, कृषि, कंक्रीट, जल विद्युत क्षेत्र तथा दूसरे क्षेत्रों में किया जाता है।

डाटा ऑफ ऐश अवेलिबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन वेब पोर्टल (अप्रैल 2018 से मार्च 2019) से विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा प्राप्त राशि और वहन किए गए व्यय के मासिक आंकड़े **अनुबंध** में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) : यदि विद्युत संयंत्रों में फ्लाई ऐश को ठीक तरह से नहीं संभाला जाता है तो यह फ्यूजिटिव धूल का कारण बनती है। विद्युत संयंत्रों को इससे बचने के लिए सभी अपेक्षित उपाय करना अपेक्षित है।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 11.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2993 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

डाटा ऑफ ऐश अवेलिबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन वेब पोर्टल से विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा प्राप्त राशि और वहन किए गए व्यय के मासिक आंकड़े (अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 तक)

क्रम सं.	माह	आंकड़े अपलोड करने वाले टीपीपी की संख्या	टीपीपी द्वारा प्राप्त की गई राशि (रुपए)	टीपीपी द्वारा वहन किया गया व्यय (रुपए)
1	अप्रैल-18	127	44,56,55,714	17,32,23,291
2	मई-18	127	46,48,85,571	23,43,93,781
3	जून-18	128	44,90,13,734	17,55,38,079
4	जुलाई-18	129	33,39,67,085	39,66,92,329
5	अगस्त-18	128	34,14,18,521	15,12,69,477
6	सितंबर-18	129	39,67,24,905	16,01,85,807
7	अक्टूबर-18	125	47,45,39,336	18,67,59,242
8	नवंबर-18	124	34,12,49,481	18,18,35,537
9	दिसंबर-18	122	43,95,90,397	23,49,03,422
10	जनवरी-19	122	43,24,02,530	25,25,89,219
11	फरवरी-19	120	37,64,40,936	15,67,82,596
12	मार्च-19	121	41,15,72,773	20,47,13,742
	कुल		4,90,74,60,982	2,50,88,86,523

संदर्भ - <https://mapp.ntpc.co.in/asha/>

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3001

जिसका उत्तर 11 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

विद्युत उत्पादन की स्थिति

3001. एडवोकेट ए.एम. आरिफः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) आज की तिथि के अनुसार, देश में उत्पादित की जा रही कुल विद्युत की स्रोत-वार मात्रा कितनी है;
- (ख) देश में विद्युत उत्पादन की क्षमता, मांग, आपूर्ति और मांग तथा आपूर्ति के बीच अंतर का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) विद्युत आपूर्ति में आत्मनिर्भर और अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति वाले राज्यों के नाम क्या हैं तथा उनकी विद्युत आपूर्ति की स्रोत-वार मात्रा कितनी है; और
- (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यों की विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से उत्पादित विद्युत की मात्रा कितनी है और राज्यों द्वारा उत्पादित कुल विद्युत में से उनको दी गई विद्युत की मात्रा कितनी है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : 2018-19 तथा चालू वर्ष 2019-20 (मई, 2019 तक) के दौरान स्रोत-वार संस्थापित उत्पादन क्षमता तथा विद्युत उत्पादन का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है। चालू वर्ष 2019-20 (जून, 2019 तक) के दौरान विद्युत की मांग और आपूर्ति दर्शाने वाली विद्युत आपूर्ति स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है। विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष 2019-20 (मई, 2019 तक) के दौरान राज्यों को विद्युत की आपूर्ति करने वाली विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के जरिए उत्पादित विद्युत की मात्रा का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-III में दिया गया है। राज्यों की विभिन्न उत्पादन परियोजनाओं के जरिए उत्पादित विद्युत अपनी विद्युत मांग को पूरा करने के लिए स्वयं राज्य द्वारा उपभोग की जा रही है। अपनी विद्युत मांग को पूरा करने के लिए राज्य भी केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) तथा विद्युत बाजारों से भी विद्युत खरीदते हैं।

लोक सभा में दिनांक 11.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3001 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

30.06.2019 की स्थिति के अनुसार अखिल भारतीय संस्थापित क्षमता का स्रोत-वार ब्यौरा

स्रोत/ईंधन	क्षमता (मेगावाट)
थर्मल	
कोयला	194489.50
लिंगनाइट	6260.00
गैस	24937.22
डीजल	637.63
थर्मल कुल	226324.34
न्यूक्लियर	6780
हाइड्रो	45399.22
आरईएस#	
लघु जल विद्युत	4603.75
पवन विद्युत	36089.12
जैव विद्युत	
- बीएम विद्युत/कोजेन.	9131.5
- वेस्ट टू एनर्जी	138.3
सौर विद्युत	29409.25
आरईएस कुल#	79371.92
अखिल भारतीय कुल	357875.48

31.05.2019 की स्थिति के अनुसार आरईएस (एमएनआरई) के संबंध में संस्थापित क्षमता

वर्तमान वर्ष (जून, 2019 तक) के लिए स्रोत-वार उत्पादन

स्रोत	31.05.2019 की स्थिति के अनुसार निगरानी की गई क्षमता (मेगावाट में)	2019-20 (जून, 2019 तक)
थर्मल	226212.85	287690.9
न्यूक्लियर	6780.00	10971.43
हाइड्रो	45399.22	39548.8
भूटान से आयात	-	932.8
कुल (पारंपरिक)	278392.07	339143.93
नवीकरणीय स्रोत		21949.38#
कुल जोड़ (पारंपरिक+नवीकरणीय)		361093.3

* वास्तविक-सह-मूल्यांकन पर आधारित अंतिम

आंकड़े मई, 2019 के लिए हैं।

टिप्पणी: केवल 25 मेगावाट और उससे अधिक के पारंपरिक स्रोतों (थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लियर) से सकल उत्पादन।

लोक सभा में दिनांक 11.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3001 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

2019-20 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति (अनंतिम)

राज्य/सिस्टम/क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2019 - जून, 2019*				अप्रैल, 2019 - जून, 2019*			
	ऊर्जा आवश्यकता (एमयू)	आपूर्ति की गई ऊर्जा (एमयू)	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा (एमयू)	(%)	व्यस्ततम मांग (मेगावाट)	व्यस्ततम आपूर्ति (मेगावाट)	पूरी नहीं की गई मांग (मेगावाट)	(%)
चंडीगढ़	500	500	0	0.0	413	413	0	0.0
दिल्ली	9,904	9,899	5	0.0	6,904	6,904	0	0.0
हरियाणा	14,420	14,420	0	0.0	10,237	10,237	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	2,541	2,523	19	0.7	1,619	1,619	0	0.0
जम्मू व कश्मीर	5,043	4,166	877	17.4	3,033	2,426	607	20.0
पंजाब	15,315	15,309	6	0.0	13,090	13,090	0	0.0
राजस्थान	20,856	20,835	21	0.1	12,620	12,620	0	0.0
उत्तर प्रदेश	36,022	35,804	218	0.6	22,487	22,057	430	1.9
उत्तराखंड	3,861	3,778	84	2.2	2,164	2,164	0	0.0
उत्तरी क्षेत्र	108,462	107,233	1,229	1.1	65,950	64,838	1,112	1.7
छत्तीसगढ़	8,315	8,314	1	0.0	4,596	4,574	22	0.5
गुजरात	31,725	31,725	0	0.0	18,437	18,424	13	0.1
मध्य प्रदेश	18,994	18,994	0	0.0	10,187	10,180	7	0.1
महाराष्ट्र	42,724	42,724	0	0.0	23,621	23,613	8	0.0
दमन व दीव	660	660	0	0.0	351	350	1	0.2
दादरा नागर हवेली	1,637	1,637	0	0.0	824	824	0	0.0
गोवा	1,158	1,158	0	0.0	622	621	1	0.1
पश्चिमी क्षेत्र	105,213	105,212	1	0.0	57,113	57,093	20	0.0
आंध्र प्रदेश	17,427	17,413	14	0.1	10,170	10,170	0	0.0
तेलंगाना	15,565	15,563	2	0.0	10,269	10,202	67	0.7
कर्नाटक	19,363	19,360	2	0.0	12,700	12,688	12	0.1
केरल	7,067	7,052	15	0.2	4,487	4,300	186	4.2
तमिलनाडु	29,828	29,825	3	0.0	15,680	15,668	11	0.1
पुडुचेरी	787	786	1	0.1	464	462	2	0.5
लक्षद्वीप#	12	12	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	90,037	89,999	38	0.0	49,218	49,103	115	0.2
बिहार	8,705	8,700	6	0.1	5,754	5,754	0	0.0
झारखंड	2,272	2,254	18	0.8	1,396	1,389	6	0.5
ओडिशा	7,937	7,937	0	0.0	5,207	5,207	0	0.0
पश्चिम बंगाल	15,120	15,076	44	0.3	9,115	9,115	0	0.0
सिक्किम	121	121	0	0.0	99	99	0	0.0
अंडमान-निकोबार#	87	81	6	6.7	58	54	4	7
पूर्वी क्षेत्र	39,841	39,772	69	0.2	24,113	24,113	0	0.0
अरुणाचल प्रदेश	190	188	1	0.6	146	144	2	1.4
असम	2,541	2,354	187	7.3	1,935	1,791	144	7.4
मणिपुर	206	204	2	1.0	197	188	9	4.8
मेघालय	500	481	19	3.8	367	367	0	0.0
मिजोरम	147	145	1	0.8	116	113	3	2.8
नागालैंड	190	188	2	0.8	157	140	17	11.0
त्रिपुरा##	446	432	14	3.2	320	311	9	2.8
पूर्वांचल क्षेत्र	4,218	3,992	226	5.4	2,922	2,861	61	2.1
अखिल भारत	347,771	346,208	1,563	0.4	183,673	182,533	1,140	0.6

* अनंतिम

#लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह स्टैंड अलोन प्रणाली में हैं, इसलिए इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और आपूर्ति का भाग नहीं है।

##बांग्लादेश को आपूर्ति छोड़कर।

टिप्पणी: राज्य यूटिलिटी/विद्युत विभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट संकलित की गई है।

लोक सभा में दिनांक 11.07.2019 को उत्तरार्ध अतारांकित प्रश्न संख्या 3001 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (मई, 2019 तक) के लिए राज्य-वार और ईंधन-वार उत्पादन का ब्यौरा

राज्य	स्टेशन का नाम	31.05.2019 की स्थिति के अनुसार निगरानी की गई क्षमता मेगावाट	उत्पादन (एमयू)			
			2019-20* (मई, 19) तक	2018-19	2017-18	2016-17
दिल्ली	बदरपुर टीपीएस	0	0	1400.33	1556.97	1704.85
	आई.पी. सीसीपीपी	270	91.57	599.63	578.8	695.52
	प्रगति सीसीजीटी-III	1500	622.93	3620.46	2957.53	2047.49
	प्रगति सीसीपीपी	330.4	223.65	1515.62	1955.4	1805.4
	राजघाट टीपीएस	135	0	0	0	0
	रिठाला सीसीपीपी	108	0	0	0	0
हरियाणा	फरीदाबाद सीसीपीपी	431.59	0	597.09	837.38	1034.05
	इंदिरा गांधी एसटीपीपी	1500	572.97	7387.28	7734.53	5473.77
	महात्मा गांधी टीपीएस	1320	949.06	6898.35	7325.47	2895.7
	पानीपत टीपीएस	920	530.81	3378.89	2579.45	2205.93
	राजीव गांधी टीपीएस	1200	177.38	3852.19	4681.01	3856.75
	यमुना नगर टीपीएस	600	650.91	3321.63	3448.13	3424.24
हिमाचल प्रदेश	अलियन दुहांगन एचपीएस	192	109.87	582.23	683.01	679.12
	बैरासिउल एचपीएस	180	0	366.67	641.73	669.33
	बासपा एचपीएस	300	186.46	1275.58	1336.65	1342.75
	बस्सी एचपीएस	66	78.74	251.56	315.17	297.76
	भाखड़ा एचपीएस				5134.02	5168.27
	भाखड़ा लेफ्ट एचपीएस	594	382.82	2248.69		
	भाखड़ा राइट एचपीएस	785	503	1989.5		
	बुधहिल एचपीएस	70	58.19	288.08	317.63	261.25
	चमेरा-I एचपीएस	540	635.63	2484.56	2344.08	2224.39
	चमेरा-II एचपीएस	300	383.65	1508.02	1487.11	1443.93
	चमेरा-III एचपीएस	231	258.48	1043.42	1068.05	917.09
	चंजू-I एचपीएस	36	43	137.44	79.42	11.29
	देहार एचपीएस	990	804.69	3226.3	3086.24	3184.68
	गिरी बाटा एचपीएस	60	17.61	214.45	169.94	140.6
	करछम वांगटू एचपीएस	1000	716.06	3968.69	4569.93	4372.29
	कशांग इंटीग्रेटेड	195	31.52	118.24	197.13	56.09
	कोलडैम	800	507.09	3013.93	3313.62	3225.16
	लारजी एचपीएस	126	147.34	593.86	612.36	611.66
	मलाना एचपीएस	86	62.51	320.55	346.29	353.79
	मलाना-II एचपीएस	100	62.07	349.39	368.89	366.54
	नाथपा झाकड़ी एचपीएस	1500	1316.24	6507.15	7207.73	7050.64
	पार्वती-III एचपीएस	520	89.01	608.3	710.53	682.48
	पोंग एचपीएस	396	146.56	1512.56	1641.57	1369.93
रामपुर एचपीएस	412.02	374.22	1828.76	2015	1960.42	
सैंज एचपीएस	100	0	408.81	134.99	0	
संजय एचपीएस	120	105.36	589.42	493.39	187.4	
शानन एचपीएस	110	142.1	472.39	508.52	472.88	
जम्मू व कश्मीर	बगलीहार एचपीएस	450	429.75	2291.15	2506.71	2184.56
	बगलीहार-II एचपीएस	450	490.28	1857.91	1821.95	1758.98
	चूटक एचपीएस	44	8.99	48.96	45.72	44.12
	दुलहस्ती एचपीएस	390	412.89	2273.38	2343.86	2280.02
	किशनगंगा एचपीएस	330	221.63	529.25	1.68	0

	लोअर झेलम एचपीएस	105	110.69	589.33	480.99	483.15
	निम्मो बाजगो एचपीएस	45	17.26	105.55	98.83	95.21
	पम्पोर जीपीएस (लिक्वि.)	175	0	0	0	0
	सलाल एचपीएस	690	902.61	3412.55	3247.09	3423.09
	सेवा-II एचपीएस	120	181.12	498.32	506.39	470.61
	अपर सिंध-II एचपीएस	105	42.7	305.97	327.24	362.91
	उरी-I एचपीएस	480	706.52	3048.29	2349.66	2803.1
	उरी-II एचपीएस	240	336.54	1580.92	1207.44	1471.94
पंजाब	आनंदपुर साहिब एचपीएस				647.81	673.87
	आनंदपुर साहिब-I एचपीएस	67	56.15	405.86		
	आनंदपुर साहिब-II एचपीएस	67	54.96	21.92		
	गंगुवाल एचपीएस	77.65	96.37	599.37	494.09	416.54
	जीएच टीपीएस (लेह. मोह.)	920	86.47	2485.15	2944.5	2736.39
	जीएनडी टीपीएस (भटिंडा)	0	0	0	301.33	698.58
	गोइंदवाल साहिब टीपीपी	540	235.57	2445.49	1541	223.91
	कोटला एचपीएस	77.65	97.48	609.6	508.22	430.58
	मुकेरियां एचपीएस				1270.76	1083.51
	मुकेरियां-I एचपीएस	45	96.13	1175.44		
	मुकेरियां-II एचपीएस	45	2.33	19.2		
	मुकेरियां-III एचपीएस	58.5	3.24	24.66		
	मुकेरियां-IV एचपीएस	58.5	2.36	24.83		
	राजपुरा टीपीपी	1400	1447.03	9123.71	9110.04	9441.76
	रंजीत सागर एचपीएस	600	453.16	1454.52	1803.42	1306.08
	रोपड़ टीपीएस	840	13.64	1669.99	2274.36	2776.36
	तलवंडी साबो टीपीपी	1980	1923.59	10639.92	8556.82	7078.84
राजस्थान	अंता सीसीपीपी	419.33	179.26	550.65	450.94	695.18
	बरसिंगसर लिग्नाइट	250	166.26	1357.1	1648.81	1463.25
	छाबड़ा टीपीपी	2320	2208.69	10379.13	7630.44	6826.93
	डीएई (राजस्थान)	100	0	0	0	0
	धौलपुर सीसीपीपी	330	0	20.92	247.72	124.84
	गिरल टीपीएस	250	0	0	0	0
	जलीपा कपूर्दी टीपीपी	1080	1011.86	6700.1	6855.95	6622.49
	जवाहर सागर एचपीएस	99	2.08	247	261.1	307.55
	कालीसिंध टीपीएस	1200	678.55	5550.4	6691.18	5944.12
	कवाई टीपीएस	1320	1417.39	7599.26	5067.15	8289.27
	कोटा टीपीएस	1240	1318.74	7921.01	7213.05	7486.79
	माही बजाज एचपीएस				180.17	209.66
	माही बजाज-I एचपीएस	50	3.28	99.76		
	माही बजाज-II एचपीएस	90	1.35	17.32		
	आर.पी. सागर एचपीएस	172	0.02	334.32	378.26	448.78
	राजस्थान ए.पी.एस.	1080	1326.29	8034.28	8605.8	7472.6
	रामगढ़ सीसीपीपी	273.8	140.79	998.09	1448.68	1425.72
	सूरतगढ़ टीपीएस	1500	798.68	7168.92	4964.36	4474.99
उत्तर प्रदेश	अनपरा सी टीपीएस	1200	1439.44	8236.75	8397.1	8451.36
	अनपरा टीपीएस	2630	3447.13	20140.46	16618.51	15219.41
	औरैया सीसीपीपी	663.36	18.19	544.96	376.97	535.67
	बरखेड़ा टीपीएस	90	32.24	148.7	190.36	391.92
	दादरी (एनसीटीपीपी)	1820	1449.57	10533.54	9933.39	8765.46
	दादरी सीसीपीपी	829.78	437.85	1661.51	1627.81	2236.96
	हरदुआगंज टीपीएस	605	572.08	3141.52	3850.52	3825.11
	खांवरखेड़ा टीपीएस	90	31.67	141.2	181.51	375.3
	खारा एचपीएस	72	65.89	286.14	259.14	268.93
	कुंदरकी टीपीएस	90	50.23	203.67	192.12	460.8
	ललितपुर टीपीएस	1980	1475.04	5449.92	8565.92	3953.51
	मकसूदपुर टीपीएस	90	32.22	141.28	167.48	417.24
	माताटीला एचपीएस	30.6	9.37	97.48	93.81	122.68
	मेजा एसटीपीपी	660	279.67	69.61	8.22	
	नरौरा ए.पी.एस.	440	616.25	3161.89	3636.38	3378.89

	ओबरा एचपीएस	99	9	231.03	299.96	216.71
	ओबरा टीपीएस	1094	621.7	3648.03	4313.9	3842.06
	पंकी टीपीएस	0	0	0	338.69	762.6
	परीछा टीपीएस	1140	662.89	4978.88	6427.09	6139.11
	प्रयागराज टीपीपी	1980	1438.4	7759.32	5635.06	4468.48
	रिहंद एचपीएस	300	25.22	561.71	833.78	567.24
	रिहंद एसटीपीएस	3000	4130.88	22686.8	23530.54	21959.62
	रोसा टीपीपी फेज-I	1200	1321.71	4340.9	7718.8	7913.9
	सिंगरौली एसटीपीएस	2000	2594.42	14798.21	14781.83	15219.06
	टांडा टीपीएस	440	405.34	2371.8	3277.98	3241.42
	ऊंचाहार टीपीएस	1550	1573.89	7241	7092.48	6993.65
	उतरौला टीपीएस	90	32.76	196.09	192.93	415.02
उत्तराखंड	छिन्नो (यमुना) एचपीएस	240	174.94	809.53	783.57	714
	चीला एचपीएस	144	129.78	632.41	811.66	769.35
	धकरानी एचपीएस	33.75	31.37	147.48	129.68	120.19
	धालीपुर एचपीएस	51	44.12	219.99	186.71	180.4
	धौलीगंगा एचपीएस	280	237.22	1106.21	1153.16	956.13
	गामा सीसीपीपी	225	135.72	412.36	560.66	492.43
	काशीपुर सीसीपीपी	225	263.33	841.88	1062.33	476.58
	खटीमा एचपीएस	41.4	36.27	232.25	212.6	180.14
	खोदरी एचपीएस	120	80.06	369.68	355.75	333.29
	कोटेश्वर एचपीएस	400	223.52	1223.84	1220.33	1224.55
	कुलहल एचपीएस	30	28.12	146.55	123.97	122.2
	मनेरीभाली-I एचपीएस	90	91.25	430.4	394.77	349.22
	मनेरीभाली-II एचपीएस	304	257.22	1302.34	1276.65	1251.71
	रामगंगा एचपीएस	198	5.23	188.14	250.64	180.94
	श्रीनगर एचपीएस	330	220.54	1375.31	1382.54	1280.75
	टनकपुर एचपीएस	94.2	85.36	452.89	459.74	430.29
	टिहरी स्टे.-1 एचपीएस	1000	471.9	3172.08	3080.94	3146.32
	विष्णुप्रयाग एचपीएस	400	315.28	1932.02	2160.9	2042.05
छत्तीसगढ़	अकलतारा टीपीएस	1800	1958.01	7912.22	5806.98	6732.49
	अवंथा भंडार	600	0	0	572.13	2819.44
	बाल्को टीपीएस	600	530.17	2768.07	2313.07	3193.38
	बंधाखार टीपीपी	300	389.68	2137.6	2223.84	1405.4
	बारदरहा टीपीएस	1200	1215.05	6729.62	6536.81	7188.39
	भिलाई टीपीएस	500	554.08	3426.23	3877.77	3651.19
	बिंजकोट टीपीपी	600	484.09	1464.92	673.97	0
	चाकबुरा टीपीपी	30	43.56	241.55	268.75	242.94
	डीएसपीएम टीपीएस	500	679.72	3828.15	4042.97	3982.4
	हसदियोबांगो एचपीएस	120	40.85	243.08	178.07	153.76
	कसाइपाली टीपीपी	270	342.37	1900.36	1905.36	2012.43
	काटघोरा टीपीपी	35	0	0	0	0
	कोरबा एसटीपीएस	2600	3394.85	20083.42	20477.94	20364.88
	कोरबा-II	200	0	226.1	545.24	893.64
	कोरबा-III	240	239.47	1317.27	1242.2	1396.99
	कोरबा-वेस्ट टीपीएस	1340	1439.39	9472.41	9283.64	9235.86
	लारा टीपीपी	800	71.15	262.91	0	0
	मारवा टीपीएस	1000	729.09	6415.52	5720	2554.67
	नवापारा टीपीपी	600	594.6	3095.17	2741.13	714.27
	ओपी जिंदल टीपीएस	1000	489.46	3349.21	4221.47	4482.79
	पथाडी टीपीपी	600	658.7	4293.08	4139.42	4448.61
	रायखेडा टीपीपी	1370	699.44	2830.89	1367.92	763.34
	रतिजा टीपीएस	100	115.92	799.1	743.06	432.03
	सलोरा टीपीपी	135	0	0	0	0
	सीपत एसटीपीएस	2980	3968.45	23907.12	23009.82	23778.93
	एसवीपीएल टीपीपी	63	48.81	12.44	27.13	303.06
	स्वास्तिक कोरबा टीपीपी	25	0	0	0	0
	तमनार टीपीपी	2400	1426.79	7044.63	6684.29	4797.7

	उचपिंडा टीपीपी	1440	439.58	1953.26	1438.78	137.59
गोवा	गोवा सीसीपीपी (लिक्वि.)	48	0	0	0	0
गुजरात	अकरीमोता लिग. टीपीएस	250	129.78	1188.45	1357.12	1392.9
	बड़ौदा सीसीपीपी	160	0	0	35.56	135.09
	भावनगर सीएफबीसी टीपीपी	500	0	588.95	480.15	55.47
	डीजीईएन मेगा सीपीपी	1200	273.42	0.7	0	1.02
	धुवरन सीसीपीपी	594.72	69.65	699.97	595.78	306.76
	एस्सार सीसीपीपी	515	0	0	0	0
	गांधार सीसीपीपी	657.39	99.47	1573.91	3111.93	2358.82
	गांधी नगर टीपीएस	630	626.7	3703.99	3741.98	2172.33
	जीआईपीसीएल जीटी आईएमपी	0	31.88	202.85	196.18	203.42
	हजीरा सीसीपीपी	156.1	0	24.22	2.48	24.32
	हजीरा सीसीपीपी एक्सटें.	351	56.34	352.28	193.33	230.06
	कदाना एचपीएस	240	11.7	237.39	308.92	339.01
	काकरापारा	440	345.48	999.93	0	0
	कवास सीसीपीपी	656.2	451.89	2499.39	2405.9	1718.18
	कच्छ लिग. टीपीएस	290	193.09	1205.39	1297.78	1483.92
	मुंद्रा टीपीएस	4620	5573.33	23912.38	21907.95	30298.43
	मुंद्रा यूएमटीपीपी	4000	5122.7	26839.3	26514.87	27460.24
	पेगुथान सीसीपीपी	655	0	293.98	434.57	280.62
	पीपावाव सीसीपीपी	702	26.34	493.76	168.06	229.99
	एस सरोवर सीएचपीएच एचपीएस	250	49.61	594.84	562.86	876.34
	एस सरोवर आरबीपीएच एचपीएस	1200	0	0	376.61	2332.87
	साबरमती (सी स्टेशन)	60	0	0	0.01	0
	साबरमती (डी-एफ स्टेशन)	362	491.26	2785.64	2638.77	2759.1
	सलाया टीपीपी	1200	303.42	0	2682.42	5213.21
	सिक्का आरईपी टीपीएस	500	551.14	2725.93	2677.54	2148.22
	सुजैन सीसीपीपी	1147.5	1268.55	6237.45	6522.62	4771.5
	सूरत लिग. टीपीएस	500	599.36	3521.75	3271.72	3178.22
	उकई एचपीएस	300	46.02	210.58	303.53	395.66
	उकई टीपीएस	1110	1386.71	6936.96	6768.96	5296.15
	उनोसुजैन सीसीपीपी	382.5	173.35	0	0	0
	उतरन सीसीपीपी	374	54.78	418.22	257.59	157.14
	वानकबोरी टीपीएस	1470	1488.54	8343.14	7704.68	3929.62
मध्य प्रदेश	अमरकंटक एक्सटें टीपीएस	210	307.55	1636.16	1728.15	1481.04
	अनूपपुर टीपीपी	1200	1338.47	6689.6	6225.05	3760.16
	बानसागर टोन्स-I एचपीएस	315	194.15	578.35	545.37	1239.02
	बानसागर टोन्स-II एचपीएस	30	16.9	37.09	56.12	109.73
	बानसागर टोन्स-III एचपीएस	60	3.49	85.32	68.8	53.48
	बारगी एचपीएस	90	21.23	356.19	159.05	445.47
	बीना टीपीएस	500	489.91	2503.79	2465.28	812.85
	गदरवारा टीपीपी	800	178.62	0		
	गांधी सागर एचपीएस	115	0.66	249.88	351.38	351
	इंदिरा सागर एचपीएस	1000	181.04	1308.79	881.76	3320.79
	मधिखेड़ा एचपीएस	60	0.02	88.99	22.52	147.21
	महान टीपीपी	1200	951.78	3220.09	2918.23	2629.2
	निगरी टीपीपी	1320	1347.34	7330.28	7688.93	7266.96
	निवारी टीपीपी	45	35.6	77.38	87.88	237.26
	ओंकारेश्वर एचपीएस	520	116.42	612.04	443.6	1427.7
	राजघाट एचपीएस	45	0	80.02	58.21	62.26
	संजय गांधी टीपीएस	1340	1351.17	8680.63	7543.08	6843.25
	सासन यूएमटीपीपी	3960	5671.03	32877.27	31792.52	29414.72
	सतपुरा टीपीएस	1330	1068.14	7472.97	5020.85	3644.9
	सिओनी टीपीपी	600	515.09	2500.55	1666.87	311.25
	श्री सिंगाजी टीपीपी	2520	1800.63	7753.38	3954.09	2474.65
	विंध्याचल एसटीपीएस	4760	6193.26	37539	37495.73	32206.94
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीएस	1350	599.34	4074.09	4771.38	1874.7
	बेला टीपीएस	270	0	149.37	80.51	0

	भंडारधारा एचपीएस स्टे.-II	34	3.39	56.44	42.55	47.12
	भीरा एचपीएस	150	45.29	351.02	341.17	379.14
	भीरा पीएसएस एचपीएस	150	81.59	558.77	551.13	572.49
	भीरा टेल रेस एचपीएस	80	12.8	94.57	97.15	101.58
	भिवपुरी एचपीएस	75	74.04	315.9	307.2	206.59
	भुसावल टीपीएस	1210	1251.5	6595.75	6623.87	6120.56
	बुटीबोरी टीपीपी	600	0	2212.73	3306.31	3742.52
	चंद्रपुर (महाराष्ट्र) एसटीपीएस	2920	3276.57	15850.79	14798.22	14941.77
	दहानु टीपीएस	500	618.14	3617.02	3534.27	3742.55
	धारीवाल टीपीपी	600	607.87	3228.9	2393.27	1541.71
	जीईपीएल टीपीपी फेज-1	120	0	0	0	0
	घाटघर पीएसएस एचपीएस	250	24.7	192.98	152.83	383.87
	जीएमआर वारोरा टीपीएस	600	771.38	3895.25	3746.1	3703.42
	जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी	1200	1428.05	8019.75	6731.26	6681.86
	खापरखेड़ा टीपीएस	1340	1464.05	7471.18	6179.19	7714.77
	खोपोली एचपीएस	72	50.63	342.49	316.38	307.24
	कोराडी टीपीएस	2400	1818.8	8429.52	9387.08	5853.85
	कोयना डीपीएच एचपीएस	36	44.17	196.18	135.15	156.02
	कोयना-I एचपीएस				517.92	640.51
	कोयना-II एचपीएस	600	357.59	1024.61		
	कोयना-III एचपीएस				533.3	649.7
	कोयना-IV एचपीएस	320	244.91	480.65	498.91	614.14
	मनगांव सीसीपीपी	1000	754.68	1066.51	945.47	1245.48
	मौदा टीपीएस	388	0	0	0	215.44
	मिहान टीपीएस	2320	2211.45	11878.13	7971.14	4305.65
	कोयना-I एचपीएस	246	0	0	0	0
	नासिक (पी) टीपीएस	1350	0	0	1.69	0.72
	नासिक टीपीएस	630	583.92	2316.16	2887.88	3328.71
	पारस टीपीएस	500	709.54	2628.25	3116.32	2988.82
	पारली टीपीएस	1170	156.17	2842.07	3067.31	1627.09
	पेंच एचपीएस	160	10.85	131.61	159.53	360.14
	रत्नागिरी सीसीपीपी	1967.08	729.13	4465.63	4501.03	
	रत्नागिरी सीसीपीपी-I					0
	रत्नागिरी सीसीपीपी-II					2438.41
	रत्नागिरी सीसीपीपी-III					2119.31
	शोरपुर टीपीपी	150	0	0	4.74	
	सोलापुर एसपीएस	1320	76.69	1783.67	1397.56	0
	तारापुर	1400	2013.52	10766.42	6876.25	10860.2
	तिल्लारी एचपीएस	60	18.14	110.96	57.81	106.16
	तिरौरा टीपीएस	3300	4266.77	21665.55	17596.24	17642.56
	ट्रॉम्बे सीसीपीपी	180	260.75	1410.82	1353.66	1413.14
	ट्रॉम्बे टीपीएस	1250	853.7	5018.74	4940.5	4980.93
	उरन सीसीपीपी	672	398.57	2574.69	3211.7	3294.56
	वैतर्णा एचपीएस	60	55.09	154.17	204.62	153.52
	वर्धा वरौरा टीपीपी	540	0	1052.44	1129.7	1394.9
आंध्र प्रदेश	दामोदरम संजीवैयाह टीपीएस	1600	1480.29	6957.21	4939.92	8804.65
	डॉ एन. टाटा राव टीपीएस	1760	2074.69	10885.93	10821.55	11652.38
	गौतमी सीसीपीपी	464	0	0	0	0
	जीएमआर एनर्जी लि. - काकीनाडा	220	0	0	0	0
	गोदावरी सीसीपीपी	208	82.21	1142.85	572.4	1008.75
	जीआरईएल सीसीपीपी (राजमुंदरी)	768	0	0	0	643.51
	जेगुरुपडु फेज-I सीसीपीपी	235.4	83.88	826.31	1065.12	924.13
	जेगुरुपडु फेज-II सीसीपीपी	220	0	0	0	75.08
	कोनासीमा सीसीपीपी	445	0	0	0	0
	कोंडापल्ली एक्सटें. सीसीपीपी	366	0	0	0	157.32
	कोंडापल्ली सीसीपीपी	350	175.79	1667.06	660.7	850.27
	कोंडापल्ली एसटी-3 सीसीपीपी	742	0	0	0	1266.11
	एलवीएस पावर डीजी	36.8	0	0	0	0

	नागार्जुन सागर टीपीडी एचपीएस	90	0	101.55	59.73	4.15
	नागार्जुन सागर आरबीसी एचपीएस	50	1.5	49.92	42.13	7.35
	पैनमपुरम टीपीपी	1320	1532.72	8369.17	9833.58	9059.4
	पेड्डापूरम सीसीपीपी	220	0	0	0	0
	रायलसीमा टीपीएस	1650	1575.98	6637.55	6924.7	6711.64
	एसजीपीएल टीपीपी	1320	1706.57	9736.08	8970.59	1658.6
	सिम्हाद्री	2000	1897.08	12449.08	11773.71	14173.49
	सिम्हापुरी टीपीएस	600	0	99.46	25.02	1617.72
	श्रीशैलम एचपीएस	770	28.28	551.07	574.95	640.61
	थामिनापट्टनम टीपीएस	300	0	36.59	587.3	1373.63
	अपर सिलेरू एचपीएस	240	113.51	476.34	482.22	340.41
	वेमागिरी सीसीपीपी	370	0	0	0	305.33
	विजेश्वरम सीसीपीपी	272	116.23	1114.49	1192.04	691.1
	विजाग टीपीपी	1040	604.73	949.1	3326.14	3282.53
कर्नाटक	अलमत्ती डीपीएच एचपीएस	290	4.64	408.42	441.58	404.05
	बेल्तारी डीजी	25.2	0	0	0	0
	बेल्तारी टीपीएस	1700	877.22	4059.06	4021.14	6402.37
	भद्रा एचपीएस	26	1.68	55.21	15.69	27.06
	गेरुसुप्पा एचपीएस	240	85.5	525.67	280.89	276.6
	घाटप्रभा एचपीएस	32	8.16	80.67	48.37	48.74
	हम्पी एचपीएस	36	0.37	19.21	36.26	0.1
	जोग एचपीएस	139.2	41.97	194.44	191.48	288.25
	कद्रा एचपीएस	150	39.82	375.85	192.91	176.42
	कैगा	880	1277.06	7216.53	7533.41	6533.49
	कालिंदी एचपीएस	855	554.01	2777.85	1537.28	1344.82
	कालिंदी सुपा एचपीएस	100	107.68	596.16	290.98	239.2
	कोडासली एचपीएस	120	51.09	345.56	170.94	154.16
	कुडगी एसटीपीपी	2400	1088.53	7566.33	3945.19	25.49
	लिगनामक्की एचपीएस	55	35.71	252.53	125.55	105.64
	मुनीराबाद एचपीएस	28	0	89.42	51.38	31.49
	रायचूर टीपीएस	1720	2165.6	8917.98	10834.52	11495.67
	शारावथी एचपीएस	1035	912.69	4786.18	2722.35	2708.77
	शिवसमुद्रम एचपीएस	42	20.13	284.19	176.81	145.14
	टीबी डैम एचपीएस	36	1.73	152.54	97.71	81.16
	टोरंगलु टीपीएस (एसबीयू-I)	260	190.29	1319.47	1675.06	1714.95
	टोरंगलु टीपीएस (एसबीयू-II)	600	301.5	2484.62	2338.1	2700.39
	उडुपी टीपीपी	1200	1050.6	5214.35	6181.32	7875.42
	वराही एचपीएस	460	200.45	1243.79	762.44	740.75
	येलहान्का (डीजी)	127.92	0	0	0	0
	येरमारस टीपीपी	1600	0	790.93	997.45	246.54
केरल	ब्रह्मपुरम डीजी	63.96	0	0.28	0.46	5.53
	कोचीन सीसीपीपी (लिक्वि.)	174	0	0	42.65	0
	इदमलायर एचपीएस	75	59.33	345.5	256.26	171.72
	इदुक्की एचपीएस	780	635.15	2920.43	1611.06	1380.06
	कक्कड़ एचपीएस	50	39.12	221.66	159.88	131.68
	कोझीकोड डीजी	96	12.13	3.79	1.46	42.19
	कुट्टीयाडी एचपीएस	75	17.88	233.75	430.12	327.24
	कुट्टीयाडी एडिशि.एक्सटें. एचपीएस	100	55.62	270.27	170.94	151.48
	कुट्टीयाडी एक्सटें. एचपीएस	50	14.13	189.36		
	लोअर पेरियार एचपीएस	180	35.85	525.18	507.74	307.23
	नारीमंगलम एचपीएस	45	35.71	377.85	310.6	197.3
	पल्लिवसल एचपीएस	37.5	23.61	185.25	188.39	166.05
	पनियार एचपीएस	30	21.25	114.59	129.47	62.33
	पोरिंगलकुडू एचपीएस	32	3.93	94.6	116.74	91.1
	आर. गांधी सीसीपीपी (लिक्वि.)	359.58	0	0.81	4.19	15.4
	साबरिगिरी एचपीएस	300	281.45	1516.4	968.46	798.79
	सैंगुलम एचपीएस	48	24.96	122.98	144.91	115.66
	शोलायर एचपीएस	54	53.36	202.39	204.69	166.85

पुडुचेरी	कराईकल सीसीपी	32.5	42.61	229.88	226.45	246.84
तमिलनाडु	अलियार एचपीएस	60	5.33	48.57	90.08	61.73
	बी. ब्रिज डीजी	120	0	0.05	6.12	10.98
	बेसिन ब्रिज जीटी (लिक्वि.)	30	2.63	77.16	37.62	19.83
	भवानी बैराज-III एचपीएस	30	0	34.06	0	17.47
	भवानी बैराज-II एचपीएस	30	1.33	70.21	16.96	20.59
	एन्नोर टीपीएस	0	0	0	0	191.99
	आईटीपीसीएल टीपीपी	1200	1105.07	5544.59	5724.29	4975.7
	कदमपरी एचपीएस	400	0.79	434.75	384.36	289.39
	करूपपुर सीसीपीपी	119.8	129.26	647.48	480.13	478.97
	कोडायार एचपीएस				123.98	169.43
	कोडायार-I एचपीएस.	60	11.45	144.11		
	कोडायार-II एचपीएस.	40	0.01	49.97		
	कोविकलपल सीसीपीपी	107.88	38.92	315.36	302.47	348
	कुडनकुलम	2000	1101.14	6142.61	8718.54	6466.02
	कुडहा एचपीएस				806.23	815.61
	कुडहा-I एचपीएस.	60	43.32	270.77		
	कुडहा-II एचपीएस.	175	101.88	678.67		
	कुडहा-III एचपीएस.	180	56.69	397.66		
	कुडहा-IV एचपीएस.	100	5.74	172.05		
	कुडहा-V एचपीएस.	40	6.09	89.84		
	कुडलम सीसीपीपी	100	29.09	410.27	349.49	380.17
	लोअर मेडूर एचपीएस				131.95	92.27
	लोअर मेडूर-I	30	4.06	69.66		
	लोअर मेडूर-II	30	2.17	31.68		
	लोअर मेडूर-III	30	3.45	65.27		
	लोअर मेडूर-IV	30	2.15	53.7		
	मद्रास ए.पी.एस.	440	262.21	1490.93	2975.74	3204.67
	मैदूर डैम एचपीएस	50	10.87	147.96	52.24	44.75
	मेदूर टीपीएस	840	1080.43	5807.22	7558.6	9177.43
	मेदूर टीपीएस-II	600	726.26	3153.1		
	मेदूर टनल एचपीएस	200	5.91	440.59	163.32	80.73
	मोयार एचपीएस	36	13.93	161.99	94.4	61.52
	मथियारा टीपीपी	1200	346.04	3221.74	3906.24	3749.1
	नैवेली (एक्सटें.) टीपीएस	420	565.52	2949.65	3247.15	3328.33
	नैवेली टीपीएस-I	500	500.41	3105.9	3379.73	3696.52
	नैवेली टीपीएस (जेड)	250	260.66	1290.36	1025.27	1078.69
	नैवेली टीपीएस-II	1470	1828.33	10744.54	10262.56	11052.08
	नैवेली टीपीएस-II एक्सपें.	500	324.75	1931.31	2009.9	1373.25
	नॉर्थ चेन्नई टीपीएस	1830	2065.02	10711.12	10062.78	10092.3
	पी. नल्लूर सीसीपीपी	330.5	0	0	0	189.35
	पपानासम एचपीएस	32	1.55	120.91	115.28	66.54
	पर्सन्स वैली एचपीएस	30	0	45.94	27.11	23.95
	पेरियार एचपीएस	161	0	703	287.1	93.91
	पाइकारा एचपीएस	59.2	0.04	22.05	0.98	12.74
	पाइकारा अल्टीमेट एचपीएस	150	40.21	507.96	274.11	192.55
	समलपट्टी डीजी	105.7	0	0	0	0
	समयानल्लूर डीजी	106	0	0	0	12.01
	सरकारपथी एचपीएस	30	26.6	129.65	85.46	63.29
	शोलायर एचपीएस (टीएन)	70	0	220.86	157.73	228.11
	सुरुलियार एचपीएस	35	7.92	92.55	70.69	42.71
	तृतीकोरिन (जेवी) टीपीपी	1000	502.64	5486.62	5412.83	6252.04
	तृतीकोरिन (पी) टीपीपी	300	0	0	0	23.62
	तृतीकोरिन टीपीएस	1050	1280.64	6306.31	5247.18	5547.59
	वालंटरवी सीसीपीपी	52.8	51.54	352.86	371.45	378.18
	वल्लूर टीपीपी	1500	1202.42	7706.87	7167.72	9210.86
	वलुथूर सीसीपीपी	186.2	227.74	1178.03	1258.51	966.71
तेलंगाना	काकातिया टीपीएस	1100	1491.33	7727.37	7392.3	6578.52

	कोथागुडम टीपीएस	420	424.75	3611.15	3871.07	3964.11
	कोथागुडम टीपीएस (न्यू)	1800	2438.21	9210.48	7131.2	6586.16
	लोअर जुराला एचपीएस	240	0	153.31	205.9	176.34
	लोअर सिलेरू एचपीएस	460	174.06	1094.06	1109.77	831.9
	नागार्जुन सागर एचपीएस	815.6	17.7	338.82	184.49	186.15
	नागार्जुन सागर एलबीसी एचपीएस	60	0	53.3	12.8	0
	पोचमपड एचपीएस	36	0.4	31.7	35.69	75.29
	प्रियदर्शिनी जुराला एचपीएस	234	0	165	217.4	211.99
	पुलीचिंताला एचपीएस	120	0	17.3	6.6	13
	रामागुंडम-बी टीपीएस	62.5	83.42	423.03	474.84	453.7
	रामागुंडम एसटीपीएस	2600	3151.14	18547.91	18867.65	19597.52
	सिंगरैनी टीपीपी	1200	1618.23	8698.48	9575.16	4099.33
	श्रीशैलम एलबी एचपीएस	900	20.73	985.18	829.1	617.22
अंडमान निकोबार	अंड. निकोबार डीजी	40.05	19.89	120.73	258.79	215.56
बिहार	बरौनी टीपीएस	710	8.89	44.85	39.48	131.42
	बाढ़-II	1320	1753.33	9845.23	9272.35	7642.01
	कहलगाँव टीपीएस	2340	2502.74	16485.91	16316.65	15947.93
	मुजफ्फरपुर टीपीएस	610	670.94	3039.78	1750.61	793.49
	नबी नगर टीपीपी	750	764.56	2754.75	1060.94	0
डीवीसी	बोकारो बी टीपीएस	210	52.99	688.44	573.94	1456.68
	बोकारो टीपीएस 'ए' एक्सपी	500	527.6	2920.75	2924.25	208
	चंद्रपुर (डीवीसी) टीपीएस	630	689.08	3560.59	4075.82	5642.7
	दुर्गापुर स्टील टीपीएस	1000	1230.18	6293.54	6503.85	6655.77
	दुर्गापुर टीपीएस	210	34.18	981.28	947.1	592.72
	कोडरमा टीपीपी	1000	1275.31	6278.75	5911.3	3801.77
	मैथॉन एचपीएस	63.2	1.28	101.36	114.41	122.03
	मेजिया टीपीएस	2340	2606.7	12744.35	12478.48	12936.78
	पंचेट एचपीएस	80	4.8	79.79	141.94	133.51
	रघुनाथपुर टीपीपी	1200	827.95	3208.4	2279.47	2016.51
झारखंड	जोजोबेरा टीपीएस	240	282.86	1519.04	1618.38	2274.02
	महादेव प्रसाद एसटीपीपी	540	469.85	2876.22	2909.92	3257.47
	मैथॉन आरबी टीपीपी	1050	1221.5	7267.81	7345.34	7356.63
	पतरातु टीपीएस	0	0	0	0	385.88
	सुबर्णरेखा एचपीएस				190.38	30.13
	सुबर्णरेखा-I एचपीएस	65	0.35	51.47		
	सुबर्णरेखा-II एचपीएस	65	0.31	49.72		
	टेनुघाट टीपीएस	420	415.97	1689.05	1933.31	1423.3
ओडिशा	बालीमेला एचपीएस	510	303.88	1732.21	1477.19	1001.38
	चिपलीमा एचपीएस	72	34.29	168.31		
	देरांग टीपीपी	1200	753.22	4213.6	3657.42	6515.3
	हीराकुड एचपीएस	275.5	61.76	380.27	863.05	716.97
	आईबी वैली टीपीएस	420	546.88	3085.46	2840.33	3235.67
	आईसीसीएल (आईएमएफए) आईएमपी	0	30.21	186.59	296.5	320.25
	कमलंगा टीपीएस	1050	1228.71	6690.02	5583.99	5932.79
	मचकुंद एचपीएस	114.75	113.54	593.68	467.7	700.31
	नाल्को आईएमपी	0	15.56	194.02	279.43	315.43
	रेंगाली एचपीएस	250	55.54	837.89	762.61	553.56
	स्टरलाइट टीपीपी	1200	74.4	828.09	1074.47	7801.53
	तालचर (ओल्ड) टीपीएस	460	663.49	3606.84	3780.71	3759.53
	तालचर एसटीपीएस	3000	3812.57	21242.3	22976.99	22847.48
	अपर इंद्रावती एचपीएस	600	403.5	2141.84	1745.57	1521.64
	अपर कोलाब एचपीएस	320	139.11	923.25	706.87	619.34
	उत्कल टीपीपी (इंड बराथ)	350	0	0	0	0
सिक्किम	चूजाचैन एचपीएस	110	69.44	417.4	444.79	494.75
	दिकचू एचपीएस	96	81.31	462.24	370.1	
	जोरथांग लूप	96	37.69	409.75	406.01	405.63
	रंगित एचपीएस	60	52.03	349.09	345.91	347.14

	ताशिडिंग एचपीएस	97	40.62	423.73	73.07	0
	तीस्ता-V एचपीएस	510	580.35	2701.46	2818.78	2773.46
	तीस्ता-III एचपीएस	1200	1116.67	4258.4	4429.33	309.42
पश्चिम बंगाल	बकरेश्वर टीपीएस	1050	1439.12	7182.26	7486.77	7050.54
	बंदेल टीपीएस	330	204.99	1315.39	1926.03	1885.02
	बज बज टीपीएस	750	1049.73	6011.69	6033.39	5410.75
	डी.पी.एल. टीपीएस	660	544.06	2442.23	2524.46	2143.41
	फरक्का एसटीपीएस	2100	2444.88	14846.44	13356.91	13743.98
	हल्दिया जीटी (लिक्वि.)	40	0	0	0	0
	हल्दिया टीपीपी	600	753.52	4614.74	4525.89	4015.49
	हिरनमये टीपीपी	300	0	80.71	27.48	
	जलढाका एचपीएस स्टे.-I	36	34.96	197.04	145.18	205.46
	कसबा जीटी (लिक्वि.)	40	0	0	0	0
	कोलाघाट टीपीएस	1260	772.6	4422.88	4749.84	6038
	पुरुलिया पीएसएस एचपीएस	900	161.24	1103.97	1014.37	1106.97
	रम्माम एचपीएस	50	23.36	236.93	122.47	248.42
	सागरदिघी टीपीएस	1600	1236.81	6051.94	6341.75	4877.43
	संतालडिह टीपीएस	500	674.12	3552.62	2941.59	3667.33
	सदर्न रिप. टीपीएस	135	101.32	283.78	303.76	410.68
	तीस्ता लो डैम-III एचपीएस	132	93.79	572.06	386.87	553.87
	तीस्ता लो डैम-IV एचपीएस	160	114.93	708.45	495.15	602.53
	टीटागढ़ टीपीएस	240	0	0	0	232.81
अरुणाचल प्रदेश	पारे एचपीएस	110	62.9	347.16	0	0
	रंगानदी एचपीएस	405	172.88	1051.86	1416.74	1249.01
असम	बोंगाईगांव टीपीपी	750	708.16	2824.21	1732.17	1680.27
	कारबी लांगपी एचपीएस	100	40.34	372.72	484.98	396.59
	कथलगुड़ी सीसीपीपी	291	285.69	1639.49	1598.25	1572.63
	खोंडोंग एचपीएस	50	35.46	203.82	260.77	197.1
	कोपिली एचपीएस	200	148.95	1117.82	1172.83	1088.27
	लकवा जीटी	97.2	56.15	464.66	657.03	888.73
	लकवा रिप्लेसमेंट पावर प्रोजे.	69.76	91.18	287.86		
	नामरूप सीसीपीपी	161.25	41.86	314.4	326.86	354.88
मणिपुर	लीमाखोंग डीजी	36	0	0	0	0
	लोकटक एचपीएस	105	70.89	602.61	837.74	741.07
मेघालय	किरदमकुई एचपीएस	60	15.16	134.84	132.18	65.29
	मिटडू (लेशका) स्टे.-1 एचपीएस	126	54.4	362.95	502.47	391.65
	न्यू उमतरू एचपीएस	40	14.68	180.03	159.52	0
	उमियम एचपीएस स्टे.-I	36	10.61	85.11	128.65	96.65
	उमियम एचपीएस स्टे.-IV	60	16.34	166.6	217.44	166.01
मिजोरम	तुरियल एचपीएस	60	7.89	168.44	78.37	
नागालैंड	दोयांग एचपीएस	75	5.54	231.47	274.39	258.94
त्रिपुरा	अगरतला जीटी	135	116.01	650.63	688.27	904.58
	बारामुरा जीटी	58.5	28.99	173.54	177.88	188.25
	मोनार्चक सीसीपीपी	101	110.08	681.27	671.53	172.05
	रोखिया जीटी	111	74.31	414.03	408.43	435.94
	त्रिपुरा सीसीपीपी	726.6	872.93	4711.38	4053.16	4173.07
भूटान (आयात)	भूटान (आयात)		592.7	4406.62	4778.33	5617.34
		278392.07	226010.27	1249336.7	1206306.25	1160140.94

टिप्पणी: * अनंतिम

1. सकल उत्पादन केवल पारंपरिक स्रोतों (थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लियर) के 25 मेगावाट और उससे अधिक के स्टेशनों से है।
2. ऊपर दिए गए आंकड़ें संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भौगोलिक रूप से स्थित सभी विद्युत स्टेशनों (केंद्रीय, राज्य और निजी क्षेत्र) का सकल उत्पादन दर्शाते हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3010

जिसका उत्तर 11 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

टांडा मे एनटीपीसी संयंत्र का उत्पादन

3010. श्री रितेश पाण्डेय:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2018-19 और 2019-20 के दौरान एनटीपीसी ने टांडा में माह-वार कितना उत्पादन किया है;

(ख) क्या उक्त उत्पादन जनवरी और फरवरी 2019 की तुलना में औसत से कम था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खरीदी गई विद्युत की मात्रा का आपूर्ति-वार विवरण का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान टांडा में एनटीपीसी के संयंत्र का माह-वार उत्पादन अनुबंध-I में दिया गया है। विद्युत का उत्पादन फरवरी, 2019 तथा मार्च, 2019 में कम था क्योंकि ग्रिड प्रतिबंध के कारण दिनांक 15.02.2019 से 23.03.2019 तक सभी इकाइयां बंद थी। शट-डाउन (नियोजित शट-डाउन) अनिवार्य बायलर निरीक्षण के लिए 31.03.2019 तक बढ़ाया गया था।

(घ) : वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खरीदी गई विद्युत का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 11.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3010 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

2018-19 और 2019-20 के दौरान टांडा में एनटीपीसी संयंत्रों का विद्युत आउटपुट

वित्तीय वर्ष 2018-19		वित्तीय वर्ष 2019-20	
माह	उत्पादन (एमयू)	माह	उत्पादन (एमयू)
अप्रैल, 2018	216.9	अप्रैल, 2019	216.1
मई, 2018	207.1	मई, 2019	189.1
जून, 2018	231.6	जून, 2019	200.9
जुलाई, 2018	188.8		
अगस्त, 2018	211.4		
सितंबर, 2018	200.6		
अक्तूबर, 2018	257.6		
नवंबर, 2018	253.4		
दिसंबर, 2018	234.2		
जनवरी, 2019	255.9		
फरवरी, 2019	110.4		
मार्च, 2019	3.7		

लोक सभा में दिनांक 11.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3010 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

उत्तर प्रदेश द्वारा खरीदी गई विद्युत का ब्यौरा

संगठन/परियोजना	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20 (अप्रैल, 2019 तक)
	ऊर्जा एमयू में	ऊर्जा एमयू में	ऊर्जा एमयू में
क) राज्य और अन्य क्षेत्र : -			
यूपीआरवीयूएनएल	28801.63	29636.12	2268.85
यूपीजेवीएनएल	1269.56	989.23	0.00
आईपीपी	46745.92	42081.06	3734.21
सह-उत्पादक	3775.72	4488.88	506.55
सौर	517.66	875.39	90.27
सूक्ष्म जल विद्युत	1.84	1.58	0.00
सीपीपी	81.56	56.11	0.00
कुल	81193.89	78128.37	6599.89
ख) केंद्रीय क्षेत्र : -			
एनएपीपी	1095.08	1030.35	104.00
आरएपीपी बी (III व IV)	560.47	480.47	45.45
आरएपीपी सी (V व VI)	734.49	866.12	66.76
टीएपीपी 3 व 4	0	22.37	2.64
केएपीएस	0	3.19	0.53
एनपीसीआईएल	2390.04	2402.51	219.38
सलाल	214.25	224.13	29.54
टनकपुर	68.39	72.92	8.65
उरी I, II	731.7	958.25	113.68
चमेरा-I	459.65	491.59	67.45
चमेरा-II	354.78	395.26	52.15
चमेरा-III	240.36	256.23	34.56
धौलीगंगा	253.22	271.33	26.13
दुलहस्ती	563.83	595.36	60.6
सेवा-II	128.28	132.97	26.45
पारबती-III	159.3	155.70	10.61
किशनगंगा	0	212.86	57.35
एनएचपीसी	3173.76	3766.59	487.17

अंता	96.9	56.79	24
ओरैया	55.47	23.15	0
दादरी (गैस)	486.26	279.38	75.42
ऊंचाहार-I, II, III व IV	2988.94	2254.98	198.32
ईआर पावर	200.03	153.75	10.44
कहलगांव-I, II	2073.3	1597.89	85.77
कोलडैम (हाइड्रो पावर स्टेशन)	625.78	634.00	46.23
दादरी थर्मल-I	643.88	339.11	17.62
दादरी थर्मल-II	601.19	332.07	30.61
रिहंद-I, II, III	7672.89	6947.93	584.67
सिंगरौली	5570.35	5186.58	399.47
टांडा	2938.29	2091.00	184.13
सिंगरौली एसएचपीएस	0	6.20	0.31
झनोर जीपीएस	0	2.21	0
कोरबा-I एसटीपीएस	0	17.84	2.22
कोरबा-III एसटीपीएस	0	10.36	0.78
कवास जीपीएस	0	2.82	0.13
मौदा-I जीपीएस	0	25.19	1.29
मौदा-II जीपीएस	0	32.61	4.73
सोलापुर टीपीएस	0	9.00	0
सीपत-I	0	43.75	4.58
सीपत-II एसटीपीएस	0	12.17	1.47
विंध्याचल-I एसटीपीएस	0	15.41	1.32
विंध्याचल-II एसटीपीएस	0	11.71	1.32
विंध्याचल-III एसटीपीएस	0	12.39	1.30
विंध्याचल-IV एसटीपीएस	0	17.92	1.51
विंध्याचल -V एसटीपीएस	0	8.34	0.74
एनटीपीसी	23953.28	20124.57	1678.38
टिहरी	1188.92	1279.14	98.28
कोटेश्वर	485.77	526.82	44.77
टीएचडीसी	1674.69	1805.96	143.05
एनवीवीएन बंडल्ड थर्मल पावर	674.63	609.47	73.7
एनवीवीएन बंडल्ड सोलर पावर	212.56	331.52	37.28
एसजेवीएनएल	1476.65	1452.16	130.4
टीएएलए (पीटीसी)	127.43	112.03	3.03
तीस्ता-III	0	742.96	59.37
द्विपक्षीय करार एवं आईईएक्स व पीईएक्स	3848.92	5422.40	272.16
पवन विद्युत	0	230.42	49.47

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3014

जिसका उत्तर 11 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

विद्युत संयंत्रों की स्थापना

3014. श्री अशोक कुमार रावत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या हरदोई और सीतापुर सहित उत्तर प्रदेश में मिश्रिक क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर एनटीपीसी के विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या उक्त क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) उक्त क्षेत्र में विद्युत संयंत्र कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है और इस पर अनुमानित कितनी लागत आने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : एनटीपीसी उत्तर प्रदेश के मिश्रिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत बिल्हौर में 140 मेगावाट और 85 मेगावाट क्षमता की दो सौर विद्युत परियोजनाएं स्थापित कर रहा है। वर्तमान में दोनों परियोजनाएं कार्यान्वयनधीन हैं और इनके नवम्बर, 2020 तक प्रचालनात्मक होने की संभावना है। इन दो परियोजनाओं संभावित अनुमानित लगभग 1078.13 करोड़ रुपए है।

(ग) और (घ) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने 2003 से 2014 की अवधि के दौरान रिमोट सेंसिंग टैक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए सैटेलाइट मैपिंग के आधार पर ताप विद्युत संयंत्रों के लिए स्थल अभिचिन्हित करने हेतु सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट (सीएमपीडीआई) और नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी (एनआरएसए) से अध्ययन कराया था। उत्तर प्रदेश के मिश्रिक क्षेत्र में ताप विद्युत संयंत्रों के लिए संभावित स्थलों के रूप में प्रत्येक 2000 मेगावाट की क्षमता वाले दो स्थल अर्थात संडीला और पिहानी अभिचिन्हित किए गए थे।

(ङ) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के पश्चात विद्युत उत्पादन एक लाइसेंस कार्यकलाप है और कोई भी उत्पादक कंपनी व्यवहार्यता ईंधन की उपलब्धता आदि जैसे मुद्दों पर विचार करते हुए ताप विद्युत परियोजना स्थापित कर सकती है। इस प्रकार, ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की प्रौद्योगिक-आर्थिक स्वीकृति अपेक्षित नहीं है तथा ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव सीईए में प्राप्त नहीं किए जा रहे हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3016

जिसका उत्तर 11 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

नई विद्युत परियोजनाएँ

3016. कुमारी राम्या हरिदास:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दस वर्षों के दौरान देश में विद्युत का उपयोग बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में विद्युत उत्पादन मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश विशेषकर केरल में केन्द्रीय योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा किन नई विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत 2009-10 के दौरान 779 यूनिटों से बढ़कर 2018-19 के दौरान 1181 यूनिट हो गई है।

(ग) : 30 जून, 2019 की स्थिति के अनुसार संस्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 358 गीगावाट (जीडब्ल्यू) है जो देश की विद्युत मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। चालू वर्ष के दौरान, अधिकतम व्यस्ततम मांग लगभग 184 जीडब्ल्यू थी, जो सफलतापूर्वक पूरी की गई।

(घ) : विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत उत्पादन एक लाइसेंसमुक्त कार्यकलाप है। विद्युत उत्पादन परियोजनाएं विद्युत की मांग और तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न यूटिलिटियों एवं राज्य/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) द्वारा स्थापित की जाती हैं। वर्ष 2019 के दौरान, केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (1320 मेगावाट), बिहार में बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (1320 मेगावाट), जम्मू एवं कश्मीर में किरू हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट (624 मेगावाट) एवं सिक्किम में तीस्ता-IV हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट (500 मेगावाट) के लिए निवेश अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3018

जिसका उत्तर 11 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत ग्रिड

3018. श्री बी. बी. पाटील:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में एक बड़ी जनसंख्या की विद्युत ग्रिड तक पहुँच नहीं है और वे पूर्णतया अंधेरे में रह रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (ख) क्या उनके द्वारा किरोसीन लालटेनों का उपयोग किया जाता है जोकि उनके स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं; और
- (ग) देश में सभी को विद्युत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने सम्पूर्ण देश में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी शेष गैर-विद्युतीकृत घरों तथा शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराकर सार्वभौमिक घरों के विद्युतीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य की शुरुआत की। इस योजना में उन दूर-दराज के और गैर-पहुंच वाले गांवों/वासस्थलों, जहां ग्रिड एक्सटेंशन व्यवहार्य नहीं है अथवा लागत बहुत अधिक है वहां गैर-विद्युतीकृत घरों को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए सौर आधारित स्टैंडअलोन का प्रावधान शामिल है।

सभी राज्यों ने सौभाग्य पोर्टल पर 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार सभी घरों को, छत्तीसगढ़ के एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्र में आने वाले 18734 घरों को छोड़कर, विद्युतीकृत किए जाने की घोषणा की। बाद में राजस्थान सरकार ने सूचित किया कि कुछ अतिरिक्त घर विद्युतीकरण हेतु शेष हैं। उन्हें शीघ्र ही शेष घरों को विद्युतीकृत करने के लिए कहा गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3021

जिसका उत्तर 11 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र में गांवों का विद्युतीकरण

3021. श्री नाबा कुमार सरनीया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अभी तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने गांवों को विद्युत प्रदान की गई है;

(ख) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में अभी तक राज्य-वार कितने गांवों को विद्युतीकृत किया गया है;

(ग) असम सहित उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में राज्य-वार कितने गांवों को अभी विद्युतीकृत किया जाना है;

(घ) इनके कब तक विद्युतीकृत किए जाने की संभावना है;

(ङ) इन गांवों को विद्युतीकृत किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है; और

(च) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई राजसहायता प्रदान करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ङ) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 28.04.2018 तक पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित पूरे देश में सभी आवासित जनगणना गांव विद्युतीकृत किए जा चुके हैं।

(च) : प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3046

जिसका उत्तर 11 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

बिजली उत्पादन हेतु झारखंड को वित्तीय सहायता

3046. डॉ. निशिकांत दुबे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान झारखंड सरकार ने राज्य में बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार उक्त उद्देश्य के लिए आवश्यक निधियों को मंजूरी देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : झारखंड सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता नहीं मांगी है।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3060

जिसका उत्तर 11 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

सौभाग्य हेतु समझौते

3060. श्री रेबती त्रीपुरा:

श्री अजय निषाद:

श्री मनोज तिवारी:

श्री संतोष कुमार:

श्री विजय कुमार दूबे:

श्री अनुराग शर्मा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) उत्तर पूर्व क्षेत्र सहित प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में निकट भविष्य में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना "सौभाग्य" के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोई समय सीमा तय की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) इस योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हस्ताक्षरित/किए गए समझौतों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
- (घ) वर्ष 2019-20 के लिए किए गए आवंटन का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी शेष गैर-विद्युतीकृत घरों तथा शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराकर सार्वभौमिक रूप से घरों के विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 16,320 करोड़ रुपए के परिव्यय से अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य की शुरुआत की थी।

छत्तीसगढ़ में एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों में 18,734 घरों को छोड़कर सभी राज्यों ने सौभाग्य पोर्टल पर सभी घरों के विद्युतीकरण की घोषणा की है। सौभाग्य योजना के शुरू होने के बाद 31 मार्च, 2019 तक देश भर में 2.63 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया था। राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। इसके बाद राजस्थान सरकार ने 01.07.2019 को राज्य में 1,45,528 अतिरिक्त गैर विद्युतिकृत घरों तथा छत्तीसगढ़ सरकार ने 14.06.2019 को 40,394 गैर विद्युतिकृत घरों की सूचना दी है। उन्हें इन घरों को कनेक्शन देने का कार्य पूरा करने की सलाह दी गई है।

(घ) : सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण की समय-सीमा 31 मार्च, 2019 थी। इसलिए इस संबंध में प्रश्न नहीं उठता।

लोक सभा में दिनांक 11.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3060 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

11.10.2017 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान सौभाग्य पोर्टल के अनुसार विद्युतीकृत घरों की राज्य-वार संख्या

क्रम सं.	राज्यों के नाम	विद्युतीकृत घरों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	181,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089
3	असम	1,745,149
4	बिहार	3,259,041
5	छत्तीसगढ़	749,397
6	गुजरात	41,317
7	हरियाणा	54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891
9	जम्मू और कश्मीर	387,501
10	झारखंड	1,530,708
11	कर्नाटक	356,974
12	मध्य प्रदेश	1,984,264
13	महाराष्ट्र	1,517,922
14	मणिपुर	102,748
15	मेघालय	199,839
16	मिजोरम	27,970
17	नागालैंड	132,507
18	ओडिशा	2,452,444
19	पुडुचेरी	912
20	पंजाब	3,477
21	राजस्थान	1,862,736
22	सिक्किम	14,900
23	तमिलनाडु	2,170
24	तेलंगाना	515,084
25	त्रिपुरा	139,090
26	उत्तर प्रदेश	7,980,568
27	उत्तराखंड	248,751
28	पश्चिम बंगाल	732,290
	कुल	26,284,350

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3075

जिसका उत्तर 11 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

आयातित कोयले पर निर्भरता

3075. श्री चन्दन सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कई विद्युत उत्पादक परियोजनाएं आयातित कोयले पर निर्भर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी (परियोजना-वार) ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयातित कोयले के कारण विद्युत उत्पादन की लागत बढ़ जाती है जिसका भुगतान उपभोक्ताओं को करना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विद्युत की लागत में कितनी वृद्धि होती है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : जी, हां। कुछ विद्युत संयंत्र आयातित कोयले पर प्रचालित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार आयातित कोयले पर प्रचालित करने हेतु डिजाइन किए गए कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कुछ विद्युत संयंत्र घरेलू कोयले के साथ मिलाने हेतु आयातित कोयले का प्रयोग करते हैं।

(ग) और (घ) : ताप विद्युत संयंत्र का परिवर्तनीय प्रभार विभिन्न घटकों जैसे मूल्य, ग्रास कैलोरिफिक वैल्यू तथा आयातित एवं घरेलू कोयले की दुलाई लागत पर निर्भर करता है। उपभोक्ताओं को आपूर्ति के लिए वितरण लाइसेंसी द्वारा खरीदी गई विद्युत मैरिट आर्डर डिस्पेच सिस्टम पर आधारित होती है। तदनुसार, सबसे सस्ती विद्युत पहले शेड्यूल की जाती है तथा महंगी शेड्यूल की जाती है अथवा नहीं की जाती और उपभोक्ता की विद्युत मांग पर निर्भर करती है।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 11.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3075 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

देश में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र जिन्हें आयातित कोयले से भी प्रचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है

क्रम सं.	ताप विद्युत स्टेशन का नाम	क्षमता (मेगावाट)
1	सिक्का टीपीएस	500
2	ट्रॉम्बे टीपीएस	1250
3	रत्नागिरी टीपीएस	1200
4	टोरंगुल्लू एसबीयू-1 टीपीएस	260
5	टोरंगुल्लू एसबीयू-11 टीपीएस	600
6	मुंद्रा टीपीएस	4620
7	उडुपी टीपीएस	1200
8	मुंद्रा यूएमटीपीपी	4000
9	एस्सार (सलाया) टीपीएस	1200
10	सिम्हापुरी टीपीएस	600
11	थामिनापट्टनम टीपीएस	300
12	मुथियारा टीपीएस	1200
13	आईटीपीसीएल-कुड्डालोर टीपीएस	1200

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3077

जिसका उत्तर 11 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

पारेषण और वितरण हानियां

3077. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा:

श्री एस. ज्ञानतिरावियम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देश में पारेषण तथा वितरण हानियों को कम करने हेतु क्या लक्ष्य तय किया गया है और इस संबंध में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या उपलब्धि प्राप्त हुई है;

(ख) क्या सरकार का पारेषण और वितरण हानियों को कम करने पर राज्यों को प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन देने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का संपूर्ण विद्युत पारेषण और वितरण प्रणाली के पुनरुद्धार और सशक्तीकरण हेतु कई करोड़ रुपये प्रदान करने का भी विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : भारत सरकार ने राज्य स्वामित्व की विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कामों) का वित्तीय और प्रचालनात्मक टर्नअराउंड के लिए नवंबर 2015 में उज्ज्वल डिस्काम एश्योरेंस योजना (उदय) शुरू की तथा इस स्कीम के अन्तर्गत, वित्तीय वर्ष 2018-19 तक सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएण्डसी) हानियों को 15 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य है।

राज्यों द्वारा उदय पोर्टल पर डाले गये नवीनतम अनंतिम आकड़ों के अनुसार राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटियों ने सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएण्डसी) हानियों में सुधार किया है जो वर्ष 2015-16 में 20.80 प्रतिशत से वर्ष 2017-18 में घट कर 18.76 प्रतिशत हो गया है।

एटीएण्डसी हानियों के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार लक्ष्य और उपलब्धियां **अनुबंध** में दी गयी हैं।

(ख) से (ङ) : वितरण नेटवर्क में एटीएण्डसी हानियों को कम करने का उत्तरदायित्व राज्य विद्युत विभाग/यूटिलिटियों का होता है। भारत सरकार ने राज्यों को उनकी वितरण अवसंरचना प्रणालियों तथा डिस्कामों के प्रबंधन में सुधार करने के लिए एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और उज्ज्वल डिस्काम एश्योरेंस योजना (उदय) जैसी विभिन्न स्कीमों की शुरुआत की है ताकि एटीएण्डसी हानियों को कम किया जा सके। एटीएण्डसी हानियों को कम करने के लिए आईपीडीएस/डीडीयूजीजेवाई स्कीमों के अन्तर्गत परियोजनाओं में उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना का सृजन/संवर्धन, वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग, वितरण अवसंरचनाओं का आईटी सक्षमीकरण सहित भूमिगत (यूजी) और एरियल बंचड (एबी) केबल इत्यादि परिकल्पित हैं।

आईपीडीएस एवं डीडीयूजीजेवाई के अन्तर्गत, दिशानिर्देशों के अनुसार योजना लागत का 60 प्रतिशत तक अनुदान (विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए 85 प्रतिशत) के रूप में वित्तपोषण किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्यों और विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के बीच सहमत ट्रेजेक्टरी के अनुसार एटीएण्डसी हानियों में एक स्तर तक कमी करने सहित विभिन्न माइलस्टोन को प्राप्त करने पर संस्वीकृत लागत का अतिरिक्त 15 प्रतिशत (विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए 5 प्रतिशत) अनुदान के रूप में दिया जाता है। इसके अलावा, उदय के अन्तर्गत राज्यों के निष्पादन के आधार पर आईपीडीएस के अन्तर्गत एटीएण्डसी हानियों को कम करने सहित स्मार्ट मीटरिंग के लिए निधियां संस्वीकृत की गई हैं।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 11.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3077 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

एमओयू लक्ष्यों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016, वित्तीय वर्ष 2017, वित्तीय वर्ष 2018 और वित्तीय वर्ष 2019 के लिए एटीएंडसी हानि (उपलब्धि) का विवरण

क्रम सं.	मानदंड	यूनिट	उपलब्धि 2015-16 (बेसलाइन आंकड़े)	एमओयू लक्ष्य 2016-17	उपलब्धि 2016-17	एमओयू लक्ष्य 2017-18	उपलब्धि 2017-18
1	आंध्र प्रदेश	(% में)	9.41	9.26	10.96	9.00	8.69
2	अरुणाचल प्रदेश	(% में)	64.27	52.41	35.88	43.00	65.45
3	असम	(% में)	25.51	19.00	23.81	17.75	15.71
4	बिहार	(% में)	43.74	36.43	38.97	29.03	33.19
5	छत्तीसगढ़	(% में)	21.79	18.93	19.34	18.00	18.8
6	दादरा और नगर हवेली	(% में)	आंकड़े नहीं दिए गए	7.95	9.23	7.50	6.09
7	दमन और दीव	(% में)	13.25	10.33	10.65	9.32	10.34
8	गोवा	(% में)	17.12	18.75	16.79	16.59	16.12
9	गुजरात	(% में)	15.04	14.00	12.28	13.50	11.71
10	हरियाणा	(% में)	29.83	24.02	25.43	20.04	20.29
11	हिमाचल प्रदेश	(% में)	12.92	13.25	8.48	13.00	12.14
12	जम्मू और कश्मीर	(% में)	61.6	46.00	61.34	35.00	53.78
13	झारखंड	(% में)	34.71	28.00	31.8	22.00	31.78
14	कर्नाटक	(% में)	14.94	15.50	15.36	15.00	14.48
15	केरल	(% में)	16.03	11.45	17.28	11.23	12.05
16	मध्य प्रदेश	(% में)	23.97	21.15	26.53	19.15	29.74
17	महाराष्ट्र	(% में)	19.07	16.74	18.88	17.51	17.41
18	मणिपुर	(% में)	44.21	28.89	36.89	20.33	24.61
19	मेघालय	(% में)	36.48	32.51	34.87	27.50	34.64
20	पुडुचेरी	(% में)	19.88	19.00	18.98	15.00	19.56
21	पंजाब	(% में)	15.9	15.30	14.46	14.50	17.26
22	राजस्थान	(% में)	30.41	20.11	26.02	17.57	20.02
23	सिक्किम	(% में)	38.06	29.50	40.59	25.94	32.57
24	तमिलनाडु	(% में)	14.58	14.05	14.53	13.79	14.23
25	तेलंगाना	(% में)	13.95	12.45	15.88	11.19	13.5
26	त्रिपुरा	(% में)	20.94	30.00	16.61	25.00	15.52
27	उत्तर प्रदेश	(% में)	26.47	28.27	30.21	23.63	27.67
28	उत्तराखंड	(% में)	17.19	16.00	14.02	15.00	15.73
	उदय राज्यों का औसत	(% में)	20.8	18.74	20.25	16.83	18.76

(एटीएंडसी हानियों के लिए उपर्युक्त आंकड़े उदय पोर्टल पर राज्यों/डिस्कॉमों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुसार अनंतिम/अलेखापरीक्षित आंकड़ों पर आधारित हैं)

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3088

जिसका उत्तर 11 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

एकीकृत विद्युत विकास योजना

3088. श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी:

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और देश में इसके कार्यान्वयन की क्या स्थिति है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत कुल कितना बजटीय आबंटन किया गया है तथा आंध्र प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी निधि जारी की गई है;

(ग) सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) घाटे को कम करने और योजना के उद्देश्यों के अंतर्गत उल्लिखित 24 x 7 विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विभिन्न कस्बों में पूरे किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : इंडीग्रेटेड पावर डेवलेपमेंट स्कीम (आईपीडीएस) निम्नलिखित घटकों के साथ शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 20.11.2014 को अनुमोदित की गई थी:

- (i) शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क का सुदृढीकरण;
- (ii) शहरी क्षेत्रों में फीडरों/वितरण ट्रांसफार्मरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग; तथा

- (iii) संघटक के रूप में समाहित आर-एपीडीआरपी (पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम) के अंतर्गत किए जा रहे वितरण क्षेत्र का आईटी सक्षमीकरण तथा वितरण नेटवर्क का सुदृढीकरण।

आईपीडीएस योजना का कुल परिव्यय 32,612 करोड़ रुपए है जिसमें आर-एपीडीआरपी के समाहित घटक के अंतर्गत 22,727 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता सहित नई परियोजनाओं के लिए 44,011 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के अतिरिक्त भारत सरकार से 25,354 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता शामिल है। 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 546 सर्किलों में 32,059 करोड़ रुपए मूल्य की नई परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं तथा 8,648 करोड़ रुपए संवितरित किए गए हैं। राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

15.06.2019 की स्थिति के अनुसार, आंध्र प्रदेश के 13 सर्किलों सहित यूटिलिटीयों द्वारा 299 सर्किलों में उप-पारेषण और वितरण कार्य पूरा किए जाने की सूचना दी गई है।

(ग) : आईपीडीएस स्कीम के अंतर्गत, शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण एवं सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को कम करने के लिए वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग के लिए केंद्रीय वित्तपोषण उपलब्ध कराया जा रहा है। अंडर ग्राउंड (यूजी) केबिल बिछाने तथा एरियल बंड (एबी) केबिल के लिए भी आईपीडीएस के अंतर्गत निधियां स्वीकृत की गई हैं।

(घ) : आंध्र प्रदेश (सर्किल-वार) में कार्यों के पूरा होने का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 11.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3088 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

आईपीडीएस के तहत संस्वीकृत और संवितरित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

राशि करोड़ रुपए में

क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	यूटिलिटी	कुल अनुमोदित लागत	जारी किया गया भारत सरकार का कुल अनुदान
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	एएन-डिस्कॉम	18	1
2	आंध्र प्रदेश	एपीईपीडीसीएल	466	165
3	आंध्र प्रदेश	एपीएसपीडीसीएल	475	184
4	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल-पीडी	159	13
5	असम	एपीडीसीएल	742	157
6	बिहार	एनबीपीडीसीएल	1,449	442
7	बिहार	एसबीपीडीसीएल	1,712	198
8	छत्तीसगढ़	सीएसपीडीसीएल	656	71
9	दिल्ली	एनडीएमसी	198	33
10	गोवा	गोवा-पीडी	84	2
11	गुजरात	डीजीवीसीएल	197	34
12	गुजरात	एमजीवीसीएल	398	203
13	गुजरात	पीजीवीसीएल	488	198
14	गुजरात	यूजीवीसीएल	251	19
15	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	362	53
16	हरियाणा	यूएचबीवीएनएल	130	13
17	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबीएल	190	33
18	जम्मू और कश्मीर	जेकेपीडीडी	521	38
19	झारखंड	जेबीवीएनएल	790	292
20	कर्नाटक	बेसकॉम	545	249
21	कर्नाटक	सेसकॉम	257	59
22	कर्नाटक	गेसकॉम	191	69
23	कर्नाटक	हेसकॉम	309	92
24	कर्नाटक	मेसकॉम	213	86
25	केरल	सीपीटी	5	1
26	केरल	केएसईबीएल	731	107
27	मध्य प्रदेश	एमपीएमकेवीवीसीएल-सी	528	87
28	मध्य प्रदेश	एमपीपीकेवीवीसीएल-ई	619	150
29	मध्य प्रदेश	एमपीपीकेवीवीसीएल-डब्ल्यू	655	128
30	महाराष्ट्र	बीईएसटी	105	19
31	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	2,555	451
32	मणिपुर	मणिपुर-पीडी	157	96

33	मेघालय	एमईपीडीसीएल	108	15
34	मिजोरम	मिजोरम-पीडी	111	20
35	नगालैंड	नागालैंड-पीडी	138	31
36	ओडिशा	सेसू	310	120
37	ओडिशा	नेसको	351	173
38	ओडिशा	साउथको	288	129
39	ओडिशा	वेसको	289	133
40	पुडुचेरी	पुडुचेरी-पीडी	22	4
41	पंजाब	पीएसपीसीएल	465	69
42	राजस्थान	एजेवीवीएनएल	493	70
43	राजस्थान	जेएवीवीएनएल	618	87
44	राजस्थान	जेओवीवीएनएल	494	72
45	सिक्किम	सिक्किम-पीडी	161	10
46	तमिलनाडु	टांजैडको	1,854	304
47	तेलंगाना	टीएसएनपीडीसीएल	255	108
48	तेलंगाना	टीएसएसपीडीसीएल	514	225
49	त्रिपुरा	टीएसईसी	221	24
50	उत्तर प्रदेश	डीवीवीएनएल	858	383
51	उत्तर प्रदेश	केसको	496	251
52	उत्तर प्रदेश	एमवीवीएनएल	824	338
53	उत्तर प्रदेश	पीएवीवीएनएल	1,723	740
54	उत्तर प्रदेश	पीओवीवीएनएल	1,527	648
55	उत्तराखंड	यूपीसीएल	725	136
56	पश्चिम बंगाल	डीपीएल	59	10
57	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	3,000	807
		कुल :	32,059	8,648

स्रोत: पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी)

लोक सभा में दिनांक 11.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3088 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

आंध्र प्रदेश में कार्यों की स्थिति

उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली का प्रणाली सुदृढीकरण

यूटिलिटी	सकिल का नाम	कार्य की प्रगति
एपीईपीडीसीएल	एलुरु	पूरी की गई
	राजमुंदरी सकिल	पूरी की गई
	श्रीकाकुलम	पूरी की गई
	विशाखापट्टनम	पूरी की गई
	विजियागरम	पूरी की गई
एपीएसपीडीसीएल	अनंतपुरम	पूरी की गई
	गुंटूर	पूरी की गई
	कडापा	पूरी की गई
	कुरनूल	पूरी की गई
	नेल्लोर	पूरी की गई
	ऑंगोले	पूरी की गई
	तिरुपति	पूरी की गई
	विजयवाड़ा	पूरी की गई

आईटी फेज-II

यूटिलिटी	कवर किए गए नगर (संख्या)	एनपीपी में फीडर आंकड़ों के संदर्भ में गो-लिव शहरों की संख्या
एपीईपीडीसीएल	8	8
एपीएसपीडीसीएल	11	11

उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी)

यूटिलिटी	संस्वीकृत लागत (करोड़ रुपए)	पूर्णता की स्थिति
एपीईपीडीसीएल	11	अवार्ड की गई। कार्यान्वयनाधीन।
एपीएसपीडीसीएल	14	

रियल टाइम-डाटा एक्विजीशन सिस्टम (आरटी-डीएस) और गैस इंसुलेटिड सब-स्टेशन (जीआईएस) क्रमशः 16 करोड़ रुपए और 115 करोड़ रुपए की निधियां संस्वीकृत की गई हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3092

जिसका उत्तर 11 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

उदय का मूल्यांकन

3092. डॉ. मनोज राजोरिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेस योजना (उदय) का मूल्यांकन कराया है जिसे विद्युत वितरण कंपनियों के जीर्णोद्धार हेतु शुरू किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यों को उनके सभी बकायों को निपटाने हेतु उन्हें राजी करने/समझाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : सरकार निगरानी समिति बैठकों तथा ध्यान केन्द्रित करने की बैठकों में राज्यों/डिस्कॉमों के साथ उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेस योजना (उदय) का निष्पादन मूल्यांकन लगातार कर रही है। उदय पोर्टल पर राज्यों द्वारा डाले गए अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटीयों ने अनेक पैरामीटरों में अपने कार्यनिष्पादन में सुधार की सूचना दी है, (i) एटीएंडसी हानियां वित्तीय वर्ष 2015-16 में 20.80% से वित्तीय वर्ष 2017-18 में घटकर 18.76% हो गई हैं; और (ii) एसीएस - एआरआर अंतर वर्ष 2015-16 में 60 पैसे प्रति यूनिट से घटकर वर्ष 2017-18 में 17 पैसे प्रति यूनिट रह गया है।

(ग) : विद्युत मंत्रालय इस मामले को राज्यों के साथ लगातार उठा रहा है और उनकी सम्पूर्ण बकाया देय राशियों का भुगतान करने के लिए मार्च, 2019 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी मुख्य सचिवों को लिखा है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3105

जिसका उत्तर 11 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

एनटीपीसी द्वारा भूमि अभिग्रहण

3105. डॉ. वीरेन्द्र कुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के छत्तरपुर जिले में भूमि अर्जित करने के बाद एनटीपीसी द्वारा बाउंड्री वॉल का निर्माण पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा; और

(ग) मध्य प्रदेश के छत्तरपुर जिले सहित सरकार के समक्ष विचारण हेतु लंबित पड़े प्रस्तावों की संख्या कितनी है और इस संबंध में कब तक कोई निर्णय लिया जा सकता है और कार्य कब तक शुरू हो सकता है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : मध्य प्रदेश के छत्तरपुर जिले में स्थित बरेठी एसटीपीपी में मुख्य संयंत्र में एनटीपीसी द्वारा अधिगृहीत भूमि के लिए कुल 12.25 किलोमीटर लंबी चारदीवारी का निर्माण किया जाना है। 9 किलोमीटर लंबाई का निर्माण कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है और शेष 3.25 किलोमीटर का कार्य वित्तीय वर्ष 2019-20 तक पूरा किए जाने की संभावना है।

(ग) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के पश्चात विद्युत उत्पादन एक लाइसेंसमुक्त कार्यकलाप है और कोई भी उत्पादक कंपनी व्यवहार्यता ईंधन की उपलब्धता आदि जैसे मुद्दों पर विचार करते हुए ताप विद्युत परियोजना स्थापित कर सकती है। इस प्रकार, ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की प्रौद्योगिक-आर्थिक स्वीकृति अपेक्षित नहीं है तथा ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव सीईए में प्राप्त नहीं किए जा रहे हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3114

जिसका उत्तर 11 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

जल विद्युत परियोजनाओं का आधुनिकीकरण

3114. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

श्री कुलदीप राय शर्मा:

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:

डॉ. सुभाष रामराव भामरे:

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जल विद्युत उत्पादित करने में सक्षम राज्यों की क्षमता का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी क्षमता के दोहन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं के उत्पादन में वृद्धि के लिए सुधार/आधुनिकीकरण का ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ आवंटित और प्रयुक्त निधि राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी है; और

(घ) क्या विभिन्न राज्यों में निजी क्षेत्र को आवंटित विभिन्न जल विद्युत परियोजनाएं अभी प्रारंभ नहीं हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है और इनमें विलंब के क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : वर्ष 1978-87 के दौरान देश में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा कराए गए जल विद्युत क्षमता के पुनर्मूल्यांकन अध्ययनों के अनुसार मूल्यांकित की गई जल विद्युत क्षमता (25 मेगावाट से अधिक) 1,45,320 मेगावाट है। जल विद्युत क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा और इसके विकास की स्थिति अनुबंध-1 में दी गई है।

हाल ही में, जल विद्युत क्षमता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपायों का अनुमोदन किया है:

1. बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं (एलएचपी) (>25 मेगावाट परियोजनाएं) को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में घोषित करना।
2. जल विद्युत क्रय उत्तरदायित्व (एचपीओ) को गैर-सौर नवीकरणीय क्रय उत्तरदायित्व (आरपीओ) के तहत एक अलग इकाई।
3. प्रारंभिक वर्षों में जल विद्युत टैरिफ को कम करने के लिए टैरिफ यौक्तिकीकरण उपाय।
4. बाढ़ नियंत्रक/भंडारण जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) के लिए बजटीय सहायता।
5. समर्थकृत अवसंरचना अर्थात् सड़कों/पुलों आदि की लगात के लिए बजटीय सहायता

(ग) : पिछले 3 वर्षों (अर्थात् 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 और चालू वर्ष 2019-20 (जून तक) के दौरान लगभग 1914.4 मेगावाट कुल संस्थापित क्षमता की 7 स्कीमों (केन्द्रीय क्षेत्र की 3 स्कीमें और राज्य क्षेत्र की 4 स्कीमें) का सुधार/आधुनिकीकरण पूरा कर लिया गया है और जीवन विस्तार के माध्यम से 116.8 मेगावाट का लाभ हासिल हुआ है। इन जल पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण (आरण्डएम) स्कीमों की राज्य-वार सूची **अनुबंध-II** में दी गई है।

(घ) : 38,751 मेगावाट की संस्थापित क्षमता के साथ 104 जल विद्युत परियोजनाओं को विभिन्न राज्यों द्वारा विकास के लिए निजी क्षेत्र को आवंटित किया गया है। इनमें से 36,269 मेगावाट की संस्थापित क्षमता की 91 जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। इन 91 जल विद्युत परियोजनाओं का विलंब के कारणों सहित ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 11.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3114 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

जल विद्युत क्षमता विकास की स्थिति*
(संस्थापित क्षमता-25 मेगावाट से अधिक के संदर्भ में)

क्षेत्र/राज्य	पुनर्मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार अभिनिर्धारित क्षमता		क्षमता		निर्माणाधीन क्षमता**	
	कुल (मेगावाट)	25 मेगावाट से अधिक	प्रचालन में**		(मेगावाट)	(%)
			(मेगावाट)	%		
उत्तरी						
जम्मू और कश्मीर	14146	13543	3449.0	25.47	1935.5	14.29
हिमाचल प्रदेश	18820	18540	9809.0	52.91	1885.0	10.17
पंजाब	971	971	1096.3	100	206.0	21.22
हरियाणा	64	64	0.0	0	0.0	0.00
राजस्थान	496	483	411.0	85.09	0.0	0.00
उत्तराखंड	18175	17998	3756.4	20.87	1490.0	8.28
उत्तर प्रदेश	723	664	501.6	75.54	0.0	0.00
उप जोड़ (उत्तरी क्षेत्र)	53395	52263	19023.3	36.40	5516.5	10.56
पश्चिमी						
मध्य प्रदेश	2243	1970	2235.0	100	400.0	20.30
छत्तीसगढ़	2242	2202	120.0	5.45	0.0	0.00
गुजरात	619	590	550.0	100	0.0	0.00
महाराष्ट्र	3769	3314	2647.0	79.87	0.0	0.00
गोवा	55	55	0.0	0.00	0.0	0.00
उप-जोड़ (पश्चिमी क्षेत्र)	8928	8131	5552.0	68.28	400.0	4.92
दक्षिणी						
आंध्र प्रदेश	2366	2341	1610.0	68.77	960.0	41.01
तेलंगाना	2058	2019	800.0	39.62	0.0	0.00
कर्नाटक	6602	6459	3644.2	56.42	0.0	0.00
केरल	3514	3378	1856.5	54.96	100.0	2.96
तमिलनाडु	1918	1693	1778.2	100	0.0	0.00
उप जोड़ (दक्षिणी क्षेत्र)	16458	15890	9688.9	60.97	1060.0	6.67
पूर्वी						
झारखंड	753	582	170.0	29.21	0.0	0.00
बिहार	70	40	0.0	0.00	0.0	0.00
ओडिशा	2999	2981	2142.3	71.86	0.0	0.00
पश्चिम बंगाल	2841	2829	441.2	15.60	120.0	4.24
सिक्किम	4286	4248	2169.0	51.06	1133.0	26.67
उप जोड़ (पूर्वी क्षेत्र)	10949	10680	4922.5	46.09	1253.0	11.73
पूर्वोत्तर						
मेघालय	2394	2298	322.0	14.01	0.0	0.00
त्रिपुरा	15	0	0.0	0.00	0.0	0.00
मणिपुर	1784	1761	105.0	5.96	0.0	0.00
असम	680	650	350.0	53.85	0.0	0.00
नागालैंड	1574	1452	75.0	5.17	0.0	0.00
अरुणाचल प्रदेश	50328	50064	515.0	1.03	2600.0	5.19
मिजोरम	2196	2131	60.0	2.82	0.0	0.00
उप जोड़ (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	58971	58356	1427.0	2.45	2600.0	4.46
अखिल भारत	148701	145320	40613.6	27.95	10829.5	7.45

* पम्पड स्टोरेज जल विद्युत संयंत्रों के अलावा

** 25 मेगावाट से अधिक क्षमता

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 11.07.2019 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3114 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विगत तीन वर्षों (अर्थात् 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 और वर्ष 2019-20 (जून, 2019 तक) के दौरान पूरी की गई जल विद्युत पुनरुद्धार, आधुनिकीकरण, अपरेटिंग एवं जीवन विस्तार (आरएमयूएण्डएलई) स्कीमों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	परियोजना, एजेंसी, संस्थापित क्षमता (सं.मेगावाट)	आरएमयूएण्डएलई के अंतर्गत शामिल क्षमता (सं.मेगावाट)	पूर्ण लागत (करोड़ रु.)	लाभ (मेगावाट)	श्रेणी	पूर्णता का वर्ष
केन्द्रीय क्षेत्र						
1	सलाल, एनएचपीसी(6x115)	5x115	51.08	-	आरएंडएम	2019-20
2	गंगुवाल (1x29.25+2x24.2) एवम कोटला (1x29.25+2x24.2) बीबीएमबी	1x24.2 (यू-2) 1x24.2 (यू-3)	9.58	48.4 (एलई)	आरएंडएमएंडएलई	2017-18
3	देहर पावर हाउस (यूनिट-3), बीबीएमबी (6x165)	1x165	16.00	-	आरएंडएम	2017-18
राज्य क्षेत्र						
4	संभल सिन्ध, जेएंडके एसपीडीसी	2x11.3	24.59	-	आरएंडएम	2016-17
5	खटीमा, यूजेवीएनएल	3x13.8	118.83	41.40 (एलई)	आरएंडएमएंडएलई	2016-17
6	क्षरवथी उत्पादन स्टेशन (फेस बी), केपीसीएल	10x103.5	29.27	-	आरएंडएम	2016-17
7	जलदाका स्टेज.1, डबल्यूबीएसईडीसीएल	3x9	79.97	27 (एलई)	आरएंडएमएंडएलई	2016-17
कुल		1914.4	329.32	116.8(एलई)		

संक्षिप्त नाम: आरएण्डएम - पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण; यू - अपरेटिंग; एलई - जीवन विस्तार

लोक सभा में दिनांक 11.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3114 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

निजी क्षेत्र के विकासकर्ताओं को आवंटित एवं अभी तक निर्माण शुरु नहीं हुई 91 जल विद्युत परियोजनाओं की स्थिति

क. 19 जल विद्युत परियोजनाओं की स्थिति जिनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा सहमति दी गई है।

क्र.सं.	स्कीम का नाम	विकासकर्ता	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	सीईए की सहमति	अभियुक्तियां/कारण
उत्तराखंड					
1.	अलकनंदा	जीएमआर (बद्रीनाथ)एचपीजी लिमिटेड.	300	08.08.08	पर्यावरण स्वीकृति 12.3.2008 को दी गई, वन स्वीकृति-1 08.11.2011 को दी गई, वन स्वीकृति -II 09.11.2012 को दी गई। परियोजना में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समीक्षाधीन 24 परियोजनाओं की सूची शामिल है।
हिमाचल प्रदेश					
2.	मियार	एमएचपीसीएल	120	07.02.13	पर्यावरण स्वीकृति 30.07.12 को दी गई। वन स्वीकृति-1 27.07.12 को दी गई। वन स्वीकृति -II प्राप्त नहीं की गई।
3.	छतरु	डीएससी	126	15.01.15	पर्यावरण स्वीकृति के लिए ईएसी द्वारा 24.02.15 को सिफारिशकी गई। वन स्वीकृति -I एवं वन स्वीकृति -II प्राप्त नहीं की गई।
4.	कुटहर	जेएसडबल्यूईपीएल	240	31.08.10	पर्यावरण स्वीकृति 05.07.2011 को दी गई, वन स्वीकृति-1 22.06.2011 को दी गई और वन स्वीकृति-II 19.02.2013 को दी गई। परियोजना का निर्माण निम्नलिखित गतिविधियों को पूरा न होने के कारण शुरु नहीं किया जा सका: i) वन भूमि का पट्टा ii) पेड़ों की कटाई
नागालैंड					
5.	दीखू	एनएमपीपीएल	186	31.03.14	विकासकर्ता द्वारा पर्यावरण स्वीकृति नहीं ली गई। वन स्वीकृति इसलिए लागू नहीं है क्योंकि इसमें वन भूमि शामिल नहीं है।
मेघालय					
6.	किंशी - I	एकेपीपीएल	270	31.03.15	विकासकर्ता द्वारा पर्यावरण स्वीकृति एवं वन स्वीकृति नहीं ली गई।
अरुणाचल प्रदेश					
7.	डिब्लिन	केएसकेडीएचपीएल	120	04.12.09	पर्यावरण स्वीकृति 23.7.12 को दी गई। वन स्वीकृति-1 7.2.12 को दी गई। वन स्वीकृति -II प्राप्त नहीं की गई।
8.	कालाई-II	कालाई पीपीएल	1200	27.03.15	पर्यावरण स्वीकृति 20.5.15 को दी गई। वन स्वीकृति-1 एवं वन स्वीकृति -II प्राप्त नहीं की गई।
9.	हियो	एचएचपीपीएल	240	28.07.15	पर्यावरण स्वीकृति 10.11.15 को दी गई। वन स्वीकृति-1 27.10.15 को दी गई। वन स्वीकृति -II प्राप्त नहीं की गई।
10.	टाटो-I	एसएचपीपीएल	186	28.10.15	पर्यावरण स्वीकृति 10.11.15 को दी गई। वन स्वीकृति-1 27.10.15 को दी गई। वन स्वीकृति -II प्राप्त नहीं की गई।
11.	तलौंग लोंदा	जीएमआर एलएचपीएल	225	16.08.13	पर्यावरण स्वीकृति 07.08.15 को दी गई। वन स्वीकृति-1 एवं वन स्वीकृति -II प्राप्त नहीं की गई।
12.	इटालिन	ईएचईपीसीएल	3097	12.07.13	पर्यावरण स्वीकृति के लिए ईएसी द्वारा 31.01.17 को सिफारिशकी गई। वन स्वीकृति-1 एवं वन स्वीकृति -II प्राप्त नहीं की गई।
13.	लोअर सियांग	जेएपीएल	2700	16.02.10	विकासकर्ता द्वारा पर्यावरण स्वीकृति एवं वन स्वीकृति नहीं ली गई।
14.	हिरोंग	जेएपीएल	500	10.04.13	विकासकर्ता द्वारा पर्यावरण स्वीकृति एवं वन स्वीकृति नहीं ली गई। तथापि, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार वन स्वीकृति का मामला दिनांक 02.12.2015 के पत्र के माध्यम से बन्द कर

क्र.सं.	स्कीम का नाम	विकासकर्ता	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	सीईए की सहमति	अभियुक्तियां/कारण
					दिया गया है।
15.	नेयिंग	एनडीएससीपीएल	1000	11.09.13	विकासकर्ता द्वारा पर्यावरण स्वीकृति एवं वन स्वीकृति नहीं ली गई। पर्यावरण स्वीकृति को सियांग बीएसआर से जोड़ दिया गया है।
16.	अट्टनली	एएचईपीसीएल	680	02.07.18	पर्यावरण एवं वन दोनों स्वीकृतियां प्राप्त नहीं की गईं।
17.	नयामजंग छू	एनजेसीएचपीएल	780	24.03.11	पर्यावरण स्वीकृति 19.04.12 को दी गई। वन स्वीकृति-1 9.4.2012 को दी गई। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिनांक 7.4.2016 के आदेश के द्वारा पर्यावरण मंजूरी पर उस समय तक रोक लगा दी है जब तक कि अध्ययन नहीं किया जाता है।
18.	डेम्वे लोअर	एडीपीएल	1750	20.11.09	पर्यावरण स्वीकृति 12.02.10 को दी गई। वन स्वीकृति-1 03.05.2013 को दी गई। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के दिनांक 24.10.17 के आदेश के अनुसार एनबीडब्ल्यूएल के मुद्दे पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विचार किया जाए।
19.	नफरा	एसएनईएल	120	11.02.11	पर्यावरण स्वीकृति 19.08.13 को दी गई, वन स्वीकृति-1 12.7.11 को दी गई, वन स्वीकृति-11 19.11.2012 को दी गई। विकासकर्ता द्वारा वित्तीय समापन प्राप्त नहीं किया गया।
	कुल		13840		

ख. 22 जल विद्युत स्कीमों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की स्थिति - विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत किंतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा वापस कर दी गई

क्रम सं.	स्कीम	राज्य	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	वापसी का माह	अभियुक्तियां/कारण
20.	मोरी हनोल	उत्तराखण्ड	63	01/2010	अद्यतन जल विज्ञान की अनुपलब्धता के कारण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट वापस कर दी गई। इसके अलावा भौगोलिक जांच भी अपर्याप्त हैं।
21.	बोगुडयार सिरकी भयोल	उत्तराखण्ड	146	09/2010	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अपर्याप्त भौगोलिक जांच के कारण वापस कर दी गई है।
22.	बारा बंधल	हिमाचल प्रदेश	200	06/2011	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अपर्याप्त भौगोलिक जांच, पर्यावरणीय एवं वन्य जीव मुद्दों के कारण वापस कर दी गई है।
23.	रिओली डुगली	हिमाचल प्रदेश	430	05/2019	विकासकर्ता ने दिनांक 29.08.2018 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि कम्पनी ने परियोजना का कार्यान्वयन न करने का निर्णय लिया है। इसके मद्देनजर, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट वापस कर दी है।
24.	सेली	हिमाचल प्रदेश	400	05/2019	हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिनांक 23.09.2017 के पत्र का माध्यम से एसएचपीसीएल के पक्ष सेली जल विद्युत परियोजना का आवंटन निरस्त कर दिया है। इसके मद्देनजर, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट वापस कर दी है।
25.	डुगर	हिमाचल प्रदेश	449	05/2019	विकासकर्ता ने दिनांक 29.08.2018 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि कम्पनी ने परियोजना का कार्यान्वयन न करने का निर्णय लिया है। इसके मद्देनजर, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट वापस कर दी है।
26.	सच खास	हिमाचल प्रदेश	267	05/2019	विकासकर्ता ने दिनांक 29.08.2018 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि कम्पनी ने परियोजना का कार्यान्वयन न करने का निर्णय लिया है। इसके मद्देनजर, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट वापस कर दी है।
27.	तीस्ता स्टेशन-II	सिक्किम	480	05/2007	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अपर्याप्त भौगोलिक जांच के कारण वापस कर दी गई है।
28.	लेथांग	सिक्किम	96	04/2010	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को बैराज बनाम बांध डिजाइन, आई.सी. की समीक्षा स्पिलवे क्षमता आदि के अभाव में जांच के लिए स्वीकार नहीं किया गया।
29.	यामने स्टेशन-II	अरुणाचल प्रदेश	84	05/2011	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अपर्याप्त भौगोलिक जांच के कारण वापस कर दी गई है।
30.	हटोंग -II	अरुणाचल प्रदेश	1200	05/2012	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट वापस कर दी गई क्योंकि स्कीम को अब भण्डारण स्कीम के रूप में विकसित किया गया है।
31.	कालाई-I	अरुणाचल प्रदेश	1352	05/2012	एसटीसी ने निर्णय लिया है कि एमएफआईपीएल को संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए विस्तृत जांच करनी चाहिए।
32.	पेमाशैल्फू	अरुणाचल प्रदेश	90	02/2013	टिप्पणियों का उत्तर न देने, बांध के स्थल में परिवर्तन की संभावना एवं परियोजना के लाभों के कारण, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट वापस कर दी गई।
33.	सिसरी	अरुणाचल प्रदेश	100	02/2013	भण्डारण स्कीम से आरओआर स्कीम में परिवर्तन के कारण परियोजना

क्रम सं.	स्कीम	राज्य	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	वापसी का माह	अभियुक्तियां/कारण
					एसटीसी के विचाराधीन थी। एसटीसी ने दिनांक 14.12.2012 के पत्र द्वारा स्कीम को आरओआर स्कीम के रूप में स्वीकृति दी। प्रस्तुतीकरण बैठक 21.02.2013 को आयोजित की गई। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को विस्तृत जांच के लिए इसलिए स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि राज्य सरकार ने यह उल्लेख किया था कि सिंचाई एवं पेय जल घटक दोनों परियोजनाओं के अभिन्न अंग होने चाहिए और इनकी लागत परियोजना लागत में शामिल की जानी चाहिए। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को राज्य सरकार के साथ मुद्दों का समाधान करने के लिए वापस कर दिया गया।
34.	गिमलिआंग	अरुणाचल प्रदेश	80	06/2013	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अपर्याप्त भौगोलिक जांच के कारण वापस कर दी गई है।
35.	रायगाम	अरुणाचल प्रदेश	141	06/2013	
36.	कंगटंग शिरि	अरुणाचल प्रदेश	80	07/2013	अपर्याप्त जांच एवं उचित प्रारूप में न होने आदि के कारण 29.07.2013 को वापस कर दी गई।
37.	डेम्वे अपर एचईपी	अरुणाचल प्रदेश	1080	03/2015	विकासकर्ता ने सूचित किया था कि परियोजना की गहरी नींव को ध्यान में रखते हुए बांध के निर्माण में विश्वास के अभाव के कारण वे बांध की किस्म का अंतिम रूप देने की स्थिति में नहीं हैं और इस संबंध में ठेकेदारों से अभी भी परामर्श कर रहे हैं। इसलिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजना वापस कर दी गई है।
38.	न्युकचरंग चू	अरुणाचल प्रदेश	96	04/2015	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अपर्याप्त भौगोलिक जांच के कारण वापस कर दी गई है।
39.	सुबानसिरि मिडल	अरुणाचल प्रदेश	1800	01/2018	दिनांक 29.01.2018 के केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पत्र द्वारा परियोजनाएं वापस कर दी गई हैं और उस तारीख तक जारी सभी आंशिक स्वीकृतियां निरस्त कर दी गई थी क्योंकि विकासकर्ता द्वारा विभिन्न मूल्यांकनकर्ता समूह के साथ लंबित मुद्दों को हल करने की दिशा में कोई प्रगति नहीं की गई थी।
40.	मगोचू	अरुणाचल प्रदेश	96	01/2018	
41.	तगुरशित	अरुणाचल प्रदेश	74	06/2019	विकासकर्ता ने दिनांक 29.08.2018 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि कम्पनी ने परियोजना का कार्यान्वयन न करने का निर्णय लिया है। इसके मद्देनजर, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट वापस कर दी है।
		कुल	8804		

ग. सर्वेक्षण एवं जांच के अधीन 24 जल विद्युत परियोजनाओं की स्थिति

क्र.सं.	स्कीम का नाम	बेसिन/नदी	जिला	डीपीआर के लिए एजेंसी	प्रकार	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
श्रेणी-I: स्कीमों जिनकी लागत 1,000 करोड़ रु. से अधिक होने की संभावना है - सहमति के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र के अधीन डीपीआर						
परंपरागत जल विद्युत परियोजनाएं						
अरुणाचल प्रदेश						
42.	ओजु	सुबानसिरि	अपर सुबानसिरि	नवायुग इंजी. कं. लि.	आरओआर	1878
43.	पोक	सियांग	पश्चिम सियांग	वैल्कन एनर्जी प्रा. लि.	आरओआर	145
	उप जोड़ (अरुणाचल प्रदेश)					2023
	कुल परंपरागत एचईपी (श्रेणी I)					2023
श्रेणी-II: स्कीमों जिनकी लागत 1,000 करोड़ रु. से अधिक होने की संभावना है - अनुमोदन के लिए राज्य के कार्यक्षेत्र के अधीन डीपीआर						
अरुणाचल प्रदेश						
44.	चोमी।	सुबानसिरि	कुरुंग कूमे	एडवेटा पावर	आरओआर	80
45.	चेला	सुबानसिरि	कुरुंग कूमे	एडवेटा पावर	आरओआर	75
46.	बडाओ	कमैंग	ईस्ट कमैंग	कोस्टल प्रोजेक्ट प्रा. लि.	आरओआर	66
47.	पारा	कमैंग	ईस्ट कमैंग	कोस्टल प्रोजेक्ट प्रा. लि.	आरओआर	45
48.	पचुक-II	कमैंग	पचुक	एनर्जी डेवलेपमेंट कं. लि.	आरओआर	61
49.	टसा चू - I लोअर	तवांग	निकचारोंग चू	एनर्जी डेवलेपमेंट कं. लि.	आरओआर	77
50.	टसा चू - II	तवांग	निकचारोंग चू	एनर्जी डेवलेपमेंट कं. लि.	आरओआर	67
51.	पचुक-II लोअर	कमैंग	पाक्के बूंग	एनर्जी डेवलेपमेंट कं. लि.	आरओआर	51
52.	मारीजिंदा	कमैंग	कमैंग	एनर्जी डेवलेपमेंट कं. लि.	आरओआर	39
53.	मारीजिंदा लोअर	कमैंग	कमैंग	एनर्जी डेवलेपमेंट कं. लि.	आरओआर	37
54.	रेगो	सियांग	वेस्ट सियांग	थ्रीनको एनर्जीज लि.	आरओआर	97
55.	रापुम	सियांग	वेस्ट सियांग	थ्रीनको एनर्जीज लि.	आरओआर	66

56.	पंगो	सियांग	अपर सियांग	मीनाक्षी पावर लि.	आरओआर	96
57.	सिप्पी	सियांग	अपर सियांग	मीनाक्षी पावर लि.	आरओआर	96
58.	जिदु (यंगसुंग)	सियांग	अपर सियांग	मीनाक्षी पावर लि.	आरओआर	96
59.	डिजिन	कर्मंग	संगटी	पटेल हाइड्रो पावर प्रा. लि.	आरओआर	46
60.	पन्योर	डिकरोंग	लोअर सुबानगिरि	राजरत्न एनर्जी होल्डिंग प्रा. लि.	आरओआर	80
61.	टिडिंग-I	लोहित	अनजाव	साई कृष्णोद्य इं. (प्रा.) लि.	आरओआर	84
62.	टिडिंग-II	लोहित	अनजाव	साई कृष्णोद्य इं. (प्रा.) लि.	आरओआर	75
63.	लोअर याम्ने स्टे.-I	सियांग	अपर सियांग	याम्ने पावर प्रा. लि.	आरओआर	75
64.	लोअर याम्ने स्टे.-II	सियांग	अपर सियांग	याम्ने पावर प्रा. लि.	आरओआर	87
हिमाचल प्रदेश						
65.	टिडोंग-II	टिडोंग	किन्नौर	टिडोंग हाइड्रो पावर लिमिटेड	आरओआर	60
कुल (श्रेणी II)						1556
कुल परंपरागत एचईपी (श्रेणी I + श्रेणी II)						3579.0

घ. 26 जल विद्युत परियोजनाओं की स्थिति जहां सर्वेक्षण एवं जांच रोक दी गई है

क्र.सं.	स्कीम	बेसिन/नदी	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	एजेंसी	आवंटन की तिथि/एमओए	स्थिति/कारण
हिमाचल प्रदेश						
66.	सुम्टे कोथांग	स्पिटी	130.00	रिलायंस पावर लि.	31.12.2012	स्थानीय लोगों एवं गैर-सरकारी संगठनों के विरोध के कारण सर्वेक्षण एवं जांच रोक दी गई।
67.	लारा सुम्टा	स्पिटी	104.00	रिलायंस पावर लि.	31.12.2012	स्थानीय लोगों एवं गैर-सरकारी संगठनों के विरोध के कारण सर्वेक्षण एवं जांच रोक दी गई।
कुल (हिमाचल प्रदेश)			234.00			
उत्तराखण्ड						
68.	उथिंग सोबला	धौलीगंगा	280.00	रिलायंस पावर लि.		चूंकि परियोजना क्षेत्र अस्कोट कस्तूरी मृग अभ्यारण्य के अंदर आता था, सर्वेक्षण एवं जांच रोक दी गई।
69.	मपंग - बोगिडिआर	बोरीगंगा	200.00	जीवीके-एल एवं टी	07.05.2005	उच्चतम न्यायालय के उस आदेश के कारण जिसमें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और उत्तराखण्ड सरकार को अगले आदेश तक उत्तराखण्ड राज्य में किसी भी जल विद्युत परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति अथवा वन स्वीकृति न देने का निदेश दिया गया था, सर्वेक्षण एवं जांच रोक दी गई।
कुल (उत्तराखण्ड)			480.00			
अरुणाचल प्रदेश						
70.	भरेली-II (कर्मंग-II)	कर्मंग	600.00	माउंटेन फाल्स लि.	23.11.2006	परियोजना के पाके वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्दर आने के कारण सर्वेक्षण एवं जांच रोक दी गई। कामेंग बेसिन अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार हटा दी गई।
71.	पापू	पापू	90.00	सीईएससी लि.	16.05.2012	मैसर्स वैसर एनर्जी लिमिटेड अर्थात् पापू घाटी जल विद्युत परियोजना (45 मेगावाट) की अपस्ट्रीम परियोजना के साथ स्तरों की बाधाओं के मुद्दे को हल किया जाना अपेक्षित है।
72.	कर्मंग डाम	कर्मंग	420.00	केएसके एनर्सजी वेंचर्स लि.	25.01.2007	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पाके टाइगर रिजर्व के निकट होने के कारण विचार्य विषय जारी नहीं किए। सभी संभावित वैकल्पिक स्थल (स्थलों) से टाइगर रिजर्व की निकटता बने रहने के कारण इस क्षेत्र में कोई परियोजना अनुमेष नहीं है और इसलिए परियोजना छोड़ दी गई।
73.	एमरा-I	एमरा	275.00	अथेना एनर्जी वेंचर्स प्रा. लि.	02.02.2008	परियोजना स्थल के लिए कोई भी उचित संपर्क सड़क नहीं है। आज तक कोई प्रगति दिखाई नहीं दी है। 25.07.2018 से आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा परियोजना बन्द करने के आशय की कार्रवाई की जा रही है।
74.	अमुलिन	माथुन	420.00	रिलायंस पावर लिमिटेड	03.02.2009	आयुक्त (विद्युत), आंध्र प्रदेश सरकार ने मंत्रालय में एक बैठक में बताया कि परियोजना को बन्द करने के लिए अनुमोदन दे दिया गया है और

						परियोजना बन्द करने के लिए पत्र शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।
75.	एमिनी	माथुन	500.00	रिलायंस पावर लिमिटेड	03.02.2009	बेसिन अध्ययन के अनुमोदन के समय से 1 वर्ष एवं 5 माह के बाद भी कोई प्रगति नहीं हुई इसलिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा परियोजना बन्द करने का आशय 16.07.2018 को जारी कर दिया गया था।
76.	मिहम्डन	झी	400.00	रिलायंस पावर लिमिटेड	03.02.2009	आयुक्त (विद्युत), आंध्र प्रदेश सरकार ने मंत्रालय में एक बैठक में बताया कि परियोजना को बन्द करने के लिए अनुमोदन दे दिया गया है और परियोजना बन्द करने के लिए पत्र शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।
77.	नालो	सुबानसिरि	635.00	इन्डस हाइड्रो पावर	16.11.2010	पहली परामर्श बैठक 27.11.2013 को आयोजित की गई। 19.03.2018 से परियोजना बन्द करने के आशय की कार्रवाई की जा रही है।
78.	रो	तवांग	93.00	एसईडब्ल्यू एनर्जी	2.3.2009	पहली परामर्श बैठक 30.10.2013 को आयोजित की गई। विकासकर्ता को परियोजना के कार्यान्वयन को गति देने और पर्यावरण स्वीकृति के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ मामले को उठाने की सलाह दी गई।
79.	दरदू	पारे	60.00	केवीके एनर्जी एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	26.12.2007	परियोजना में कोई गतिविधि/प्रगति नहीं। स्थानीय लोग परियोजना को सीपीएसयू को स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं। 10.04.2018 से आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा परियोजना बन्द करने के आशय की कार्रवाई की जा रही है।
80.	नाबा	सिंगिट	1000.00	अबीर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	21.06.2010	अग्रम्य क्षेत्र/दुर्गम एवं ऊसर क्षेत्र और स्थानीय कानून एवं व्यवस्था की समस्या के कारण सर्वेक्षण एवं जांच रोक दी गई। परियोजना में कोई गतिविधि नहीं हुई है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 26.06.2015 को दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
81.	डेंगसर	सुबानसिरि	552.00	कोस्टल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	26.04.2011	अग्रम्य क्षेत्र/दुर्गम एवं ऊसर क्षेत्र और स्थानीय कानून एवं व्यवस्था की समस्या के कारण सर्वेक्षण एवं जांच रोक दी गई। परियोजना में कोई गतिविधि नहीं हुई है। 12.05.2015 को पहला कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
82.	निआरे	सिंगिट	800.00	कोस्टल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	26.04.2011	अग्रम्य क्षेत्र/दुर्गम एवं ऊसर क्षेत्र और स्थानीय कानून एवं व्यवस्था की समस्या के कारण सर्वेक्षण एवं जांच रोक दी गई। परियोजना में कोई गतिविधि नहीं हुई है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 12.05.2015 को पांचवां कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
83.	याम्ने-I	याम्ने	111.00	एस.एस याम्ने पावर प्रा. लि.	5.3.2009	पहली परामर्श बैठक 30.07.2014 को आयोजित की गई। सियांग घाटी में स्थानीय समस्याओं और कानून एवं व्यवस्था की समस्या के कारण सर्वेक्षण एवं जांच रोक दी गई। अंतिम कारण बताओ नोटिस का उत्तर नहीं दिया गया है। इसलिए 18.05.2018 से बन्द करने की कार्रवाई की जा रही है।
84.	एमरा-II	एमरा	390.00	अथेरा एनर्जी वेंचर्स प्रा. लि.	02.02.2009	सर्वेक्षण एवं जांच रोक दी गई है। परियोजना स्थल के लिए कोई सड़क संपर्क नहीं। स्थानीय मुद्दे, संचार समस्या एवं स्थानीय समस्याओं का सामना। विकासकर्ता से मार्च, 2014 तक ड्रिलिंग कार्य पूरा करने के लिए कहा गया। अभी तक डीपीआर को प्रस्तुत करने में कोई प्रगति नहीं हुई है। 25.07.2018 से परियोजना बन्द करने के आशय की कार्रवाई की जा रही है।
85.	अन्जाव	लोहित	270.00	अथेरा एनर्जी वेंचर्स प्रा. लि.	09.07.2007	पहली परामर्श बैठक 30.07.2014 को आयोजित की गई। सर्वेक्षण एवं जांच रोक दी गई। विकासकर्ता द्वारा कोई प्रगति नहीं दिखाई गई।

						परियोजना का बन्द करने के आशय के लिए कार्रवाई की जाएगी।
86.	दिनचंग	दिगो	252.00	केएसके एनर्जी वेंचर्स लि.	11.9.2007	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी पूर्णता के अग्रिम चरण में है, लेकिन विभिन्न कारणों से पूर्ण नहीं हुई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने बन्द करने का नोटिस जारी किया है जिसके उत्तर में विकासकर्ता ने परियोजना वापस न लेने का अनुरोध किया है।
87.	इथुन-I	इथुन	84.00	जेवीकेआईएल कन्सोर्टियम	29.8.2008	हुनली-देसाली सड़क मार्ग का अप्रचालन। काफी धीमी प्रगति इसलिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा परियोजना बन्द करने का आशय पर 19.07.2018 से कार्रवाई की जा रही है।
88.	सुबानसिरि अपर	सिंगिट	1800.00	केएसके एनर्जी वेंचर्स लि.	18.03.2010	बाढ़ नियंत्रण लागत के निधियन के बारे में स्पष्टता के अभाव के कारण सर्वेक्षण एवं जांच रोक दी गई। एक मुद्दा है कि बाढ़ नियंत्रण की लागत को कौन वहन करेगा। सीईआरसी के विनियम के अनुसार बाढ़ नियंत्रण घटक की लागत को टैरिफ पर भारित नहीं किया जा सकता।
89.	न्यू मेलिंग	तवांग	90.00	एसईडब्ल्यू एनर्जी	23.02.2010	परियोजना में कोई गतिविधि/प्रगति न होने के कारण सर्वेक्षण एवं जांच रोक दी गई।
कुल (अरुणाचल प्रदेश)			8842.00			
मेघालय						
90.	किंशी-II	किंशी	450.00	जीओएमई एवं जयप्रकाश पावर वेंचर लि. (जेवी)	11.12.2007	यूरेनियम के निक्षेप के कारण बांध के स्थल/ऊंचाई को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण सर्वेक्षण एवं जांच रोक दी गई। संस्थापित क्षमता को संशोधित कर 325 मेगावाट कर दिया गया है।
कुल (मेघालय)			450.00			
सिक्किम						
91.	सन्तालेटर	रंगपो चू	40.00	हिंदुस्तान इलेक्ट्रिक पावर लिमिटेड	एलओआई तारीख 23.02.12	संघ के ज्ञापन को अंतिम रूप दिए जाने के बाद सर्वेक्षण एवं जांच शुरू की जाएगी।
कुल (सिक्किम)			40.00			
कुल (अखिल भारत)			10046.00			
कुल जोड़ (क+ख+ग+घ)			36,269.00			

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3122

जिसका उत्तर 11 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

विद्युत उत्पादन और लंबित विद्युत परियोजनाएं

3122. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल:

श्री नारणभाई काछड़िया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में विद्युत उत्पादन और इससे उत्पादित विद्युत की मात्रा का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) लंबित विद्युत परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) लंबित विद्युत परियोजनाओं विशेष रूप से गुजरात से संबंधित परियोजनाओं के नाम क्या हैं और इन परियोजनाओं के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और
- (घ) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कार्रवाई की जा रही है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष 2019-20 (मई, 2019 तक) के दौरान परम्परागत स्रोतों (ताप, नाभिकिय एवं जल विद्युत (25 मेगावाट क्षमता से अधिक) एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन का स्रोत-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा क्रमशः अनुबंध-I एवं II में दिया गया है।

(ख) और (ग) : विद्युत अधिनियम 2003 के लागू होने के पश्चात, विद्युत उत्पादन को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है। सीईए में उपलब्ध सूचना के अनुसार गुजरात सहित देश में निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं (इकाइयों) का ब्यौरा अनुबंध-III में दिया गया है। निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) की राज्य-वार सूची अनुबंध-IV में दी गई है।

(घ) : इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम नीचे दिए गए हैं:-

- (i) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) लगातार स्थल दौरों तथा विकासकर्ताओं एवं उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं के साथ विचार-विमर्श के माध्यम से निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करता है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण परियोजनाओं को चालू करने के लिए जटिल मामलों को अभिचिह्नित करने तथा उनका समाधान करने के लिए विकासकर्ताओं और अन्य पणधारकों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकों का आयोजन करता है।
- (ii) विद्युत मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय तथा मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा अवरोध क्षेत्रों को अभिचिह्नित करने तथा अन्तर मंत्रालयी एवं अन्य लंबित मामलों को सुगमतापूर्वक शीघ्र समाधान करने के लिए नियमित समीक्षा भी की जाती है।

लोक सभा में दिनांक 11.07.2019 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3122 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (मई, 2019 तक) के लिए राज्य-वार और ईंधन-वार उत्पादन का ब्यौरा

राज्य	स्टेशन का नाम	ईंधन	31.05.2019 की स्थिति के अनुसार निगरानी की गई क्षमता मेगावाट	उत्पादन (एमयू)			
				2019-20* (मई, 19) तक	2018-19	2017-18	2016-17
दिल्ली	बदरपुर टीपीएस	कोयला	0	0	1400.33	1556.97	1704.85
	आई.पी. सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	270	91.57	599.63	578.8	695.52
	प्रगति सीसीजीटी-III	प्राकृतिक गैस	1500	622.93	3620.46	2957.53	2047.49
	प्रगति सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	330.4	223.65	1515.62	1955.4	1805.4
	राजघाट टीपीएस	कोयला	135	0	0	0	0
	रिठाला सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	108	0	0	0	0
हरियाणा	फरीदाबाद सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	431.59	0	597.09	837.38	1034.05
	इंदिरा गांधी एसटीपीपी	कोयला	1500	572.97	7387.28	7734.53	5473.77
	महात्मा गांधी टीपीएस	कोयला	1320	949.06	6898.35	7325.47	2895.7
	पानीपत टीपीएस	कोयला	920	530.81	3378.89	2579.45	2205.93
	राजीव गांधी टीपीएस	कोयला	1200	177.38	3852.19	4681.01	3856.75
	यमुना नगर टीपीएस	कोयला	600	650.91	3321.63	3448.13	3424.24
हिमाचल प्रदेश	अलियन दुहांगन एचपीएस	हाइड्रो	192	109.87	582.23	683.01	679.12
	बैरासिडल एचपीएस	हाइड्रो	180	0	366.67	641.73	669.33
	बासपा एचपीएस	हाइड्रो	300	186.46	1275.58	1336.65	1342.75
	बस्सी एचपीएस	हाइड्रो	66	78.74	251.56	315.17	297.76
	भाखड़ा एचपीएस	हाइड्रो				5134.02	5168.27
	भाखड़ा लेफ्ट एचपीएस	हाइड्रो	594	382.82	2248.69		
	भाखड़ा राइट एचपीएस	हाइड्रो	785	503	1989.5		
	बुधहिल एचपीएस	हाइड्रो	70	58.19	288.08	317.63	261.25
	चमेरा-I एचपीएस	हाइड्रो	540	635.63	2484.56	2344.08	2224.39
	चमेरा-II एचपीएस	हाइड्रो	300	383.65	1508.02	1487.11	1443.93
	चमेरा-III एचपीएस	हाइड्रो	231	258.48	1043.42	1068.05	917.09
	चंजू-1 एचपीएस	हाइड्रो	36	43	137.44	79.42	11.29
	देहार एचपीएस	हाइड्रो	990	804.69	3226.3	3086.24	3184.68
	गिरी बाटा एचपीएस	हाइड्रो	60	17.61	214.45	169.94	140.6
	करछम वांगटू एचपीएस	हाइड्रो	1000	716.06	3968.69	4569.93	4372.29
	कशांग इंटीग्रेटेड	हाइड्रो	195	31.52	118.24	197.13	56.09
	कोलडैम	हाइड्रो	800	507.09	3013.93	3313.62	3225.16
	लारजी एचपीएस	हाइड्रो	126	147.34	593.86	612.36	611.66
	मलाना एचपीएस	हाइड्रो	86	62.51	320.55	346.29	353.79
	मलाना-II एचपीएस	हाइड्रो	100	62.07	349.39	368.89	366.54
	नाथपा झाकड़ी एचपीएस	हाइड्रो	1500	1316.24	6507.15	7207.73	7050.64
	पार्वती-III एचपीएस	हाइड्रो	520	89.01	608.3	710.53	682.48
	पोंग एचपीएस	हाइड्रो	396	146.56	1512.56	1641.57	1369.93
रामपुर एचपीएस	हाइड्रो	412.02	374.22	1828.76	2015	1960.42	
सेंज एचपीएस	हाइड्रो	100	0	408.81	134.99	0	
संजय एचपीएस	हाइड्रो	120	105.36	589.42	493.39	187.4	
शानन एचपीएस	हाइड्रो	110	142.1	472.39	508.52	472.88	
जम्मू व कश्मीर	बगलीहार एचपीएस	हाइड्रो	450	429.75	2291.15	2506.71	2184.56
	बगलीहार-II एचपीएस	हाइड्रो	450	490.28	1857.91	1821.95	1758.98
	चूटक एचपीएस	हाइड्रो	44	8.99	48.96	45.72	44.12
	दुलहस्ती एचपीएस	हाइड्रो	390	412.89	2273.38	2343.86	2280.02

	किशनगंगा एचपीएस	हाइड्रो	330	221.63	529.25	1.68	0
	लोअर झोलम एचपीएस	हाइड्रो	105	110.69	589.33	480.99	483.15
	निम्मो बाजगो एचपीएस	हाइड्रो	45	17.26	105.55	98.83	95.21
	पम्पोर जीपीएस (लिक्वि.)	हाई स्पीड डीजल	175	0	0	0	0
	सलाल एचपीएस	हाइड्रो	690	902.61	3412.55	3247.09	3423.09
	सेवा-II एचपीएस	हाइड्रो	120	181.12	498.32	506.39	470.61
	अपर सिंध-II एचपीएस	हाइड्रो	105	42.7	305.97	327.24	362.91
	उरी-I एचपीएस	हाइड्रो	480	706.52	3048.29	2349.66	2803.1
	उरी-II एचपीएस	हाइड्रो	240	336.54	1580.92	1207.44	1471.94
पंजाब	आनंदपुर साहिब एचपीएस	हाइड्रो				647.81	673.87
	आनंदपुर साहिब-I एचपीएस	हाइड्रो	67	56.15	405.86		
	आनंदपुर साहिब-II एचपीएस	हाइड्रो	67	54.96	21.92		
	गंगुवाल एचपीएस	हाइड्रो	77.65	96.37	599.37	494.09	416.54
	जीएच टीपीएस (लेह. मोह.)	कोयला	920	86.47	2485.15	2944.5	2736.39
	जीएनडी टीपीएस (भटिंडा)	कोयला	0	0	0	301.33	698.58
	गोइंदवाल साहिब टीपीपी	कोयला	540	235.57	2445.49	1541	223.91
	कोटला एचपीएस	हाइड्रो	77.65	97.48	609.6	508.22	430.58
	मुकेरियां एचपीएस	हाइड्रो				1270.76	1083.51
	मुकेरियां-I एचपीएस	हाइड्रो	45	96.13	1175.44		
	मुकेरियां-II एचपीएस	हाइड्रो	45	2.33	19.2		
	मुकेरियां-III एचपीएस	हाइड्रो	58.5	3.24	24.66		
	मुकेरियां-IV एचपीएस	हाइड्रो	58.5	2.36	24.83		
	राजपुरा टीपीपी	कोयला	1400	1447.03	9123.71	9110.04	9441.76
	रंजीत सागर एचपीएस	हाइड्रो	600	453.16	1454.52	1803.42	1306.08
	रोपड़ टीपीएस	कोयला	840	13.64	1669.99	2274.36	2776.36
	तलवंडी साबो टीपीपी	कोयला	1980	1923.59	10639.92	8556.82	7078.84
राजस्थान	अंता सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	419.33	179.26	550.65	450.94	695.18
	बरसिंगसर लिग्नाइट	लिग्नाइट	250	166.26	1357.1	1648.81	1463.25
	छाबड़ा टीपीपी	कोयला	2320	2208.69	10379.13	7630.44	6826.93
	डीएई (राजस्थान)	न्यूक्लियर	100	0	0	0	0
	धौलपुर सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	330	0	20.92	247.72	124.84
	गिरल टीपीएस	लिग्नाइट	250	0	0	0	0
	जलीपा कपूर्दी टीपीपी	लिग्नाइट	1080	1011.86	6700.1	6855.95	6622.49
	जवाहर सागर एचपीएस	हाइड्रो	99	2.08	247	261.1	307.55
	कालीसिंध टीपीएस	कोयला	1200	678.55	5550.4	6691.18	5944.12
	कवाई टीपीएस	कोयला	1320	1417.39	7599.26	5067.15	8289.27
	कोटा टीपीएस	कोयला	1240	1318.74	7921.01	7213.05	7486.79
	माही बजाज एचपीएस	हाइड्रो				180.17	209.66
	माही बजाज-I एचपीएस	हाइड्रो	50	3.28	99.76		
	माही बजाज-II एचपीएस	हाइड्रो	90	1.35	17.32		
	आर.पी. सागर एचपीएस	हाइड्रो	172	0.02	334.32	378.26	448.78
	राजस्थान ए.पी.एस.	न्यूक्लियर	1080	1326.29	8034.28	8605.8	7472.6
	रामगढ़ सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	273.8	140.79	998.09	1448.68	1425.72
	सूरतगढ़ टीपीएस	कोयला	1500	798.68	7168.92	4964.36	4474.99
उत्तर प्रदेश	अनपरा सी टीपीएस	कोयला	1200	1439.44	8236.75	8397.1	8451.36
	अनपरा टीपीएस	कोयला	2630	3447.13	20140.46	16618.51	15219.41
	ओरैया सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	663.36	18.19	544.96	376.97	535.67
	बरखेड़ा टीपीएस	कोयला	90	32.24	148.7	190.36	391.92
	दादरी (एनसीटीपीपी)	कोयला	1820	1449.57	10533.54	9933.39	8765.46
	दादरी सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	829.78	437.85	1661.51	1627.81	2236.96
	हरदुआगंज टीपीएस	कोयला	605	572.08	3141.52	3850.52	3825.11
	खांबरखेड़ा टीपीएस	कोयला	90	31.67	141.2	181.51	375.3
	खारा एचपीएस	हाइड्रो	72	65.89	286.14	259.14	268.93
	कुंदरकी टीपीएस	कोयला	90	50.23	203.67	192.12	460.8
	ललितपुर टीपीएस	कोयला	1980	1475.04	5449.92	8565.92	3953.51
	मकसूदपुर टीपीएस	कोयला	90	32.22	141.28	167.48	417.24
	माताटीला एचपीएस	हाइड्रो	30.6	9.37	97.48	93.81	122.68
	मेजा एसटीपीपी	कोयला	660	279.67	69.61	8.22	

	नरौरा ए.पी.एस.	न्यूक्लियर	440	616.25	3161.89	3636.38	3378.89
	ओबरा एचपीएस	हाइड्रो	99	9	231.03	299.96	216.71
	ओबरा टीपीएस	कोयला	1094	621.7	3648.03	4313.9	3842.06
	पंकी टीपीएस	कोयला	0	0	0	338.69	762.6
	परीछा टीपीएस	कोयला	1140	662.89	4978.88	6427.09	6139.11
	प्रयागराज टीपीपी	कोयला	1980	1438.4	7759.32	5635.06	4468.48
	रिहंद एचपीएस	हाइड्रो	300	25.22	561.71	833.78	567.24
	रिहंद एसटीपीएस	कोयला	3000	4130.88	22686.8	23530.54	21959.62
	रोसा टीपीपी फेज-I	कोयला	1200	1321.71	4340.9	7718.8	7913.9
	सिंगरौली एसटीपीएस	कोयला	2000	2594.42	14798.21	14781.83	15219.06
	टांडा टीपीएस	कोयला	440	405.34	2371.8	3277.98	3241.42
	ऊंचाहार टीपीएस	कोयला	1550	1573.89	7241	7092.48	6993.65
	उतरौला टीपीएस	कोयला	90	32.76	196.09	192.93	415.02
उत्तराखंड	छिन्नो (यमुना) एचपीएस	हाइड्रो	240	174.94	809.53	783.57	714
	चीला एचपीएस	हाइड्रो	144	129.78	632.41	811.66	769.35
	धकरानी एचपीएस	हाइड्रो	33.75	31.37	147.48	129.68	120.19
	धालीपुर एचपीएस	हाइड्रो	51	44.12	219.99	186.71	180.4
	धौलीगंगा एचपीएस	हाइड्रो	280	237.22	1106.21	1153.16	956.13
	गामा सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	225	135.72	412.36	560.66	492.43
	काशीपुर सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	225	263.33	841.88	1062.33	476.58
	खटीमा एचपीएस	हाइड्रो	41.4	36.27	232.25	212.6	180.14
	खोदरी एचपीएस	हाइड्रो	120	80.06	369.68	355.75	333.29
	कोटेश्वर एचपीएस	हाइड्रो	400	223.52	1223.84	1220.33	1224.55
	कुलहल एचपीएस	हाइड्रो	30	28.12	146.55	123.97	122.2
	मनेरीभाली-I एचपीएस	हाइड्रो	90	91.25	430.4	394.77	349.22
	मनेरीभाली-II एचपीएस	हाइड्रो	304	257.22	1302.34	1276.65	1251.71
	रामगंगा एचपीएस	हाइड्रो	198	5.23	188.14	250.64	180.94
	श्रीनगर एचपीएस	हाइड्रो	330	220.54	1375.31	1382.54	1280.75
	टनकपुर एचपीएस	हाइड्रो	94.2	85.36	452.89	459.74	430.29
	टिहरी स्टे.-1 एचपीएस	हाइड्रो	1000	471.9	3172.08	3080.94	3146.32
	विष्णुप्रयाग एचपीएस	हाइड्रो	400	315.28	1932.02	2160.9	2042.05
छत्तीसगढ़	अकलतारा टीपीएस	कोयला	1800	1958.01	7912.22	5806.98	6732.49
	अवंथा भंडार	कोयला	600	0	0	572.13	2819.44
	बाल्को टीपीएस	कोयला	600	530.17	2768.07	2313.07	3193.38
	बंधाखार टीपीपी	कोयला	300	389.68	2137.6	2223.84	1405.4
	बारदरहा टीपीएस	कोयला	1200	1215.05	6729.62	6536.81	7188.39
	भिलाई टीपीएस	कोयला	500	554.08	3426.23	3877.77	3651.19
	बिजकोट टीपीपी	कोयला	600	484.09	1464.92	673.97	0
	चाकबुरा टीपीपी	कोयला	30	43.56	241.55	268.75	242.94
	डीएसपीएम टीपीएस	कोयला	500	679.72	3828.15	4042.97	3982.4
	हसदियोबांगो एचपीएस	हाइड्रो	120	40.85	243.08	178.07	153.76
	कसाड़पाली टीपीपी	कोयला	270	342.37	1900.36	1905.36	2012.43
	काटघोरा टीपीपी	कोयला	35	0	0	0	0
	कोरबा एसटीपीएस	कोयला	2600	3394.85	20083.42	20477.94	20364.88
	कोरबा-II	कोयला	200	0	226.1	545.24	893.64
	कोरबा-III	कोयला	240	239.47	1317.27	1242.2	1396.99
	कोरबा-वेस्ट टीपीएस	कोयला	1340	1439.39	9472.41	9283.64	9235.86
	लारा टीपीपी	कोयला	800	71.15	262.91	0	
	मारवा टीपीएस	कोयला	1000	729.09	6415.52	5720	2554.67
	नवापारा टीपीपी	कोयला	600	594.6	3095.17	2741.13	714.27
	ओपी ज़िंदल टीपीएस	कोयला	1000	489.46	3349.21	4221.47	4482.79
	पथाडी टीपीपी	कोयला	600	658.7	4293.08	4139.42	4448.61
	रायखेडा टीपीपी	कोयला	1370	699.44	2830.89	1367.92	763.34
	रतिजा टीपीएस	कोयला	100	115.92	799.1	743.06	432.03
	सलौरा टीपीपी	कोयला	135	0	0	0	0
	सीपत एसटीपीएस	कोयला	2980	3968.45	23907.12	23009.82	23778.93
	एसवीपीएल टीपीपी	कोयला	63	48.81	12.44	27.13	303.06
	स्वास्तिक कोरबा टीपीपी	कोयला	25	0	0	0	0

	तमनार टीपीपी	कोयला	2400	1426.79	7044.63	6684.29	4797.7
	उचपिंडा टीपीपी	कोयला	1440	439.58	1953.26	1438.78	137.59
गोवा	गोवा सीसीपीपी (लिक्वि.)	नापथा	48	0	0	0	0
गुजरात	अकरीमोता लिग. टीपीएस	लिग्नाइट	250	129.78	1188.45	1357.12	1392.9
	बड़ौदा सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	160	0	0	35.56	135.09
	भावनगर सीएफबीसी टीपीपी	लिग्नाइट	500	0	588.95	480.15	55.47
	डीजीईएन मेगा सीपीपी	प्राकृतिक गैस	1200	273.42	0.7	0	1.02
	धुवरन सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	594.72	69.65	699.97	595.78	306.76
	एस्सार सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	515	0	0	0	0
	गांधार सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	657.39	99.47	1573.91	3111.93	2358.82
	गांधी नगर टीपीएस	कोयला	630	626.7	3703.99	3741.98	2172.33
	जीआईपीसीएल जीटी आईएमपी	प्राकृतिक गैस	0	31.88	202.85	196.18	203.42
	हजीरा सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	156.1	0	24.22	2.48	24.32
	हजीरा सीसीपीपी एक्सटें.	प्राकृतिक गैस	351	56.34	352.28	193.33	230.06
	कदाना एचपीएस	हाइड्रो	240	11.7	237.39	308.92	339.01
	काकरापारा	न्यूक्लियर	440	345.48	999.93	0	0
	कवास सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	656.2	451.89	2499.39	2405.9	1718.18
	कच्छ लिग. टीपीएस	लिग्नाइट	290	193.09	1205.39	1297.78	1483.92
	मुंद्रा टीपीएस	कोयला	4620	5573.33	23912.38	21907.95	30298.43
	मुंद्रा यूएमटीपीपी	कोयला	4000	5122.7	26839.3	26514.87	27460.24
	पेगुथान सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	655	0	293.98	434.57	280.62
	पीपावाव सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	702	26.34	493.76	168.06	229.99
	एस सरोवर सीएचपीएच एचपीएस	हाइड्रो	250	49.61	594.84	562.86	876.34
	एस सरोवर आरबीपीएच एचपीएस	हाइड्रो	1200	0	0	376.61	2332.87
	साबरमती (सी स्टेशन)	कोयला	60	0	0	0.01	0
	साबरमती (डी-एफ स्टेशन)	कोयला	362	491.26	2785.64	2638.77	2759.1
	सलाया टीपीपी	कोयला	1200	303.42	0	2682.42	5213.21
	सिक्का आरईपी टीपीएस	कोयला	500	551.14	2725.93	2677.54	2148.22
	सुजैन सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	1147.5	1268.55	6237.45	6522.62	4771.5
	सूरत लिग. टीपीएस	लिग्नाइट	500	599.36	3521.75	3271.72	3178.22
	उकई एचपीएस	हाइड्रो	300	46.02	210.58	303.53	395.66
	उकई टीपीएस	कोयला	1110	1386.71	6936.96	6768.96	5296.15
	उनोसुजैन सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	382.5	173.35	0	0	0
	उतरन सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	374	54.78	418.22	257.59	157.14
	वानकबोरी टीपीएस	कोयला	1470	1488.54	8343.14	7704.68	3929.62
मध्य प्रदेश	अमरकंटक एक्सटें टीपीएस	कोयला	210	307.55	1636.16	1728.15	1481.04
	अनूपपुर टीपीपी	कोयला	1200	1338.47	6689.6	6225.05	3760.16
	बानसागर टोन्स-I एचपीएस	हाइड्रो	315	194.15	578.35	545.37	1239.02
	बानसागर टोन्स-II एचपीएस	हाइड्रो	30	16.9	37.09	56.12	109.73
	बानसागर टोन्स-III एचपीएस	हाइड्रो	60	3.49	85.32	68.8	53.48
	बारगी एचपीएस	हाइड्रो	90	21.23	356.19	159.05	445.47
	बीना टीपीएस	कोयला	500	489.91	2503.79	2465.28	812.85
	गदरवारा टीपीपी	कोयला	800	178.62	0		
	गांधी सागर एचपीएस	हाइड्रो	115	0.66	249.88	351.38	351
	इंदिरा सागर एचपीएस	हाइड्रो	1000	181.04	1308.79	881.76	3320.79
	मधिखेड़ा एचपीएस	हाइड्रो	60	0.02	88.99	22.52	147.21
	महान टीपीपी	कोयला	1200	951.78	3220.09	2918.23	2629.2
	निगरी टीपीपी	कोयला	1320	1347.34	7330.28	7688.93	7266.96
	निवारी टीपीपी	कोयला	45	35.6	77.38	87.88	237.26
	ओंकारेश्वर एचपीएस	हाइड्रो	520	116.42	612.04	443.6	1427.7
	राजघाट एचपीएस	हाइड्रो	45	0	80.02	58.21	62.26
	संजय गांधी टीपीएस	कोयला	1340	1351.17	8680.63	7543.08	6843.25
	सासन यूएमटीपीपी	कोयला	3960	5671.03	32877.27	31792.52	29414.72
	सतपुरा टीपीएस	कोयला	1330	1068.14	7472.97	5020.85	3644.9
	सिओनी टीपीपी	कोयला	600	515.09	2500.55	1666.87	311.25
	श्री सिंगाजी टीपीपी	कोयला	2520	1800.63	7753.38	3954.09	2474.65
	विंध्याचल एसटीपीएस	कोयला	4760	6193.26	37539	37495.73	32206.94
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीएस	कोयला	1350	599.34	4074.09	4771.38	1874.7

	बेला टीपीएस	कोयला	270	0	149.37	80.51	0
	भंडारधारा एचपीएस स्टे.-II	हाइड्रो	34	3.39	56.44	42.55	47.12
	भीरा एचपीएस	हाइड्रो	150	45.29	351.02	341.17	379.14
	भीरा पीएसएस एचपीएस	हाइड्रो	150	81.59	558.77	551.13	572.49
	भीरा टेल रेस एचपीएस	हाइड्रो	80	12.8	94.57	97.15	101.58
	भिवपुरी एचपीएस	हाइड्रो	75	74.04	315.9	307.2	206.59
	भुसावल टीपीएस	कोयला	1210	1251.5	6595.75	6623.87	6120.56
	बुटीबोरी टीपीपी	कोयला	600	0	2212.73	3306.31	3742.52
	चंद्रपुर (महाराष्ट्र) एसटीपीएस	कोयला	2920	3276.57	15850.79	14798.22	14941.77
	दहानु टीपीएस	कोयला	500	618.14	3617.02	3534.27	3742.55
	धारीवाल टीपीपी	कोयला	600	607.87	3228.9	2393.27	1541.71
	जीईपीएल टीपीपी फेज-1	कोयला	120	0	0	0	0
	घाटघर पीएसएस एचपीएस	हाइड्रो	250	24.7	192.98	152.83	383.87
	जीएमआर वारोरा टीपीएस	कोयला	600	771.38	3895.25	3746.1	3703.42
	जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी	कोयला	1200	1428.05	8019.75	6731.26	6681.86
	खापरखेड़ा टीपीएस	कोयला	1340	1464.05	7471.18	6179.19	7714.77
	खोपोली एचपीएस	हाइड्रो	72	50.63	342.49	316.38	307.24
	कोराडी टीपीएस	कोयला	2400	1818.8	8429.52	9387.08	5853.85
	कोयना डीपीएच एचपीएस	हाइड्रो	36	44.17	196.18	135.15	156.02
	कोयना-I एचपीएस	हाइड्रो				517.92	640.51
	कोयना-II एचपीएस	हाइड्रो	600	357.59	1024.61		
	कोयना-III एचपीएस	हाइड्रो				533.3	649.7
	कोयना-IV एचपीएस	हाइड्रो	320	244.91	480.65	498.91	614.14
	मनगांव सीसीपीपी	हाइड्रो	1000	754.68	1066.51	945.47	1245.48
	मौदा टीपीएस	प्राकृतिक गैस	388	0	0	0	215.44
	मिहान टीपीएस	कोयला	2320	2211.45	11878.13	7971.14	4305.65
	कोयना-I एचपीएस	कोयला	246	0	0	0	0
	नासिक (पी) टीपीएस	कोयला	1350	0	0	1.69	0.72
	नासिक टीपीएस	कोयला	630	583.92	2316.16	2887.88	3328.71
	पारस टीपीएस	कोयला	500	709.54	2628.25	3116.32	2988.82
	पारली टीपीएस	कोयला	1170	156.17	2842.07	3067.31	1627.09
	पेंच एचपीएस	हाइड्रो	160	10.85	131.61	159.53	360.14
	रत्नागिरी सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	1967.08	729.13	4465.63	4501.03	
	रत्नागिरी सीसीपीपी-I	प्राकृतिक गैस					0
	रत्नागिरी सीसीपीपी-II	प्राकृतिक गैस					2438.41
	रत्नागिरी सीसीपीपी-III	प्राकृतिक गैस					2119.31
	शौरपुर टीपीपी	कोयला	150	0	0	4.74	
	सोलापुर एसपीएस	कोयला	1320	76.69	1783.67	1397.56	0
	तारापुर	न्यूक्लियर	1400	2013.52	10766.42	6876.25	10860.2
	तिल्लारी एचपीएस	हाइड्रो	60	18.14	110.96	57.81	106.16
	तिरौरा टीपीएस	कोयला	3300	4266.77	21665.55	17596.24	17642.56
	ट्रॉम्बे सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	180	260.75	1410.82	1353.66	1413.14
	ट्रॉम्बे टीपीएस	कोयला	1250	853.7	5018.74	4940.5	4980.93
	उरन सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	672	398.57	2574.69	3211.7	3294.56
	वैतर्णा एचपीएस	हाइड्रो	60	55.09	154.17	204.62	153.52
	वर्धा वरौरा टीपीपी	कोयला	540	0	1052.44	1129.7	1394.9
आंध्र प्रदेश	दामोदरम संजीवैयाह टीपीएस	कोयला	1600	1480.29	6957.21	4939.92	8804.65
	डॉ एन. टाटा राव टीपीएस	कोयला	1760	2074.69	10885.93	10821.55	11652.38
	गौतमी सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	464	0	0	0	0
	जीएमआर एनर्जी लि. - काकीनाडा	प्राकृतिक गैस	220	0	0	0	0
	गोदावरी सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	208	82.21	1142.85	572.4	1008.75
	जीआरईएल सीसीपीपी (राजमुंदरी)	प्राकृतिक गैस	768	0	0	0	643.51
	जेगुरुपडु फेज-I सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	235.4	83.88	826.31	1065.12	924.13
	जेगुरुपडु फेज-II सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	220	0	0	0	75.08
	कोनासीमा सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	445	0	0	0	0
	कोंडापल्ली एक्सटें. सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	366	0	0	0	157.32
	कोंडापल्ली सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	350	175.79	1667.06	660.7	850.27
	कोंडापल्ली एसटी-3 सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	742	0	0	0	1266.11

	एलवीएस पावर डीजी	डीजल	36.8	0	0	0	0
	नागार्जुन सागर टीपीडी एचपीएस	हाइड्रो	90	0	101.55	59.73	4.15
	नागार्जुन सागर आरबीसी एचपीएस	हाइड्रो	50	1.5	49.92	42.13	7.35
	पैनमपुरम टीपीपी	कोयला	1320	1532.72	8369.17	9833.58	9059.4
	पेड्डापूरम सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	220	0	0	0	0
	रायलसीमा टीपीएस	कोयला	1650	1575.98	6637.55	6924.7	6711.64
	एसजीपीएल टीपीपी	कोयला	1320	1706.57	9736.08	8970.59	1658.6
	सिम्हाद्री	कोयला	2000	1897.08	12449.08	11773.71	14173.49
	सिम्हापुरी टीपीएस	कोयला	600	0	99.46	25.02	1617.72
	श्रीशैलम एचपीएस	हाइड्रो	770	28.28	551.07	574.95	640.61
	थामिनापट्टनम टीपीएस	कोयला	300	0	36.59	587.3	1373.63
	अपर सिलेरू एचपीएस	हाइड्रो	240	113.51	476.34	482.22	340.41
	वेमागिरी सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	370	0	0	0	305.33
	विजेश्वरम सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	272	116.23	1114.49	1192.04	691.1
	विजाग टीपीपी	कोयला	1040	604.73	949.1	3326.14	3282.53
कर्नाटक	अलमत्ती डीपीएच एचपीएस	हाइड्रो	290	4.64	408.42	441.58	404.05
	बेल्गारी डीजी	डीजल	25.2	0	0	0	0
	बेल्गारी टीपीएस	कोयला	1700	877.22	4059.06	4021.14	6402.37
	भद्रा एचपीएस	हाइड्रो	26	1.68	55.21	15.69	27.06
	गेरुसुप्पा एचपीएस	हाइड्रो	240	85.5	525.67	280.89	276.6
	घाटप्रभा एचपीएस	हाइड्रो	32	8.16	80.67	48.37	48.74
	हम्पी एचपीएस	हाइड्रो	36	0.37	19.21	36.26	0.1
	जोग एचपीएस	हाइड्रो	139.2	41.97	194.44	191.48	288.25
	कद्रा एचपीएस	हाइड्रो	150	39.82	375.85	192.91	176.42
	कैगा	न्यूक्लियर	880	1277.06	7216.53	7533.41	6533.49
	कालिंदी एचपीएस	हाइड्रो	855	554.01	2777.85	1537.28	1344.82
	कालिंदी सुपा एचपीएस	हाइड्रो	100	107.68	596.16	290.98	239.2
	कोडासली एचपीएस	हाइड्रो	120	51.09	345.56	170.94	154.16
	कुडगी एसटीपीपी	कोयला	2400	1088.53	7566.33	3945.19	25.49
	लिग्नमक्की एचपीएस	हाइड्रो	55	35.71	252.53	125.55	105.64
	मुनीराबाद एचपीएस	हाइड्रो	28	0	89.42	51.38	31.49
	रायचूर टीपीएस	कोयला	1720	2165.6	8917.98	10834.52	11495.67
	शारावथी एचपीएस	हाइड्रो	1035	912.69	4786.18	2722.35	2708.77
	शिवसमुद्रम एचपीएस	हाइड्रो	42	20.13	284.19	176.81	145.14
	टीबी डैम एचपीएस	हाइड्रो	36	1.73	152.54	97.71	81.16
	टोरंगलु टीपीएस (एसबीयू-I)	कोयला	260	190.29	1319.47	1675.06	1714.95
	टोरंगलु टीपीएस (एसबीयू-II)	कोयला	600	301.5	2484.62	2338.1	2700.39
	उडुपी टीपीपी	कोयला	1200	1050.6	5214.35	6181.32	7875.42
	वराही एचपीएस	हाइड्रो	460	200.45	1243.79	762.44	740.75
	येलहांका (डीजी)	डीजल	127.92	0	0	0	0
	येरमारस टीपीपी	कोयला	1600	0	790.93	997.45	246.54
केरल	ब्रह्मपुरम डीजी	डीजल	63.96	0	0.28	0.46	5.53
	कोचीन सीसीपीपी (लिक्वि.)	नापथा	174	0	0	42.65	0
	इदमलायर एचपीएस	हाइड्रो	75	59.33	345.5	256.26	171.72
	इदुक्की एचपीएस	हाइड्रो	780	635.15	2920.43	1611.06	1380.06
	कक्कड़ एचपीएस	हाइड्रो	50	39.12	221.66	159.88	131.68
	कोझीकोड डीजी	डीजल	96	12.13	3.79	1.46	42.19
	कुट्टियाडी एचपीएस	हाइड्रो	75	17.88	233.75	430.12	327.24
	कुट्टियाडी एडिशि.एक्सटें. एचपीएस	हाइड्रो	100	55.62	270.27	170.94	151.48
	कुट्टियाडी एक्सटें. एचपीएस	हाइड्रो	50	14.13	189.36		
	लोअर पेरियार एचपीएस	हाइड्रो	180	35.85	525.18	507.74	307.23
	नारीमंगलम एचपीएस	हाइड्रो	45	35.71	377.85	310.6	197.3
	पल्लीवसल एचपीएस	हाइड्रो	37.5	23.61	185.25	188.39	166.05
	पनियार एचपीएस	हाइड्रो	30	21.25	114.59	129.47	62.33
	पोरिंगलकुडू एचपीएस	हाइड्रो	32	3.93	94.6	116.74	91.1
	आर. गांधी सीसीपीपी (लिक्वि.)	नापथा	359.58	0	0.81	4.19	15.4
	साबरिगिरी एचपीएस	हाइड्रो	300	281.45	1516.4	968.46	798.79
	सैंगुलम एचपीएस	हाइड्रो	48	24.96	122.98	144.91	115.66

	शोलायर एचपीएस	हाइड्रो	54	53.36	202.39	204.69	166.85
पुडुचेरी	कराईकल सीसीपी	प्राकृतिक गैस	32.5	42.61	229.88	226.45	246.84
तमिलनाडु	अलियार एचपीएस	हाइड्रो	60	5.33	48.57	90.08	61.73
	बी. ब्रिज डीजी	नाप्या	120	0	0.05	6.12	10.98
	बेसिन ब्रिज जीटी (लिक्वि.)	हाइड्रो	30	2.63	77.16	37.62	19.83
	भवानी बैराज-III एचपीएस	हाइड्रो	30	0	34.06	0	17.47
	भवानी बैराज-II एचपीएस	हाइड्रो	30	1.33	70.21	16.96	20.59
	एन्नोर टीपीएस	कोयला	0	0	0	0	191.99
	आईटीपीसीएल टीपीपी	कोयला	1200	1105.07	5544.59	5724.29	4975.7
	कदमपरी एचपीएस	हाइड्रो	400	0.79	434.75	384.36	289.39
	करूपपुर सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	119.8	129.26	647.48	480.13	478.97
	कोडायार एचपीएस	हाइड्रो				123.98	169.43
	कोडायार-I एचपीएस.	हाइड्रो	60	11.45	144.11		
	कोडायार-II एचपीएस.	हाइड्रो	40	0.01	49.97		
	कोविकलपल सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	107.88	38.92	315.36	302.47	348
	कुडनकुलम	न्यूक्लियर	2000	1101.14	6142.61	8718.54	6466.02
	कुंडहा एचपीएस	हाइड्रो				806.23	815.61
	कुंडहा-I एचपीएस.	हाइड्रो	60	43.32	270.77		
	कुंडहा-II एचपीएस.	हाइड्रो	175	101.88	678.67		
	कुंडहा-III एचपीएस.	हाइड्रो	180	56.69	397.66		
	कुंडहा-IV एचपीएस.	हाइड्रो	100	5.74	172.05		
	कुंडहा-V एचपीएस.	हाइड्रो	40	6.09	89.84		
	कुडलम सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	100	29.09	410.27	349.49	380.17
	लोअर मेडूर एचपीएस	हाइड्रो				131.95	92.27
	लोअर मेडूर-I	हाइड्रो	30	4.06	69.66		
	लोअर मेडूर-II	हाइड्रो	30	2.17	31.68		
	लोअर मेडूर-III	हाइड्रो	30	3.45	65.27		
	लोअर मेडूर-IV	हाइड्रो	30	2.15	53.7		
	मद्रास ए.पी.एस.	न्यूक्लियर	440	262.21	1490.93	2975.74	3204.67
	मैदूर डैम एचपीएस	हाइड्रो	50	10.87	147.96	52.24	44.75
	मेदूर टीपीएस	कोयला	840	1080.43	5807.22	7558.6	9177.43
	मेदूर टीपीएस-II	कोयला	600	726.26	3153.1		
	मैदूर टनल एचपीएस	हाइड्रो	200	5.91	440.59	163.32	80.73
	मोयार एचपीएस	हाइड्रो	36	13.93	161.99	94.4	61.52
	मथियारा टीपीपी	कोयला	1200	346.04	3221.74	3906.24	3749.1
	नैवेली (एक्सटें.) टीपीएस	लिग्नाइट	420	565.52	2949.65	3247.15	3328.33
	नैवेली टीपीएस-I	लिग्नाइट	500	500.41	3105.9	3379.73	3696.52
	नैवेली टीपीएस (जेड)	लिग्नाइट	250	260.66	1290.36	1025.27	1078.69
	नैवेली टीपीएस-II	लिग्नाइट	1470	1828.33	10744.54	10262.56	11052.08
	नैवेली टीपीएस-II एक्सपें.	लिग्नाइट	500	324.75	1931.31	2009.9	1373.25
	नॉर्थ चेन्नई टीपीएस	कोयला	1830	2065.02	10711.12	10062.78	10092.3
	पी. नल्लूर सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	330.5	0	0	0	189.35
	पपानासम एचपीएस	हाइड्रो	32	1.55	120.91	115.28	66.54
	पर्सन्स वैली एचपीएस	हाइड्रो	30	0	45.94	27.11	23.95
	पेरियार एचपीएस	हाइड्रो	161	0	703	287.1	93.91
	पाइकारा एचपीएस	हाइड्रो	59.2	0.04	22.05	0.98	12.74
	पाइकारा अल्टीमेट एचपीएस	हाइड्रो	150	40.21	507.96	274.11	192.55
	समलपट्टी डीजी	डीजल	105.7	0	0	0	0
	समयानल्लूर डीजी	डीजल	106	0	0	0	12.01
	सरकारपथी एचपीएस	हाइड्रो	30	26.6	129.65	85.46	63.29
	शोलायर एचपीएस (टीएन)	हाइड्रो	70	0	220.86	157.73	228.11
	सुरुलियार एचपीएस	हाइड्रो	35	7.92	92.55	70.69	42.71
	तूतीकोरिन (जेवी) टीपीपी	कोयला	1000	502.64	5486.62	5412.83	6252.04
	तूतीकोरिन (पी) टीपीपी	कोयला	300	0	0	0	23.62
	तूतीकोरिन टीपीएस	कोयला	1050	1280.64	6306.31	5247.18	5547.59
	वालंटरवी सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	52.8	51.54	352.86	371.45	378.18
	वल्लूर टीपीपी	कोयला	1500	1202.42	7706.87	7167.72	9210.86
	वल्लूर सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	186.2	227.74	1178.03	1258.51	966.71

तेलंगाना	काकातिया टीपीएस	कोयला	1100	1491.33	7727.37	7392.3	6578.52
	कोथागुडेम टीपीएस	कोयला	420	424.75	3611.15	3871.07	3964.11
	कोथागुडेम टीपीएस (न्यू)	कोयला	1800	2438.21	9210.48	7131.2	6586.16
	लोअर जुराला एचपीएस	हाइड्रो	240	0	153.31	205.9	176.34
	लोअर सिलेरू एचपीएस	हाइड्रो	460	174.06	1094.06	1109.77	831.9
	नागार्जुन सागर एचपीएस	हाइड्रो	815.6	17.7	338.82	184.49	186.15
	नागार्जुन सागर एलबीसी एचपीएस	हाइड्रो	60	0	53.3	12.8	0
	पोचमपड एचपीएस	हाइड्रो	36	0.4	31.7	35.69	75.29
	प्रियदर्शिनी जुराला एचपीएस	हाइड्रो	234	0	165	217.4	211.99
	पुलीचिंताला एचपीएस	हाइड्रो	120	0	17.3	6.6	13
	रामागुंडम-बी टीपीएस	कोयला	62.5	83.42	423.03	474.84	453.7
	रामागुंडम एसटीपीएस	कोयला	2600	3151.14	18547.91	18867.65	19597.52
	सिगरैनी टीपीपी	कोयला	1200	1618.23	8698.48	9575.16	4099.33
	श्रीशैलम एलबी एचपीएस	हाइड्रो	900	20.73	985.18	829.1	617.22
अंडमान निकोबार	अंड. निकोबार डीजी	डीजल	40.05	19.89	120.73	258.79	215.56
बिहार	बरोनी टीपीएस	कोयला	710	8.89	44.85	39.48	131.42
	बाढ़-II	कोयला	1320	1753.33	9845.23	9272.35	7642.01
	कहलगाँव टीपीएस	कोयला	2340	2502.74	16485.91	16316.65	15947.93
	मुजफ्फरपुर टीपीएस	कोयला	610	670.94	3039.78	1750.61	793.49
	नबी नगर टीपीपी	कोयला	750	764.56	2754.75	1060.94	0
डीवीसी	बोकारो बी टीपीएस	कोयला	210	52.99	688.44	573.94	1456.68
	बोकारो टीपीएस 'ए' एक्सपी	कोयला	500	527.6	2920.75	2924.25	208
	चंद्रपुर (डीवीसी) टीपीएस	कोयला	630	689.08	3560.59	4075.82	5642.7
	दुर्गापुर स्टील टीपीएस	कोयला	1000	1230.18	6293.54	6503.85	6655.77
	दुर्गापुर टीपीएस	कोयला	210	34.18	981.28	947.1	592.72
	कोडरमा टीपीपी	कोयला	1000	1275.31	6278.75	5911.3	3801.77
	मैथॉन एचपीएस	हाइड्रो	63.2	1.28	101.36	114.41	122.03
	मेजिया टीपीएस	कोयला	2340	2606.7	12744.35	12478.48	12936.78
	पंचेट एचपीएस	हाइड्रो	80	4.8	79.79	141.94	133.51
	रघुनाथपुर टीपीपी	कोयला	1200	827.95	3208.4	2279.47	2016.51
झारखंड	जोजोबेरा टीपीएस	कोयला	240	282.86	1519.04	1618.38	2274.02
	महादेव प्रसाद एसटीपीपी	कोयला	540	469.85	2876.22	2909.92	3257.47
	मैथॉन आरबी टीपीपी	कोयला	1050	1221.5	7267.81	7345.34	7356.63
	पतरातु टीपीएस	कोयला	0	0	0	0	385.88
	सुबर्णरेखा एचपीएस	हाइड्रो				190.38	30.13
	सुबर्णरेखा-I एचपीएस	हाइड्रो	65	0.35	51.47		
	सुबर्णरेखा-II एचपीएस	हाइड्रो	65	0.31	49.72		
	टेनुघाट टीपीएस	कोयला	420	415.97	1689.05	1933.31	1423.3
ओडिशा	बालीमेला एचपीएस	हाइड्रो	510	303.88	1732.21	1477.19	1001.38
	चिपलीमा एचपीएस	हाइड्रो	72	34.29	168.31		
	देरांग टीपीपी	कोयला	1200	753.22	4213.6	3657.42	6515.3
	हीराकुड एचपीएस	हाइड्रो	275.5	61.76	380.27	863.05	716.97
	आईबी वैली टीपीएस	कोयला	420	546.88	3085.46	2840.33	3235.67
	आईसीसीएल (आईएमएफए) आईएमपी	कोयला	0	30.21	186.59	296.5	320.25
	कमलंगा टीपीएस	कोयला	1050	1228.71	6690.02	5583.99	5932.79
	मचकुंद एचपीएस	हाइड्रो	114.75	113.54	593.68	467.7	700.31
	नाल्को आईएमपी	कोयला	0	15.56	194.02	279.43	315.43
	रेंगाली एचपीएस	हाइड्रो	250	55.54	837.89	762.61	553.56
	स्टरलाइट टीपीपी	कोयला	1200	74.4	828.09	1074.47	7801.53
	तालचर (ओल्ड) टीपीएस	कोयला	460	663.49	3606.84	3780.71	3759.53
	तालचर एसटीपीएस	कोयला	3000	3812.57	21242.3	22976.99	22847.48
	अपर इंद्रावती एचपीएस	हाइड्रो	600	403.5	2141.84	1745.57	1521.64
	अपर कोलाब एचपीएस	हाइड्रो	320	139.11	923.25	706.87	619.34
	उत्कल टीपीपी (इंड बराथ)	कोयला	350	0	0	0	0
सिक्किम	चूजाचैन एचपीएस	हाइड्रो	110	69.44	417.4	444.79	494.75
	दिक्चू एचपीएस	हाइड्रो	96	81.31	462.24	370.1	
	जोरथांग लूप	हाइड्रो	96	37.69	409.75	406.01	405.63

	रंगित एचपीएस	हाइड्रो	60	52.03	349.09	345.91	347.14
	ताशिडिंग एचपीएस	हाइड्रो	97	40.62	423.73	73.07	0
	तीस्ता-V एचपीएस	हाइड्रो	510	580.35	2701.46	2818.78	2773.46
	तीस्ता-III एचपीएस	हाइड्रो	1200	1116.67	4258.4	4429.33	309.42
पश्चिम बंगाल	बकरेश्वर टीपीएस	कोयला	1050	1439.12	7182.26	7486.77	7050.54
	बंदेल टीपीएस	कोयला	330	204.99	1315.39	1926.03	1885.02
	बज बज टीपीएस	कोयला	750	1049.73	6011.69	6033.39	5410.75
	डी.पी.एल. टीपीएस	कोयला	660	544.06	2442.23	2524.46	2143.41
	फरक्का एसटीपीएस	कोयला	2100	2444.88	14846.44	13356.91	13743.98
	हल्दिया जीटी (लिक्वि.)	हाई स्पीड डीजल	40	0	0	0	0
	हल्दिया टीपीपी	कोयला	600	753.52	4614.74	4525.89	4015.49
	हिरनमये टीपीपी	कोयला	300	0	80.71	27.48	
	जलदाका एचपीएस स्टे.-I	हाइड्रो	36	34.96	197.04	145.18	205.46
	कसबा जीटी (लिक्वि.)	हाई स्पीड डीजल	40	0	0	0	0
	कोलाघाट टीपीएस	कोयला	1260	772.6	4422.88	4749.84	6038
	पुरुलिया पीएसएस एचपीएस	हाइड्रो	900	161.24	1103.97	1014.37	1106.97
	रम्माम एचपीएस	हाइड्रो	50	23.36	236.93	122.47	248.42
	सागरदिघी टीपीएस	कोयला	1600	1236.81	6051.94	6341.75	4877.43
	संतालडिह टीपीएस	कोयला	500	674.12	3552.62	2941.59	3667.33
	सदर्न रिप. टीपीएस	कोयला	135	101.32	283.78	303.76	410.68
	तीस्ता लो डैम-III एचपीएस	हाइड्रो	132	93.79	572.06	386.87	553.87
	तीस्ता लो डैम-IV एचपीएस	हाइड्रो	160	114.93	708.45	495.15	602.53
	टीटागढ़ टीपीएस	कोयला	240	0	0	0	232.81
अरुणाचल प्रदेश	पारे एचपीएस	हाइड्रो	110	62.9	347.16	0	0
	रंगानदी एचपीएस	हाइड्रो	405	172.88	1051.86	1416.74	1249.01
असम	बोंगाईगांव टीपीपी	कोयला	750	708.16	2824.21	1732.17	1680.27
	कारबी लांगपी एचपीएस	हाइड्रो	100	40.34	372.72	484.98	396.59
	कथलगुड़ी सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	291	285.69	1639.49	1598.25	1572.63
	खोंडोंग एचपीएस	हाइड्रो	50	35.46	203.82	260.77	197.1
	कोपिली एचपीएस	हाइड्रो	200	148.95	1117.82	1172.83	1088.27
	लकवा जीटी	प्राकृतिक गैस	97.2	56.15	464.66	657.03	888.73
	लकवा रिफ्लेसमेंट पावर प्रोजे.	प्राकृतिक गैस	69.76	91.18	287.86		
	नामरूप सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	161.25	41.86	314.4	326.86	354.88
मणिपुर	लीमाखोंग डीजी	डीजल	36	0	0	0	0
	लोकटक एचपीएस	हाइड्रो	105	70.89	602.61	837.74	741.07
मेघालय	किरदमकुई एचपीएस	हाइड्रो	60	15.16	134.84	132.18	65.29
	मिटडू (तेश्का) स्टे.-1 एचपीएस	हाइड्रो	126	54.4	362.95	502.47	391.65
	न्यू उमतरू एचपीएस	हाइड्रो	40	14.68	180.03	159.52	0
	उमियम एचपीएस स्टे.-I	हाइड्रो	36	10.61	85.11	128.65	96.65
	उमियम एचपीएस स्टे.-IV	हाइड्रो	60	16.34	166.6	217.44	166.01
मिजोरम	तुरियल एचपीएस	हाइड्रो	60	7.89	168.44	78.37	
नागालैंड	दोयांग एचपीएस	हाइड्रो	75	5.54	231.47	274.39	258.94
त्रिपुरा	अगरतला जीटी	प्राकृतिक गैस	135	116.01	650.63	688.27	904.58
	बारामुआ जीटी	प्राकृतिक गैस	58.5	28.99	173.54	177.88	188.25
	मोनार्चक सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	101	110.08	681.27	671.53	172.05
	रोखिया जीटी	प्राकृतिक गैस	111	74.31	414.03	408.43	435.94
	त्रिपुरा सीसीपीपी	प्राकृतिक गैस	726.6	872.93	4711.38	4053.16	4173.07
भूटान (आयात)	भूटान (आयात)	हाइड्रो		592.7	4406.62	4778.33	5617.34
			278392.07	226010.27	1249336.7	1206306.25	1160140.94

टिप्पणी: * अनंतिम

1. सकल उत्पादन केवल पारंपरिक स्रोतों (थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लियर) के 25 मेगावाट और उससे अधिक के स्टेशनों से है।
2. ऊपर दिए गए आंकड़े संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भौगोलिक रूप से स्थित सभी विद्युत स्टेशनों (केंद्रीय, राज्य और निजी क्षेत्र) का सकल उत्पादन दर्शाते हैं।

लोक सभा में दिनांक 11.07.2019 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3122 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

नवीकरणीय स्रोतों से संस्थापित क्षमता और उत्पादन निष्पादन

क्रम सं.	क्षेत्र/राज्य	31 मई, 2019 की स्थिति के अनुसार संस्थापित क्षमता	अप्रैल-मई, 2019 के दौरान उत्पादन
		(मेगावाट)	(एमयू)
1	चंडीगढ़	35	2.66
2	दिल्ली	184	53.63
3	हरियाणा	427	112.74
4	हिमाचल प्रदेश	894	393.82
5	जम्मू और कश्मीर	195	84.77
6	पंजाब	1282	514.88
7	राजस्थान	7994	2079.30
8	उत्तर प्रदेश	3028	1078.60
9	उत्तराखंड	597	214.90
	उत्तरी क्षेत्र	14,636	4535.30
10	छत्तीसगढ़	535	128.62
11	गुजरात	8981	2904.77
12	मध्य प्रदेश	4716	1600.61
13	महाराष्ट्र	9321	2362.25
14	दमन और दीव	15.4	4.24
15	दादरा व नागर हवेली	5.5	1.36
16	गोवा	4.8	-
	पश्चिमी क्षेत्र	23,580	7001.85
17	आंध्र प्रदेश	7947	2188.86
18	तेलंगाना	3994	1271.34
19	कर्नाटक	13917	3242.66
20	केरल	415	97.49
21	तमिलनाडु	13103	2746.29
22	पांडिचेरी	3.1	0.54
23	लक्षद्वीप	0.8	0.14
	दक्षिणी क्षेत्र	39,380	9547.32
24	बिहार	329	52.52
25	डीवीसी	-	0.01
26	झारखंड	41	3.43
27	ओडिशा	512	157.05
28	पश्चिम बंगाल	488	257.34
29	सिक्किम	52	4.64
30	अंडमान-निकोबार	17	3.16
	पूर्वी क्षेत्र	1,438	478.15
31	अरुणाचल प्रदेश	136	0.38
32	असम	61	4.92
33	मणिपुर	9	0.35
34	मेघालय	33	7.89
35	मिजोरम	37	7.59
36	नागालैंड	32	3.40
37	त्रिपुरा	25	5.10
	पूर्वोत्तर	333	29.63
38	अन्य	4.3	357.13
	अखिल भारतीय	79,372	21949.38

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 11.07.2019 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3122 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

देश में निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का अनुमानित समय
		केंद्रीय क्षेत्र			
1	बिहार	बाढ़ एसटीपीपी-I	यू-1	660	अप्रैल-20
			यू-2	660	अप्रैल-21
			यू-3	660	मई-22
2	बिहार	नबी नगर टीपीपी	यू-4	250	अप्रैल-20
3	बिहार	न्यू नबी नगर टीपीपी	यू-1	660	सितंबर-19
			यू-2	660	अप्रैल-20
			यू-3	660	मार्च-22
4	छत्तीसगढ़	लारा एसटीपीपी	यू-2	800	दिसं.-19
5	झारखंड	नॉर्थ करणपुरा एसटीपीपी	यू-1	660	अक्तूबर-20
			यू-2	660	अक्तूबर-21
			यू-3	660	मार्च-22
6	मध्य प्रदेश	गदरवारा एसटीपीपी	यू-2	800	दिसंबर-19
7	मध्य प्रदेश	खरगोन एसटीपीपी	यू-1	660	जुलाई-19
			यू-2	660	मार्च-20
8	ओडिशा	दार्लीपल्ली एसटीपीपी	यू-1	800	सितंबर-19
			यू-2	800	जून-20
9	राजस्थान	बरसिंगसर टीपीपी एकसटें.	यू-1	250	ऑन होल्ड
10	राजस्थान	बिथनोक टीपीपी	यू-1	250	ऑन होल्ड
11	तेलंगाना	तेलंगाना एसटीपीपी स्टे.-I	यू-1	800	अगस्त-20
			यू-2	800	जुलाई-21
12	तमिलनाडु	नैवेली न्यू टीपीपी	यू-1	500	अगस्त-19
			यू-2	500	मार्च-20
13	उत्तर प्रदेश	मेजा एसटीपीपी	यू-2	660	जून-20
14	उत्तर प्रदेश	घाटमपुर टीपीपी	यू-1	660	फरवरी-22
			यू-2	660	अगस्त-23
			यू-3	660	फरवरी-23
15	उत्तर प्रदेश	टांडा टीपीपी स्टे.-II	यू-5	660	सितंबर-19
			यू-6	660	अप्रैल-20
16	झारखंड	पतरातु एसटीपीपी	यू-1	800	मई-22
			यू-2	800	सितंबर-22
			यू-3	800	दिसंबर-22
17	ओडिशा	राऊरकेला पीपी-II एक्सपेंशन	यू-1	250	अप्रैल-22
	कुल केंद्रीय क्षेत्र			20420	
		राज्य क्षेत्र			
1	आंध्र प्रदेश	डॉ. नारल्ला टाटा राव टीपीएस स्टे.-V	यू-1	800	फरवरी-20

2	आंध्र प्रदेश	श्री दामोदरम संजीव्याह टीपीपी स्टे.-II	यू-1	800	सितंबर-20
3	असम	नामरूप सीसीजीटी	ST	36.15	दिसं.,-19
4	गुजरात	वांकाबोरी टीपीएस एक्सटें.	यू-8	800	अक्टूबर-19
5	कर्नाटक	येलहांका सीसीपीपी	जीटी+एसटी	370	अक्टूबर-19
6	महाराष्ट्र	भुसावल टीपीएस	यू-6	660	उपलब्ध नहीं
7	ओडिशा	आईबी वैली टीपीपी	यू-4	660	सितंबर-19
8	राजस्थान	सूरतगढ़ एससीटीपीपी	यू-7	660	सितंबर-19
			यू-8	660	सितंबर-20
9	तेलंगाना	भद्रादरी टीपीपी/टीएसजैको/भेल	यू-1	270	मार्च-20
			यू-2	270	सितंबर-20
			यू-3	270	मार्च-21
			यू-4	270	सितंबर-22
10	तमिलनाडु	एन्नोर एक्सपें. एससीटीपीपी	यू-1	660	जुलाई-21
11	तमिलनाडु	एन्नोर एससीटीपीपी	यू-1	660	जुलाई-21
			यू-2	660	फरवरी-22
12	तमिलनाडु	नॉर्थ चेन्नई टीपीपी स्टे.-III	यू-1	800	जुलाई-20
13	तमिलनाडु	उडनगुडी एसटीपीपी स्टेज-I	यू-1	660	दिसंबर-21
			यू-2	660	जून-22
14	तमिलनाडु	अपर सुपर क्रिटिकल टीपीपी	यू-1	800	मार्च-22
			यू-2	800	सितंबर-22
15	उत्तर प्रदेश	हरदुआगंज टीपीएस एक्सपें.-II	यू-1	660	अप्रैल-20
16	तेलंगाना	यादादरी टीपीएस	यू-1	800	सितंबर-20
			यू-2	800	सितंबर-20
			यू-3	800	मार्च-21
			यू-4	800	मार्च-21
			यू-5	800	सितंबर-21
17	उत्तर प्रदेश	जवाहरपुर एसटीपीपी	यू-1	660	मार्च-21
			यू-2	660	जुलाई-21
18	उत्तर प्रदेश	पंकी टीपीएस एक्सटें.	यू-1	660	
19	उत्तर प्रदेश	ओबरा-सी एसटीपीपी	यू-1	660	अप्रैल-21
			यू-2	660	दिसंबर-20
कुल राज्य क्षेत्र				20186.15	
निजी क्षेत्र					
1	आंध्र प्रदेश	भावनापडु टीपीपी फेज-I	यू-1	660	अनिश्चित
			यू-2	660	अनिश्चित
2	आंध्र प्रदेश	थामिनापट्टनम टीपीपी स्टेज-II/ मीनाक्षी एनर्जी प्रा. लि. एसजी-सेथर वेसेल्स टीजी-चाइनीज	यू-3	350	दिसंबर-20
			यू-4	350	मार्च-21
3	बिहार	सिरिया टीपीपी (जस इंफ्रा. टीपीपी)	यू-1	660	अनिश्चित
			यू-2	660	अनिश्चित
			यू-3	660	अनिश्चित
			यू-4	660	अनिश्चित
4	छत्तीसगढ़	अकालतारा टीपीपी (नैयारा)	यू-4	600	अप्रैल-22
			यू-5	600	अनिश्चित
			यू-6	600	अनिश्चित
5	छत्तीसगढ़	बिंजकोट टीपीपी	यू-3	300	अनिश्चित
			यू-4	300	अनिश्चित

6	छत्तीसगढ़	लेंको अमरकंटक टीपीपी-II	यू-3	660	अनिश्चित
			यू-4	660	अनिश्चित
7	छत्तीसगढ़	सिंघीतराई टीपीपी	यू-1	600	अनिश्चित
			यू-2	600	अनिश्चित
8	छत्तीसगढ़	सलोरा टीपीपी	यू-2	135	अनिश्चित
9	छत्तीसगढ़	देवरी (विसा) टीपीपी	यू-1	600	अनिश्चित
10	झारखंड	मैत्रीश्री उषा टीपीपी फेज-I/कारपोरेट पावर लि. ईपीसी-भेल	यू-1	270	अनिश्चित
			यू-2	270	अनिश्चित
11	झारखंड	मैत्रीश्री उषा टीपीपी फेज-II	यू-3	270	अनिश्चित
			यू-4	270	अनिश्चित
12	झारखंड	तोरी टीपीपी फेज-I	यू-1	600	अनिश्चित
			यू-2	600	अनिश्चित
13	झारखंड	तोरी टीपीपी फेज-II	यू-3	600	अनिश्चित
14	महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-II	यू-1	270	अनिश्चित
			यू-2	270	अनिश्चित
			यू-3	270	अनिश्चित
			यू-4	270	अनिश्चित
			यू-5	270	अनिश्चित
15	महाराष्ट्र	लेंको विदर्भा टीपीपी	यू-1	660	अनिश्चित
			यू-2	660	अनिश्चित
16	महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-II	यू-1	270	अनिश्चित
			यू-2	270	अनिश्चित
			यू-3	270	अनिश्चित
			यू-4	270	अनिश्चित
			यू-5	270	अनिश्चित
17	महाराष्ट्र	बिजोरा घनमुख टीपीपी	यू-1	300	अनिश्चित
			यू-2	300	अनिश्चित
18	महाराष्ट्र	शीरपुर टीपीपी	यू-2	150	अनिश्चित
19	मध्य प्रदेश	गोरजी टीपीपी	यू-1	660	अनिश्चित
21	ओडिशा	इंड बराथ टीपीपी (ओडिशा)	यू-2	350	अनिश्चित
22	ओडिशा	केवीके नीलांचल टीपीपी	यू-1	350	अनिश्चित
			यू-2	350	अनिश्चित
			यू-3	350	अनिश्चित
23	ओडिशा	लेंको बाबंध टीपीपी	यू-1	660	अनिश्चित
			यू-2	660	अनिश्चित
24	ओडिशा	मली ब्राह्मणी टीपीपी	यू-1	525	अनिश्चित
			यू-2	525	अनिश्चित
25	तमिलनाडु	तूतीकोरिन टीपीपी (इंड बराथ)	यू-1	660	अनिश्चित
26	तमिलनाडु	तूतीकोरिन टीपीपी स्टे.-IV	यू-1	525	दिसंबर-20
27	पश्चिम बंगाल	हिरनमये एनर्जी लि. (इंडिया पावर कारपोरेशन (हल्दिया) टीपीपी	यू-3	150	अनिश्चित
कुल निजी क्षेत्र				23730	
कुल जोड़				64336.15	

अनुबंध-IV

लोक सभा में दिनांक 11.07.2019 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3122 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

देश में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) की राज्य-वार सूची

(31.05.2019 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	स्कीम का नाम (निष्पादन एजेंसी)	क्षेत्र	संस्थापित क्षमता (सं. x मेगावाट)	निष्पादनाधीन क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की संभावना
	आंध्र प्रदेश	-			
1	पोलावरम (एपजैको/सिंचाई विभाग, ए.पी.)	राज्य	12x80	960.00	2021-23 (मार्च, 23)
	उप-जोड़: आंध्र प्रदेश			960.00	
	अरुणाचल प्रदेश				
2	कामेंग (नीपको)	केंद्रीय	4x150	600.00	2019-20 (दिसं., 19)
3	सुबानसिरी लोअर (एनएचपीसी)	केंद्रीय	8x250	2000.00	2023-24 *
	उप-जोड़: अरुणाचल प्रदेश			2600.00	
	हिमाचल प्रदेश				
4	पारबती स्टे.-II (एनएचपीसी)	केंद्रीय	4x200	800.00	2021-22 (दिसं., '21)
5	उहल-III (बीवीपीसीएल)	राज्य	3x33.33	100.00	2019-20 जन., 20)
6	स्वारा कुड्डू (एचपीपीसीएल)	राज्य	3x37	111.00	2019-20 (मार्च, 20)
7	शोंगटोंग करछम (एचपीपीसीएल)	राज्य	3x150	450.00	2023-25 (अप्रैल, 24)
8	बजोली होली (जीएमआर)	निजी	3x60	180.00	2019-20 (मार्च, 20)@
9	सोरांग (एचएसपीसीएल)	निजी	2x50	100.00	2019-20 (मार्च, 20)@
10	टंगनु रोमई (टीआरपीजी)	निजी	2x22	44.00	2021-22 *
11	टिडोंग-I (स्टेटक्राफ्ट आईपीएल)	निजी	100.00	100.00	2021-22 (अक्टूबर, 21)
	उप-जोड़: हिमाचल प्रदेश			1885.00	
	जम्मू व कश्मीर				
12	पकलदुल (सीवीपीपीएल)	केंद्रीय	4x250	1000.00	2023-24 (अगस्त, 23)
13	परनई (जेकेएसपीडीसी)	राज्य	3x12.5	37.50	2021-22 (मार्च, 22)
14	लोअर कलनई (जेकेएसपीडीसी)	राज्य	2x24	48.00	2022-23 *
15	# रत्ले (आरएचईपीपीएल)	निजी	4x205 + 1x30	850.00	2023-24 *
	उप-जोड़: जम्मू व कश्मीर			1935.50	
	केरल				
16	पल्लीवसल (केएसईबी)	राज्य	2x30	60.00	2021-22 (दिसं., 21)
17	थोटियार (केएसईबी)	राज्य	1x30+1x10	40.00	2020-21 (दिसं., 20)
	उप-जोड़: केरल			100.00	
	मध्य प्रदेश	-			
18	## महेश्वर (एसएमएचपीसीएल)	निजी	10x40	400.00	2021-22 *
	उप-जोड़: मध्य प्रदेश			400.00	
	महाराष्ट्र				
19	कोयना लेफ्ट बैंक (डब्ल्यूआरडी, एमएएच)	राज्य	2x40	80.00	2022-23 *
	उप-जोड़: महाराष्ट्र			80.00	
	पंजाब				

20	शाहपुरकंडी (पीएसपीसीएल/सिंचाई विभाग, पंजाब)	राज्य	3x33+3x33+1x8	206.00	2021-22 (नवंबर, 21)
	उप-जोड़: पंजाब			206.00	
	सिक्किम				
21	तीस्ता स्टे.-VI एनएचपीसी	केंद्रीय	4x125	500.00	2023-24 *
22	भास्मे (गति इंफ्रास्ट्रक्चर)	निजी	3x17	51.00	2022-23 *
23	रंगित-IV (जल पावर)	निजी	3x40	120.00	2022-23 *
24	रंगित-II (सिक्किम हाइड्रो)	निजी	2x33	66.00	2021-22 *
25	रॉगनीचू (मध्य भारत)	निजी	2x48	96.00	2020-21 (सितं., 20)
26	पनन (हिमगिरी)	निजी	4x75	300.00	2023-24 *
	उप-जोड़: सिक्किम			1133.00	
	तमिलनाडु				
27	कुंडहा पम्पड स्टोरेज	राज्य	1x125	125.00	2022-23
	उप-जोड़: तमिलनाडु			125.00	
	उत्तराखंड				
28	लता तपोवन (एनटीपीसी)	केंद्रीय	3x57	171.00	2023-24 *
29	तपोवन विष्णुगाड (एनटीपीसी)	केंद्रीय	4x130	520.00	2020-21 (दिसं., '20)
30	टिहरी पीएसएस (टीएचडीसी)	केंद्रीय	4x250	1000.00	2021-23 (जून, 22)
31	विष्णुगाड पीपलकोटि (टीएचडीसी)	केंद्रीय	4x111	444.00	2022-23 (दिसं., '22)
32	नैटवर मोरी (एसजेवीएनएल)	केंद्रीय	2x30	60.00	2021-22 (दिसं., -21)
33	व्यासी (यूजेवीएनएल)	राज्य	2x60	120.00	2020-21 (जून, 20)
34	फाटा ब्यूंग (लैंको)	निजी	2x38	76.00	2021-22 *
35	सिंगोली भटवारी (एलएंडटी)	निजी	3x33	99.00	2019-20 (मार्च, 20)@
	उप-जोड़: उत्तराखंड			2490.00	
	पश्चिम बंगाल				
36	रम्माम-III (एनटीपीसी)	केंद्रीय	3x40	120.00	2021-22 (फर., 22)
	उप-जोड़: पश्चिम बंगाल			120.00	
	कुल:			12034.50	
*	कार्यों के पुनः शुरु होने से संबद्ध				

जेएंडके सरकार, पीडीडी ने दिनांक 09.02.2017 को पीपीए समाप्त कर दिया है और जेकेएसपीडीसी को परियोजना लेने के लिए निर्देश दिए हैं। संयुक्त उद्यम मोड में परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एनएचपीसी (51 प्रतिशत हिस्सा) और जेकेएसपीडीसी (49 प्रतिशत हिस्सा) के बीच 03.02.2019 को समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया था।

पीएफसी ने शीर्ष देनदार के रूप में 1 जून, 2016 से एसएमएचपीसीएल में 51 प्रतिशत की मुख्य इक्विटी अधिग्रहित की है। मामला न्यायाधीन है।

@ क्रिटिकल

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3130

जिसका उत्तर 11 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

सिंचाई सुविधा हेतु सुविधा

3130. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का गुजरात में दाहोद जिले के जनजातीय क्षेत्रों में कृषि के विकास हेतु सिंचाई सुविधा के लिए आवश्यक बिजली कनेक्शन के माध्यम से कोई सहायता प्रदान करने का विचार है, तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस मामले में सरकार की आगे की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : गुजरात सरकार ने सूचित किया है वे गुजरात के दाहोड जिले के आदिवासी क्षेत्रों में ट्राइबल एरिया सब-प्लान स्कीम (टीएएसपी) के जरिए कृषि के विकास के लिए अपेक्षित सिंचाई सुविधा हेतु विद्युत कनेक्शन के जरिए सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। विद्युत कनेक्शन वैयक्तिक कृषि आवेदकों को दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, आवेदक को सिर्फ जमानत राशि, करार शुल्क तथा टैस्ट रिपोर्ट प्रभारों का ही भुगतान करना होता है, जबकि अन्य एचटी/एलटी इलेक्ट्रिक लाइन तथा ट्रांसफॉर्मर प्रभारों की लागत गुजरात सरकार द्वारा वहन की जाती है।

(ख) : उपरोक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3138

जिसका उत्तर 11 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

गंदरबल जल विद्युत परियोजना

3138. डॉ. फारूख अब्दुल्ला:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 93 मेगावाट वाली नई गंदरबल जल विद्युत परियोजना के लिए बहुत पहले ही ठेका दिया जा चुका है/आंवटित किया जा चुका है लेकिन आज तक इस पर कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : 93 मेगावाट की न्यू गंदरबल जल विद्युत परियोजना का कार्य जेएंडके स्टेट पावर डेवलेपमेंट कारपोरेशन (जेकेएसपीडीसी) द्वारा 08.08.2017 को सबसे कम बोलीदाता मैसर्स हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी (एचसीसी) को ठेका देने की अधिसूचना जारी होने के बावजूद अब तक शुरू नहीं हुआ है। तथापि, मैसर्स एचसीसी ने जेकेएसपीडीसी को अपेक्षित निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत नहीं की और इसलिए परियोजना के निष्पादन के लिए संविदा हस्ताक्षरित नहीं हो सकी। जेकेएसपीडीसी ने 03.01.2018 को मैसर्स एचसीसी की बैंक गारंटी (ईएमडी) जब्त कर ली।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3150

जिसका उत्तर 11 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

सीईआरसी द्वारा निर्धारित प्रशुल्क

3150. प्रो. सौगत राय:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने विद्युत की खपत के अनुसार बिजली प्रशुल्कों को तय किया है;
- (ख) यदि हां, तो विभिन्न स्लैबों पर बिजली प्रशुल्कों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्र में उपभोक्ताओं पर उनकी खपत से अधिक प्रभार लगाया जाता है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत अधिनियम, 2003 ने खुदरा आपूर्ति टैरिफ निर्धारित करने का उत्तरदायित्व राज्य/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी/जेईआरसी) को सौंपा है। इस संबंध में उपयुक्त आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61, 62 एवं 64 में समाहित उपबंधों एवं सिद्धांतों के अनुसार टैरिफ निर्धारण की निबंधन एवं शर्तों को अधिसूचित करता है। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाली कम्पनियों, विद्युत का अन्तरराज्यीय उत्पादन करने वाली एवं विद्युत का अन्तरराज्यीय पारेषण करने वाली कम्पनियों के लिए टैरिफ निर्धारित करता है। विद्युत खपत के संबंध में खुदरा विद्युत टैरिफ निर्धारित करना सीईआरसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

(ग) और (घ) : नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) क्षेत्र के लिए उपभोक्ता टैरिफ निर्धारित करना दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के दायरे में आता है। एनडीएमसी क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं से डीईआरसी द्वारा निर्धारित खुदरा टैरिफ पर उनके उपभोग के लिए प्रभार लिया जाता है। डीईआरसी एवं एनडीएमसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, संबंधित प्राधिकारियों के संज्ञान में कोई मामला जिसमें उपभोक्ताओं से उनके उपभोग से अधिक प्रभार लिया गया हो, नहीं लाया गया है ।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3152

जिसका उत्तर 11 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

गांवों का विद्युतीकरण

3152. श्रीमती गीताबेन वजेसिंहभाई राठवा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश भर के सभी विद्युत-रहित गांवों के विद्युतीकरण हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित उन गांवों में जहां पर ग्रिड का विस्तार न तो व्यवहार्य है और न ही किफायती, वहां पर ग्रिड के बिना विद्युतीकरण करने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 28.04.2018 तक सम्पूर्ण देश में सभी आवासित जनगणना गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 01.4.2015 को देश में 18,452 गैर-विद्युतीकृत गांव थे। बाद में राज्यों द्वारा 1,227 अतिरिक्त गांव गैर-विद्युतीकृत सूचित किए गए थे। कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दौरान 1305 गांव बिना बसावट वाले/स्थाई चारागाह रिजर्व पाए गए तथा शेष 18,734 गांव विद्युतीकृत कर दिए गए थे। इनमें से, 2762 गांवों को ऑफ-ग्रिड सॉल्यूशन द्वारा विद्युतीकृत किया गया।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3156

जिसका उत्तर 11 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

विद्युत संयंत्रों का कार्य-प्रदर्शन

3156. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या 30,000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाले सरकारी संयंत्र 25 वर्ष से अधिक पुराने हैं और उन्हें बंद किए जाने या मरम्मत किए जाने के लिए उपयुक्त हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या उक्त संयंत्र उच्च ताप दर, उच्च सहायक विद्युत खपत और निम्न संयंत्र भार कारक जैसे खराब कार्यनिष्पादन मापदंडों पर चल रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या इनमें से अधिकतर संयंत्र भार केन्द्र (लोड सेंटर) आधारित संयंत्र हैं और कोयला खदानों से बहुत दूर स्थित हैं जिसके कारण परिवहन लागत बढ़ जाती है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार कुल 34297 मेगावाट क्षमता के कोयला और लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र 25 वर्ष से अधिक पुराने थे जिनमें राज्य क्षेत्र में 19237 मेगावाट (104 इकाइयां) तथा केंद्रीय क्षेत्र में 15060 मेगावाट (69 इकाइयां) शामिल है।

इन संयंत्रों में से राज्य क्षेत्र में लगभग 2068 मेगावाट क्षमता के संयंत्र (7 इकाइयां) तथा केंद्रीय क्षेत्र में 630 मेगावाट क्षमता के संयंत्र (2 इकाइयां) संबंधित यूटिलिटीयों द्वारा चरणबद्ध तरीके से बंद किए जाने हेतु अभिचिह्नित किए गए हैं। संयंत्र को बंद करने अथवा मरम्मत करने का निर्णय संयंत्र की प्रौद्योगिक-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर संबंधित यूटिलिटी द्वारा लिया जाता है।

(ख) : ये सभी संयंत्र खराब निष्पादन प्राचलों पर प्रचालित नहीं हैं।

(ग) और (घ) : कुल 34297 मेगावाट क्षमता के संयंत्रों में से राज्य क्षेत्र में 10650 मेगावाट (58 इकाइयां) तथा केंद्रीय क्षेत्र में 1810 मेगावाट (13 इकाइयां) के भार केंद्र विद्युत संयंत्र हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3176

जिसका उत्तर 11 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

जलीय विद्युत उत्पादन क्षमता मूल्यांकन

3176. श्री रामचरण बोहरा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान जलीय विद्युत उत्पादन क्षमता का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त क्षमता के मूल्यांकन/अध्ययन हेतु विभिन्न एजेंसियों को सर्वेक्षण कराने की जिम्मेदारी सौंपी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में राज्यों द्वारा उत्पादित जलीय विद्युत की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार मात्रा कितनी है;

(घ) विभिन्न कारणों से देश में लंबित पड़ी जलीय विद्युत परियोजनाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ङ) इन परियोजनाओं पर अब तक व्यय की गई राशि कितनी है;

(च) क्या सरकार ने देरी के कारण हुए नुकसान के विषय में कोई मूल्यांकन कराया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : वर्तमान में देश में कुल 45399.22 मेगावाट संस्थापित क्षमता वाले 204 जल विद्युत उत्पादन स्टेशन (25 मेगावाट से अधिक क्षमता) प्रचालनरत हैं। गत वर्ष तथा चालू वर्ष (30 जून, 2019 तक) के दौरान इन जल विद्युत स्टेशनों की राज्य/संघ राज्य-वार संस्थापित क्षमता तथा उत्पादित ऊर्जा अनुबंध-1 में दी गयी है।

वर्ष 1978-87 के दौरान देश में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा किए गए जलविद्युत क्षमता के पुनर्मूल्यांकन के अनुसार मूल्यांकित जल विद्युत क्षमता (25 मेगावाट से अधिक) 1,45,320 मेगावाट है। क्षमता तथा इसके विकास की स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में संलग्न है।

वास्तविक स्थल बाधाओं अर्थात भूविज्ञान, जलप्लावन तथा पर्यावरण और वन इत्यादि पर इन परियोजनाओं के प्रभाव सहित अन्य पहलुओं को ध्यान में रखने के पश्चात मूल्यांकन करने के लिए जल विद्युत क्षमता का बेसिन-वार पुनर्मूल्यांकन/अध्ययन करने का उत्तरदायित्व सीईए द्वारा मार्च, 2017 में वैपकोस लिमिटेड को दिया गया। पुनर्मूल्यांकन/अध्ययन की प्रगति की समीक्षा सीईए, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी), भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई) एवं नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी) की निगरानी समिति द्वारा की जा रही है।

(घ) और (ङ) : वर्तमान में देश में 12034.5 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली 36 जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट क्षमता से अधिक) निर्माणाधीन हैं तथा इन परियोजनाओं पर अब तक किया गया व्यय लगभग 60,042 करोड़ रुपए है। निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(च) और (छ) : निर्माणाधीन इन 36 जल विद्युत परियोजनाओं में से नटवर मोरी एचई परियोजना को छोड़कर 35 जल विद्युत परियोजनाओं में विलंब हुआ है। विलंबित 35 एचईपी से लगभग 41,018 एमयू वार्षिक उत्पादन हानि का अनुमान लगाया गया है। इस संबंध में ब्यौरा **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 11.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3176 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

देश में जल विद्युत स्टेशनों (25 मेगावाट क्षमता से अधिक) से राज्य/संघराज्य क्षेत्र-वार उत्पादन

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्थापित क्षमता* (मेगावाट) (30.06.2019 की स्थिति के अनुसार)	वास्तविक उत्पादन (एमयू)	
		2018-19	2019-20 (30.06.2019 की स्थिति के अनुसार अनंतिम)
उत्तरी क्षेत्र			
हिमाचल प्रदेश	9809.02	35908.57	12829.31
जम्मू एवं कश्मीर	3449.00	16541.58	6002.22
पंजाब	1096.30	4335.40	1426.09
राजस्थान	411.00	698.40	7.89
उत्तर प्रदेश	501.60	1176.36	178.65
उत्तराखंड	3756.35	13741.12	4090.09
कुल उत्तरी क्षेत्र	19023.27	72401.43	24534.25
पश्चिमी क्षेत्र			
छत्तीसगढ़	120.00	243.08	43.93
गुजरात	1990.00	1042.81	138.76
मध्य प्रदेश	2235.00	3396.67	703.75
महाराष्ट्र	3047.00	5076.86	1987.33
कुल पश्चिमी क्षेत्र	7392.00	9759.42	2873.77
दक्षिणी क्षेत्र			
आंध्र प्रदेश	1610.00	2272.94	457.11
कर्नाटक	3644.20	12187.69	2645.58
केरल	1856.50	7320.21	1658.18
तमिलनाडु	2178.20	5281.59	479.35
तेलंगाना	2405.60	1744.61	38.80
कुल दक्षिणी क्षेत्र	11694.50	28807.04	5279.02
पूर्वी क्षेत्र			
झारखंड	210.00	180.98	8.30
ओडिशा	2142.25	6777.45	1542.90
सिक्किम	2169.00	9022.07	3401.32
पश्चिम बंगाल	1341.20	2919.81	738.17
कुल पूर्वी क्षेत्र	5862.45	18900.31	5690.69
पूर्वोत्तर क्षेत्र			
अरुणाचल प्रदेश	515.00	1399.01	405.71
असम	350.00	1694.36	407.44
नागालैंड	75.00	231.47	14.99
मणिपुर	105.00	602.61	110.91
मेघालय	322.00	929.53	218.20
मिजोरम	60.00	168.44	13.82
कुल पूर्वोत्तर क्षेत्र	1427.00	5025.42	1171.07
कुल भारत	45399.22	134893.62	39548.80

* पम्पड स्टोरेज परियोजनाओं सहित

लोक सभा में दिनांक 11.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3176 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

जल विद्युत संभाव्यता विकास की स्थिति*
(संस्थापित क्षमता - 25 मेगावाट से अधिक के संदर्भ में)

(31.05.2019 की स्थिति के अनुसार)

क्षेत्र/राज्य	पुनर्मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार अभिचिन्हित क्षमता		क्षमता प्रचालन में**		निर्माणाधीन क्षमता**	
	कुल (मेगावाट)	25 मेगावाट से अधिक	(मेगावाट)	%	(मेगावाट)	(%)
उत्तरी						
जम्मू और कश्मीर	14146	13543	3449.0	25.47	1935.5	14.29
हिमाचल प्रदेश	18820	18540	9809.0	52.91	1885.0	10.17
पंजाब	971	971	1096.3	100	206.0	21.22
हरियाणा	64	64	0.0	0	0.0	0.00
राजस्थान	496	483	411.0	85.09	0.0	0.00
उत्तराखंड	18175	17998	3756.4	20.87	1490.0	8.28
उत्तर प्रदेश	723	664	501.6	75.54	0.0	0.00
उप जोड़ (एनआर)	53395	52263	19023.3	36.40	5516.5	10.56
पश्चिमी						
मध्य प्रदेश	2243	1970	2235.0	100	400.0	20.30
छत्तीसगढ़	2242	2202	120.0	5.45	0.0	0.00
गुजरात	619	590	550.0	100	0.0	0.00
महाराष्ट्र	3769	3314	2647.0	79.87	0.0	0.00
गोवा	55	55	0.0	0.00	0.0	0.00
उप जोड़ (डब्ल्यूआर)	8928	8131	5552.0	68.28	400.0	4.92
दक्षिणी						
आंध्र प्रदेश	2366	2341	1610.0	68.77	960.0	41.01
तेलंगाना	2058	2019	800.0	39.62	0.0	0.00
कर्नाटक	6602	6459	3644.2	56.42	0.0	0.00
केरल	3514	3378	1856.5	54.96	100.0	2.96
तमिलनाडु	1918	1693	1778.2	100	0.0	0.00
उप जोड़ (एसआर)	16458	15890	9688.9	60.97	1060.0	6.67
पूर्वी						
झारखंड	753	582	170.0	29.21	0.0	0.00
बिहार	70	40	0.0	0.00	0.0	0.00
ओडिशा	2999	2981	2142.3	71.86	0.0	0.00
पश्चिम बंगाल	2841	2829	441.2	15.60	120.0	4.24
सिक्किम	4286	4248	2169.0	51.06	1133.0	26.67
उप जोड़ (ईआर)	10949	10680	4922.5	46.09	1253.0	11.73
पूर्वोत्तर						
मेघालय	2394	2298	322.0	14.01	0.0	0.00
त्रिपुरा	15	0	0.0	0.00	0.0	0.00
मणिपुर	1784	1761	105.0	5.96	0.0	0.00
असम	680	650	350.0	53.85	0.0	0.00
नागालैंड	1574	1452	75.0	5.17	0.0	0.00
अरुणाचल प्रदेश	50328	50064	515.0	1.03	2600.0	5.19
मिजोरम	2196	2131	60.0	2.82	0.0	0.00
उप जोड़ (एनईआर)	58971	58356	1427.0	2.45	2600.0	4.46
अखिल भारत	148701	145320	40613.6	27.95	10829.5	7.45

* पम्पड स्टोरेज जल विद्युत संयंत्रों को छोड़कर

** क्षमता 25 मेगावाट से अधिक

लोक सभा में दिनांक 11.07.2019 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3176 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

देश में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) की सूची

(31.05.2019 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	स्कीम का नाम (निष्पादन एजेंसी)	क्षेत्र	निष्पादनाधीन क्षमता (मेगावाट)
	आंध्र प्रदेश	-	
1	पोलावरम (एपजैको/सिंचाई विभाग, ए.पी.)	राज्य	960.00
	उप-जोड़: आंध्र प्रदेश		960.00
	अरुणाचल प्रदेश		
2	कामेंग (नीपको)	केंद्रीय	600.00
3	सुबानसिरी लोअर (एनएचपीसी)	केंद्रीय	2000.00
	उप-जोड़: अरुणाचल प्रदेश		2600.00
	हिमाचल प्रदेश		
4	पारबती स्टे.-II (एनएचपीसी)	केंद्रीय	800.00
5	उहल-III (बीवीपीसीएल)	राज्य	100.00
6	स्वारा कुड्डू (एचपीपीसीएल)	राज्य	111.00
7	शॉगटॉग करछम (एचपीपीसीएल)	राज्य	450.00
8	बजोली होली (जीएमआर)	निजी	180.00
9	सोरांग (एचएसपीसीएल)	निजी	100.00
10	टंगनु रोमई (टीआरपीजी)	निजी	44.00
11	टिडोंग-I (स्टेटक्राफ्ट आईपीएल)	निजी	100.00
	उप-जोड़: हिमाचल प्रदेश		1885.00
	जम्मू व कश्मीर		
12	पकलदुल (सीवीपीपीएल)	केंद्रीय	1000.00
13	परनई (जेकेएसपीडीसी)	राज्य	37.50
14	लोअर कलनई (जेकेएसपीडीसी)	राज्य	48.00
15	# रत्ने (आरएचईपीपीएल)	निजी	850.00
	उप-जोड़: जम्मू व कश्मीर		1935.50
	केरल		
16	पल्लीवसल (केएसईबी)	राज्य	60.00
17	थोटियार (केएसईबी)	राज्य	40.00
	उप-जोड़: केरल		100.00
	मध्य प्रदेश		
18	## महेश्वर (एसएमएचपीसीएल)	निजी	400.00
	उप-जोड़: मध्य प्रदेश		400.00
	महाराष्ट्र		
19	कोयना लेफ्ट बैंक (डब्ल्यूआरडी, एमएएच)	राज्य	80.00

उप-जोड़: महाराष्ट्र			80.00
पंजाब			
20	शाहपुरकंडी (पीएसपीसीएल/सिंचाई विभाग, पंजाब)	राज्य	206.00
उप-जोड़: पंजाब			206.00
सिक्किम			
21	तीस्ता स्टे.-VI एनएचपीसी	-	500.00
22	भास्मे (गति इंफ्रास्ट्रक्चर)	निजी	51.00
23	रंगित-IV (जल पावर)	निजी	120.00
24	रंगित-II (सिक्किम हाइड्रो)	निजी	66.00
25	रॉगनीचू (मध्य भारत)	निजी	96.00
26	पनन (हिमगिरी)	निजी	300.00
उप-जोड़: सिक्किम			1133.00
तमिलनाडु			
27	कुंडहा पम्पड स्टोरेज	राज्य	125.00
उप-जोड़: तमिलनाडु			125.00
उत्तराखंड			
28	लता तपोवन (एनटीपीसी)	केंद्रीय	171.00
29	तपोवन विष्णुगाड (एनटीपीसी)	केंद्रीय	520.00
30	टिहरी पीएसएस (टीएचडीसी)	केंद्रीय	1000.00
31	विष्णुगाड पीपलकोटि (टीएचडीसी)	केंद्रीय	444.00
32	नैटवर मोरी (एसजेवीएनएल)	केंद्रीय	60.00
33	व्यासी (यूजेवीएनएल)	राज्य	120.00
34	फाटा ब्युंग (लैंको)	निजी	76.00
35	सिंगोली भटवारी (एलएंडटी)	निजी	99.00
उप-जोड़: उत्तराखंड			2490.00
पश्चिम बंगाल			
36	रम्माम-III (एनटीपीसी)	केंद्रीय	120.00
उप-जोड़: पश्चिम बंगाल			120.00
कुल:			12034.50

जेएंडके सरकार, पीडीडी ने दिनांक 09.02.2017 को पीपीए समाप्त कर दिया है और जेकेएसपीडीसी को परियोजना लेने के लिए निर्देश दिए हैं। संयुक्त उद्यम मोड में परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एनएचपीसी (51 प्रतिशत हिस्सा) और जेकेएसपीडीसी (49 प्रतिशत हिस्सा) के बीच 03.02.2019 को समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया था।

पीएफसी ने शीर्ष देनदार के रूप में 1 जून, 2016 से एसएमएचपीसीएल में 51 प्रतिशत की मुख्य इक्विटी अधिग्रहित की है। मामला न्यायाधीन है।

लोक सभा में दिनांक 11.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3176 के भाग (च) और (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

देश में विलंबित निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) की वार्षिक उत्पादन हानि -
राज्य-वार

(30.06.2019 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	स्कीम का नाम (निष्पादन एजेंसी)	क्षेत्र	निष्पादनाधीन क्षमता (मेगावाट)	एमयू/वर्ष में ऊर्जा की हानि
	आंध्र प्रदेश	-		
1	पोलावरम (पीपीए)	राज्य	960.00	2308.00
	उप-जोड़: आंध्र प्रदेश		960.00	
	अरुणाचल प्रदेश			
2	कामेंग (नीपको)	केंद्रीय	600.00	3353.00
3	सुबानसिरी लोअर (एनएचपीसी)	केंद्रीय	2000.00	7421.59
	उप-जोड़: अरुणाचल प्रदेश		2600.00	
	हिमाचल प्रदेश			
4	पारबती स्टे.-II (एनएचपीसी)	केंद्रीय	800.00	3108.66
5	उहल-III (बीवीपीसीएल)	राज्य	100.00	391.19
6	स्वारा कुड्डू (एचपीपीसीएल)	राज्य	111.00	386.00
7	शॉगटॉग करछम (एचपीपीसीएल)	राज्य	450.00	1578.95
8	बजोली होली (जीएमआर)	निजी	180.00	769.39
9	सोरांग (एचएसपीसीएल)	निजी	100.00	524.00
10	टंगनु रोमई (टीआरपीजी)	निजी	44.00	185.92
11	टिडोंग-I (एनएसएल टिडोंग)	निजी	100.00	414.15
	उप-जोड़: हिमाचल प्रदेश		1885.00	
	जम्मू व कश्मीर			
12	पकलदुल (सीवीपीपीएल)	केंद्रीय	1000.00	3330.18
13	परनई (जेकेएसपीडीसी)	राज्य	37.50	219.00
14	लोअर कलनई (जेकेएसपीडीसी)	राज्य	48.00	219.30
15	रत्ने (आरएचईपीपीएल)	निजी	850.00	3136.76
	उप-जोड़: जम्मू व कश्मीर		1935.50	
	केरल			
16	पल्लीवसल (केएसईबी)	राज्य	60.00	153.90
17	थोटियार (केएसईबी)	राज्य	40.00	99.00
	उप-जोड़: केरल		100.00	
	मध्य प्रदेश	-		
18	महेश्वर (एसएमएचपीसीएल)	निजी	400.00	823.00
	उप-जोड़: मध्य प्रदेश		400.00	

	महाराष्ट्र			
19	कोयना लेफ्ट बँक (डब्ल्यूआरडी, एमएएच)	राज्य	80.00	0.00
	उप-जोड़: महाराष्ट्र		80.00	
	पंजाब			
20	शाहपुरकंडी (पीएसपीसीएल)	राज्य	206.00	815.12
	उप-जोड़: पंजाब		206.00	
	सिक्किम			
21	भास्मे (गति इंफ्रास्ट्रक्चर)	निजी	51.00	244.10
22	रंगित-IV (जल पावर)	निजी	120.00	513.00
23	रंगित-II (सिक्किम हाइड्रो)	निजी	66.00	272.00
24	रॉगनीचू (मध्य भारत)	निजी	96.00	383.87
25	तीस्ता स्टे.-VI (लैंको)	निजी	500.00	2441.00
26	पनन (हिमगिरी)	निजी	300.00	1147.82
	उप-जोड़: सिक्किम		1133.00	
	तमिलनाडु			
27	कुंडहा पम्पड स्टोरेज	राज्य	125.00	
	उप-जोड़: तमिलनाडु		125.00	
	उत्तराखंड			
28	लता तपोवन (एनटीपीसी)	केंद्रीय	171.00	868.89
29	तपोवन विष्णुगाड (एनटीपीसी)	केंद्रीय	520.00	2558.36
30	टिहरी पीएसएस (टीएचडीसी)	केंद्रीय	1000.00	0.00
31	विष्णुगाड पीपलकोटि (टीएचडीसी)	केंद्रीय	444.00	1674.00
32	व्यासी (यूजेवीएनएल)	राज्य	120.00	375.24
33	फाटा ब्यूंग (लैंको)	निजी	76.00	340.00
34	सिंगोली भटवारी (एलएंडटी)	निजी	99.00	487.00
	उप-जोड़: उत्तराखंड		2430.00	
	पश्चिम बंगाल			
35	रम्माम-III (एनटीपीसी)	केंद्रीय	120.00	476.00
	उप-जोड़: पश्चिम बंगाल		120.00	
	कुल:		11974.50	41018.39
